वार्षिक प्रतिवेदन

38th ANNUAL REPORT

2019 - 2020

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

(एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की समनुषगी)

(भारत सरकार का उद्यम)

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd

(Subsidiary of HLL Lifecare Ltd., A Government of India Enterprise)

GAPL

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd

विषय - सूची
Contents

निदेशक मंडल	07	07	Board of Directors
अध्यक्ष का भाषण	12	13	Chairman's Speech
अंशधारियों को सूचना	14	15	Notice to Shareholders
निदेशकों की रिपोर्ट	18	19	Directors' Report
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	30	31	Report on Corporate Governance
प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण	44	45	Management Discussion and Analysis
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	68	69	Independent Auditor's Report
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	86	87	Comments of the Comptroller & Auditor General of India
वर्ष 2019-20 के लिए तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा	90	91	Balance Sheet and Statement of Profit & Loss for the Year 2019-20
लेखा को टिप्पणियाँ	102	103	Notes to Accounts

डॉ.हर्ष वर्धन

Dr. Harsh Vardhan

सम्माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संघ कैबिनट मंत्री

Hon'ble Union Cabinet Minister for Health & Family Welfare

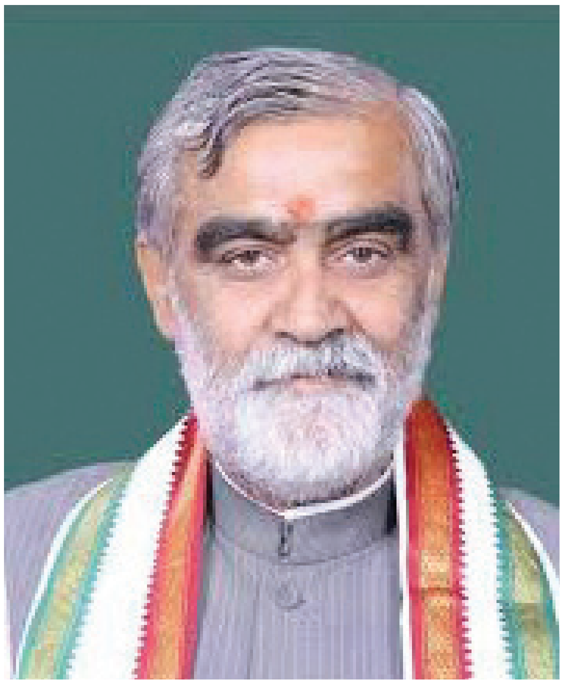

श्री अश्विनि कुमार चौबे

Shri. Ashwini Kumar Choubey

सम्माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संघ राज्य मंत्री

Hon'ble Union Minister of State for Health & Family Welfare

श्री. राजेश भूषण आई ए एस

Shri. Rajesh Bhushan IAS

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Secretary, Ministry of Health & Family Welfare

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

श्री. के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
Shri. K Beji George IRTS
अध्यक्ष
Chairman

डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार आई ए एस
Dr Dharmendra Singh Gangwar IAS
विशेष सचिव & एक ए स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
Additional Secretary & F.A. Ministry of Health & Family Welfare Government of India

श्री. जे. अशोक कुमार आई ए एस
Shri. J. Ashok Kumar IAS
निदेशक
Director

डॉ. प्रदीप नाइक
Dr. Pradeep Naik
स्वतंत्र निदेशक
Independent Director

श्री वी.के. बल्लीकर
Shri. K.V. Ballikar
निदेशक
Director

श्री. टी. राजशेखर
Shri. T. Rajasekar
निदेशक
Director

डॉ. गीता शर्मा
Dr. Geeta Sharma
निदेशक
Director

दृष्टिकोण, दौत्य और उद्देश्य

दृष्टिकोण : स्वस्थ और संतुष्ट जगत का निर्माण करना।

दौत्य : वैश्विक पहूँच और गुणवत्ता, लागत एवं वितरण पर प्रतिबद्धता के साथ एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल संगठन।

उद्देश्य : स्थिति निर्धारण - एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उत्पाद श्रेणी प्रदान कर रही कंपनी।

VISION & MISSION

Vision	:	To create a healthier and happier world.
Mission	:	To become a leading pharmaceutical organization with global reach and commitment to quality, cost and delivery.
Objectives	:	Positioning- Company offering Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic product range.

सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नीति

गोवा एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निम्नलिखित सतत वृद्धि के ज़रिए पर्यावरण के संरक्षण करने, व्यावसायिक जोखिमों को दूर करने और कर्मचारियों और संविदाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है :

- अनवरत आधार पर इसके कार्यकलापों, उत्पादों और सेवाओं के प्रभाव का अनुवीक्षण एवं नियंत्रण करना।
- उपयुक्त विधिक एवं अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।
- सामाजिक जवाबदेही पर ज़ोर देकर सुरक्षित प्रचालन प्रथाओं को अपना।
- कर्मचारी प्रशिक्षण और उनके ग्रस्तता सुसाध्य बनाना।
- उत्तम पद्धतियों अपनाने द्वारा प्रदूषण कम करना।
- माल, ऊर्जा संरक्षित रखना और रद्दियों को स्रोत पर कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग बढ़ाना।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवधिक समीक्षा।

SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT POLICY

GAPL is committed to protect environment, eliminate occupational hazards and ensure safety of employees & subcontractors through sustainable growth:

- Monitoring and control of the impact of its activities, products and services on a continual basis;
- Compliance of applicable legal and other requirements;
- Adopting safe operating practices with an emphasis on social accountability.
- Facilitating employee training and their involvement;
- Pollution mitigation through adoption of best practices;
- Conserving materials, energy and reducing waste at source, and / encouraging usage of renewable energy sources;
- Periodic review of safety, health and environment management system.

गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिक्लस लिमिटेड
अध्यक्ष भाषण

सेवा में
शेयरधारकों
गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिक्लस लिमिटेड

आपकी कंपनी की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करने में मुझे खुशी है। वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पहले ही आपके साथ है और आपकी सदय अनुमति के साथ, मैं उसे पढ़ने जा रहा हूँ । मुझे यह सूचित करने में खुशी है कि भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे की समीक्षा करने बाद अपनी टिप्पणी दी है, जिस पर प्रबंधन ने स्पष्टीकरण दिया है और जिसे शेयरधारकों को परिचालित कार्यसूची मद में निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में रखा गया है ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 कंपनी के लिए कठिन वर्ष था । वहाँ व्यवसाय वातावरण में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ थीं । तदनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी अपेक्षित स्तर तक निष्पादन नहीं कर पायी और तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में प्रचालन से राजस्व तथा निवल लाभ में गिरावट थी । विद्यमान वर्ष भी चुनौतीपूर्ण होने की प्रतीक्षा है, फिर भी पिछले वर्ष से अधिक आशाजनक है ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के अधीन, मैं आपकी कंपनी के विस्तार और विविधीकरण योजनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ।

प्लेनेटरी मिक्स्चर, एक पारंपरिक प्रौद्योगिकी के साथ वर्तमान सुविधा वर्ष 1996 में स्थापित की गई थी। प्रक्रिया उपकरण उच्च खुराक उत्पादों के लिए उपयुक्त है और कम खुराक गोली सूत्रीकरण विनिर्माण के लिए कुछ सीमाएँ हैं। इसलिए, अधिकांश फार्मा विनिर्माण कंपनियों ने आरएमजी (रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर) और बिन ब्लेंडर का उपयोग करके उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया है, ताकि अधिकतम सूत्रीकरणों का विनिर्माण करके बाज़ार की माँग को पूरा करने के लिए उपलब्ध किया जा सके। मशीनों के जुडने से उत्पादकता में 30-45% की वृद्धि होगी। वार्षिक उत्पादन क्षमता 288 दशलक्ष गोलियों से बढ़कर 375 दशलक्ष गोलियाँ तक हो जाएगी और गोली सुविधा से वार्षिक व्यापारावर्त रु. 21 करोड से बढ़कर रु.27 करोड तक हो जाएगा। परियोजना अतिरिक्त उपकरण और मशीनों की स्थापना के द्वारा मौजूदा गोली विनिर्माण सुविधा का उन्नयन है। साइट के प्रापण, संस्थापन, कमीशनिंग और संशोधन की अनुमानित लागत रु.120 लाख है।

संक्षेप में, व्यवसाय वातावरण चुनौतीपूर्ण रहा है और आपकी कंपनी आगामी वर्षों में उच्च-स्तर वृद्धि बनाये रखने के लिए इसके व्यवसाय प्रचालनों में समन्वय लाने के इसके प्रयास पर फोकस जारी रही है ।

निष्कर्षतः, मैं गोवा सरकार विशेषतः खाद्य और औषध प्रशासन निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, गोवा मेडिकल कॉलेज एवं ई एस आई सी और आन्ध्रा प्रदेश/तेलुंगाना/ कर्नाटका सरकार द्वारा प्रदान किए गए निरंतर समर्थन का धन्यवाद अदा करता हूँ ।

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये कॉर्पोरेट अभिशासन मार्गनिर्देशों के साथ अनुपालन किया है ।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, मेसर्स यु एन.बेने एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मडगाँव, गोवा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके सुझाव एवं सहयोग के लिए कृतज्ञता अदा करना चाहता हूँ ।

मैं, मेसर्स एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड और मेसर्स ई डी सी लिमिटेड को भी उनके सहयोग एवं मार्गदर्शन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ ।

मैं, कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों और आपूर्तिकारों को कंपनी में उनके समर्थन एवं आत्मविश्वास की ओर धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में भी यह जारी रखने की आशा करता हूँ ।

अंत में, मैं बोर्ड के मेरे सहयोगियों को उनके विचारशील सलाह और मूल्यवान भागीदारी के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ ।

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष
डिन : 08419099

CHAIRMAN'S SPEECH

To,

The Shareholders
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd.

It is my pleasure to extend a very warm welcome to all of you to your company's 39th Annual General Meeting. The Annual Report, containing the Audit report along with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 are already with you and with your kind permission, I take them as read. I am happy to inform that the Comptroller & Auditor General of India, after having reviewed the Company's Accounts for the year ending 31st March, 2020, have given their comments on which management has given the clarification, which is placed as addendum to the Director's Report in the agenda item circulated to the shareholders.

Financial year 2019-20 was a difficult year for your Company. There were some headwinds in the business environment. Accordingly, during the financial year your Company was not able to perform to the level expected and there was a dip in the revenue from operations as well as net profit comparing to the immediate previous year. Current year is also expected to be challenging, yet more promising than the previous year.

Under the aforesaid backdrop, I present before you the expansion and diversification plans of your Company.

The current facility with planetary mixture, a conventional technology was set up in 1996.The process equipment is suitable for higher dosage products and have a limitation for manufacturing low dose tablet formulations. Hence, most of the pharma manufacturing companies have moved to the latest technology of production using RMG (Rapid Mixer Granulator) and Bin Blender, so that the maximum formulations shall be manufactured and made available to meet market demand. With the addition of the machines the productivity shall be increased by 30-45%. Annual Production capacity will increase from 288 Million Tablets to 375 Million tablets and annual turnover from tablet facility will increase from Rs.21 Crores to Rs.27 Crores. The project is an upgradation to the existing tablet manufacturing facility by installation of additional equipment & machines. The estimated cost of procurement, installation, commissioning and modification of site is Rs.120 Lakhs.

In summary, the business environment remains challenging and your company continues to focus its effort to drive synergy across its business operations to maintain a top-line growth in the years to come.

To conclude, I acknowledge the continued support extended by Govt. of Goa, particularly Directorate of Food & Drugs Administration, Directorate of Health Services, Goa Medical College, and Govt. of Andhra Pradesh/Telangana/Karnataka.

Your Company had complied with Corporate Governance Guidelines issued by Department of Public Enterprises.

I wish to thank the Comptroller and Auditor General of India, M/s. U. N. Bene & Co, Chartered Accountants, Margao, Goa, the Statutory Auditors, for their suggestions and co-operation.

I also wish to extend my sincere thanks to M/s. HLL Lifecare Limited and M/s. EDC Limited for their support and guidance.

I thank company's valued customers and suppliers for their support and confidence in the Company and look forward to the continuation of the same in future.

Finally, I must convey my gratitude to my colleagues on the Board for their wise counsel and valued involvement.

K. Beji George IRTS
Chairman
DIN: 08419099

संदर्भ.जीएपीएल/एजीएम/20-21/776 25 जनवरी, 2021

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य निबाहने के लिए गोवा एंटीबायोटिक्स ः फार्मास्यूटिकल्स के शेयरधारकों की स्थगित 39 वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 27 जनवरी 2021, भारतीय मानक समय अपराह्न 04.30 बजे को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओवीएएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, उस पर निदेशक, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी & ए जी) की टिप्पणी पर विचार करना और अंगीकार करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान : पेर्नेम, गोवा

टिप्पणियाँ :

1. कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (इसके बाद में 'एमसीए' के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल 2020 और 13 जनवरी 2020 के सामान्य परिपत्र सं. क्रमशः 14/2020 ः 17/2020 और 02/2021 (बाद में सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित)के साथ पठित दिनांक 05 मई 2020 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अनुमति दी। तदनुसार एमसीए परिपत्र और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का स्थगित 39 वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है।

2. कूँकि यह स्थगित एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एम सी ए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति का परवाह न की जाती है। तदनुसार सदस्यों को कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा सुनिश्चित करने के लिए यह ध्यान लिया गया है कि कंपनी द्वारा व्यवस्थित वीडियो कॉन्फेरेन्स सुविधा सभी सदस्यों की आसानी से भागीदारी के लिए दो तरफ टेलिकॉन्फ्रेसिंग की अनुमति देती है। सदस्यों को साथ-साथ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती हैं या मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ई-मेल पते पर पहले से प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए।

3. बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक शुरू करने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनिट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के बाद 15 मिनिट की समाप्ति के बाद ही बंद किया जाएगा।

4. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के 103 के अनुसार सामान्य बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता, वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित सामान्य बैठक के लिए भी बढ़ायी गयी है। इसलिए वीडियो कॉन्फेरेंस के ज़रिए एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को बैठक के कोरम के लिए गिना जाएगा।

5. बैठक के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के संबंध में, संबंधित एमसीए परिपत्र यह निर्धारित किया जाता है कि यह कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों पर आधारित होगा या परिपत्र में दिए गए तरीके से होगा। आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेंगे। तदनुसार बोर्ड का अध्यक्ष, इस एजीएम के लिए अध्यक्ष होगा।

6. सामान्यतः, कंपनी की अधिनियम 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए हकदार सदस्य को इसमें भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सि को नियुक्त करने एवं उसकी ओर से मतदान देने के लिए हकदार है और प्रॉक्सी

Ref:GAPL/AGM/20-21/776 25th January, 2021

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Adjourned 39thAnnual General Meeting of the shareholders of Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd., will be held on Wednesday, 27th January, 2021, at 4.30 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OVAM") to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2020 along with the Report of the Directors & Statutory Auditors together with comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.

By the order of the Board

Authorised Signatory

Place: Pernem-Goa

Notes:

1. In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read together with General Circular Nos. 14/2020 & 17/2020 dated 08th April, 2020 and 13th April, 2020 respectively (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of Annual General Meeting through VC/OAVM. Accordingly, in accordance with the MCA Circulars and provisions of Companies Act 2013, the 39thAGM of the Company is being held through VC/OAVM.
2. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the Members can join the AGM through VC/OAVM facility arranged by the Company. All care has been taken by the Company to ensure that the video conference facility arranged by the Company allows two-way teleconferencing for the easy participation of all the Members. The Members are allowed to ask questions concurrently or shall submit the questions in advance at the email address of the Chief Executive Officer/ Chief Financial Officer-Authorised Signatory.
3. The facility for joining the meeting will be kept open for 15 minutes before the scheduled time to start the meeting and will be closed only after the expiry of 15 minutes after such scheduled time.
4. As per the aforementioned MCA Circulars, the requirement of quorum for a general meeting in pursuance of 103 of Companies Act, 2013 has been extended for general meeting held through VC/OAVM also. Therefore, the Members attending adjourned AGM through video conference will be counted for the quorum of the meeting.
5. With regard to the manner of appointment of Chairman for the meeting, the relevant MCA circulars stipulates that either it shall be based on the provisions of Articles of Association of the Company or in the manner as provided in the Circular. As per the Articles of Association of your Company, the Chairman of the Board shall preside as Chairman at every general meeting of the Company. Accordingly, the Chairman of the Board will be the Chairman for this AGM.
6. Generally, pursuant to the provisions of the Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a

कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के ज़रिए आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों के प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता के बिना काम चलाता है और फलस्वरूप प्रॉक्सियों की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए लागू नहीं है।

7. सांविधिक लेखापरीक्षक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कंपनी द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में भाग लेंगे।

8. जब आपकी कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या 50 से नीचे आती है, तब अध्यक्ष की सहमति से मतदान आयोजित करने का निर्णय ले सकता है, जब तक न किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग की जाती है। यदि कोई संकल्प पर बैठक के दौरान कोई मतदान किया जाना आवश्यक है तो सदस्यों को अपना मतदान मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ई-मेल आईडी rejuskaria@gaplgoa.com या vijaykumarp@gaplgoa.com पर दे सकते हैं।

9. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, स्थगित एजीएम सूचना, वित्तीय विवरणों और अन्य दस्तावेज़ें शेयरधारकों के ई-मेल पते में इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भेजे जा रहे हैं।

10. इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया (बाद में आईसीएसआई के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक-1 और 2 की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के साथ पठित आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवालयीन मानक के अनुसार एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, जो एजीएम का स्थान समझा जाएगा, में आयोजित की जाएगी ।

11. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेस के ज़रिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा।

12 .सूचना की प्रति कंपनी के वेबसाइट में भी पोस्ट की जाएगी।

13. .किसी भी सहायता के लिए सदस्य को व्यावसायिक घंटे के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी - प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकता है। सदस्यों के अनुरोध पर, सांविधिक रजिस्टर/संबंधित दस्तावेज़ों का निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

सेवा में

सभी शेयरधारकों

member of the Company. Since this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members is dispensed with and consequently the facility for appointment of proxies is not applicable for this AGM.

7. The Statutory auditor or his authorized representative will attend the AGM through VC/OAVM facility provided by the Company.

8. As the total number of members in your Company falls below 50, the Chairman may decide to conduct a vote by show of hands, unless a demand for poll is made by any member. If a poll is required to be taken during the meeting on any resolution, the members may convey their vote at the Email i.d. of the Chief Executive Officer/Chief Financial Officer-Authorised Signatory at rejuskaria@gaplgoa.com or vijaykumarp@gaplgoa.com.

9. In line with the MCA Circulars, AGM Notice, financial statements and other documents are being sent through electronic mode to the e - mail addresses of the shareholders.

10. In accordance with the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India (hereinafter referred to as "ICSI") read with Clarification/Guidance on applicability of Secretarial Standards – 1 and 2 issued by the ICSI, the proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed venue of the AGM.

11. In pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013 representatives of the Members shall be appointed for the purpose of participation and voting in the meeting through video conference.

12. A copy of the notice shall also be posted on the website of the company.

13. For any assistance, a member may contact the Chief Executive Officer/ Chief Financial Officer-Authorised Signatory during business hours. Upon request of members, the inspection of statutory register/related documents can be made available through electronic mode.

To

All Shareholders

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स

सज्जनो,

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित व्यवसाय एवं प्रचालन पर 39 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी है।

वर्ष 2019-20 से संबंधित निष्पादन समीक्षा

1.1 वित्तीय हाइलाइट्स :-

वर्ष 2019-20 के आपकी कंपनी के वित्तीय निष्पादन की हाइलाइट्स नीचे दिये जाते हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	2018-19	2019-20
प्रचालन से राजस्व	4991.40	3349.40
जोड : अन्य आय	38.78	18.02
कुल राजस्व	5030.18	3367.42
विनिर्माण & अन्य व्यय	5248.34	4068.96
विशेष और असाधारण मदें और कर के पुर्व लाभ	(218.16)	(701.54)
विशेष मदें	212.53	0.00
असाधारण मदें	0.95	0.00
कर के पूर्व लाभ (हानि)	(431.64)	(701.54)
कर व्यय	(169.65)	(158.42)
निवल लाभ (हानि)	(261.99)	(543.12)

क) 2019 -2020 के दौरान प्रचालन से राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 32.90 % कम हो गया है ।

1.2 प्रत्यक्ष निष्पादन

आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नीचे उल्लिखित जैसे प्रत्यक्ष निष्पादन हासिल किया है। उपयोग क्षमता के प्रतिशततावार विवरण नीचे दिए जैसे हैं :

विवरण	क्षमता की यूनिट	संस्थापित क्षमता लाखों में	उपयोग क्षमता (%)	
			2019-20	2018-19
वयल्स	लाख संख्या	150	24.22	45.65
गोलियाँ	लाख संख्या	2400	14.21	49.60
कैप्सूल्स	लाख संख्या	1900	14.64	21.57
सिरप	लाख लिटर	18	15.64	0.91

2. शेयर पूँजी

आपकी कंपनी के 31 मार्च 2020 तक की प्राधिकृत शेयर पूँजी और प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी क्रमशः ₹ 25.00 करोड और ₹19.02 करोड थी।

3. जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति), 2014 के साथ पठित कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अध्याय V- जमा की स्वीकृति के प्रावधानों के अर्थ में कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया गया है।

DIRECTORS' REPORT 2019-20

To,
The Shareholders
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd.

Gentlemen,

The Board of Directors have pleasure in presenting the 39th Annual Report on the business and operations of the company together with the financial statements and Auditor's report for the financial year ended 31st March 2020.

PERFORMANCE REVIEW REGARDING 2019-20

1.1 Financial Highlights:-

The highlights of the financial performance of your company during the year 2019-20 are given below.

(₹in lacs)

Particulars	2018-19	2019-20
R Revenue from Operations	4991.40	3349.40
Add: Other income	38.78	18.02
Total Revenue	5030.18	3367.42
Manufacturing & Other expenses	5248.34	4068.96
P Profit before Exceptional & Extraordinary Items	(218.16)	(701.54)
Exceptional Items	212.53	0.00
Extraordinary Items	0.95	0.00
Profit/(loss) before tax	(431.64)	(701.54)
Tax Expense	(169.65)	(158.42)
Net profit/(Loss)	(261.99)	(543.12)

Revenue from operations during 2019-20 has reduced by 32.90 % as compared with the previous year.

1.2 Physical Performance: -

Your company achieved physical performance as mentioned below during the year under review. The percentage wise details of capacity utilisation is as under:

Particulars	Unit of Capacity	Installed Capacity in Lakhs	Capacity Utilisation(%)	
			2019-20	2018-19
Vials	Lakh Nos	150	24.22	45.65
Tablets	Lakh Nos	2400	14.21	49.60
Capsules	Lakh Nos	1900	14.64	21.57
Syrups	Lakh Ltrs	18	15.64	0.91

2. SHARE CAPITAL

The authorized share capital and paid up equity share capital of your Company as on 31st March 2020 was ₹ 25.00 Cr and ₹ 19.02 Cr. respectively.

3. DEPOSITS

During the year under review, your Company did not accept any deposits within the meaning of provisions of Chapter V–Acceptance of Deposits by Companies of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

4. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अधीन समाविष्ट कोई भी ऋण या गैरेंटी नहीं दिया है। उसी प्रकार वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी निवेश नहीं किया है।

5. मेडी केंद्र व्यवसाय का विस्तार

जीएपीएल मेडीसेंटर, गोवा में सरकारी अस्पतालों के अंदर प्रचालित फार्मेसी रीटेल आउटलेट स्थित हैं। वर्ष 1994 में सरकारी मेडिकल कॉलेज, बांबोलिम में पहला मेडीसेंटर खोला गया। वर्ष 1995 में होस्पीसियो अस्पताल, मडगांव में शुरू किया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, गोवा सरकार की अनुमति के साथ वर्ष 2014 में उप जिला अस्पताल, पोंडा में मेडीसेंटर शुरू किए थे। यह केंद्र अस्पताल को आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति करने तथा डी डी एस वाई योजना के तहत आवश्यकताओं के अनुसार काम करने के अतिरिक्त अस्पताल के अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों के लिए काम कर रहे थे । वर्ष 2019-20 के दौरान मेडीसेंटर ने ₹ 337.61 लाख का वार्षिक व्यापारावर्त का योगदान दिया है। गोवा राज्य की जनता के लिए 24×7 फार्मेसी अनिवार्य अपेक्षा है। जी ए पी एल मेडी सेंटर कुछ फार्मेसियों में एक है जो पूरे वर्ष में 24×7 खुलते हैं। गोवा राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमारी 24×7 की सेवा की सराहना की है, जो प्रतिदिन हज़ारों लोगों को अपनी सेवा प्रदान करती है।

वर्ष 2018 के दौरान सरकारी नीति में हुए बदलाव के कारण, इस विभाग ने निजी संस्था मैसर्स वेलनेस फॉरएवर मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को जीएमसी बांबोलिम में दो फार्मेसियाँ खोलने के लिए अनुमति दी और उन्हें आपातकालीन दवा की खरीद तथा अन्य योजनाओं के लिए अनुमति दीं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार जी ए पी एल ने अपना मेडीसेंटर जनवरी, 2019 में वापस देना पडा। मेडीसेंटर तीन में कम हुए। वर्ष 2019-20 में मेडीसेंटर सिर्फ 337.61 लाख का योगदान कर पाया। वर्ष 2019-20 के दौरान जी ए पी एल मेडीसेंटर ने 1.86 लाख रोगियों की आवश्यकता की सेवा की है।

वहाँ 4 जिला/उप जिला अस्पताल, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 23 स्वास्थ्य केंद्र हैं। अस्पताल के रोगियों की बोझ और व्यवसाय प्रोफाइल केवल कुछ ही मेडीकेंद्रों के लिए व्यवहार्य बनाते हैं। अन्य केंद्रों में कम बोझ एवं मुफ्त दवा की आपूर्ति के कारण फार्मेसी की क्षमता कम है। जी ए पी एल वर्ष 2021 तक प्रमुख लोक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त केंद्रों को स्थापित करके इस व्यवसाय बढ़ाने की योजना करती है।

आगामी वर्षों में जीएपीएल मेडी केंद्रों को अभिमुख होने वाले महत्वपुर्ण मुद्दे नीचे सूचीबद्ध जैसे हैं:

1. सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर नई फार्मेसियों के लिए जगह आबंटित नहीं किया जाएगा।
2. अंदरूनी निजी फार्मेसियों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा विशेषतः प्रमुख अस्पतालों में व्यवसाय को कम करता है।
3. सरकारी नीति में आए बदलाव के कारण जी ए पी एल मेडीसेंटर के राजस्व और लाभप्रदत्ता आनेवाले वर्षों में (2019 से) कम होने की संभावना है।

6. उन्नयन और विविधीकरण योजना

जी ए पी एल को निम्नलिखित उन्नयन और विविधीकरण योजना है :
गोली विनिर्माण सुविधा उन्नयन

कंपनी ने गोली विनिर्माण सुवुधा का उन्नयन करने की योजना बनाई है। वर्तमान में गोली विनिर्माण सुविधा का ग्रेनुलेशन अनुभाग पीएलएम प्रौद्योगिकी के साथ है। इस ग्रेनुलेशन अनुभाग को रैपिड मिक्सर ग्राइंडर (आरएमजी) और ब्लेंडर के साथ पाउडर ट्रांसफर सिस्टम (पीटीएस) में उन्नयन करने का प्रस्ताव किया जाता है। ग्रेनुलेशन बनाने की प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मिश्रण घटकों की दक्षता में सुधार करने में मदद करती है और प्रक्रिया समय में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि में परिणत होती है।

7 समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन

जीएपीएल ने वर्ष 2019-20 के लिए अलग रूप से कोई भी एमओयु लक्ष्य नहीं लिया है। व्यापारावर्त के जीएपीएल के एमओयु लक्ष्य को मूल कंपनी, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के एमओयु में डीपीई के साथ शामिल किया गया है।

8.सचिवालयीन मानक

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने बोर्ड बैठकों के प्रबंध करनेवाले सचिवालयीन मानक1 (एसएस-1) और कंपनी के सदस्यों की बैठकों के आयोजन और संचालन करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट निर्धारित करने वाले सचिवालयीन मानक 2 (एसएस 2) दोनों के अनुपालन किया है। ये सचिवालयीन मानकें इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीस ऑफ इंडिया (आई सी एस आई) द्वारा जारी किए गए हैं।

4. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

During the year under review, your Company has not given any loans or guarantees covered under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013. Similarly, the Company did not make any investment during the year.

5. EXPANSION OF MEDICENTRE BUSINESS

GAPL Medicentres are Pharmacy Retail outlets operating inside Government Hospitals in Goa. The first Medicentre was opened in Govt. Medical College Hospital, Bambolim in 1994. Medicentre at Hospicio Hospital, Margao was opened in 1995. Subsequently with approvals from the Department of Health, Govt. of Goa, Medicentres were opened at Sub District Hospital Ponda in 2014.The centers were servicing in-patients and outpatients of the hospital in addition to supply of emergency medicine to hospital and servicing of requirements under DDSY scheme. The Medicentres contributed an annual turnover of ₹.337.61 Lakhs in 2019-20. 24 x 7 Pharmacy is an essential requirement for the people of Goa. GAPL Medicentre is one of the few pharmacies that are open 24 x 7 throughout the year. The Goa state Health Ministry has appreciated our 24x 7 service which is helping thousands of people every day.

Due to changes in Government policy in 2018, the department allowed a private organization, M/s. Wellness Forever Medicare Pvt. Ltd., Mumbai to open two pharmacies in GMC Bambolim and they were approved to service emergency medicine purchase and other schemes. Also, on directions from the Health department, GAPL had to surrender the Medicentre at Mapusa in January 2019. The number of Medicentres reduced to three. The Medicentres could contribute only Rs.337.61 Lakhs in the year 2019-20. During 2019-20, the GAPL Medicentres served the needs of 1.86 Lakh patients.

There are 4 District / Sub District Hospitals, 4 Community Health Centers and 23 Health Centers. The hospital patient load and business profile only few of the hospitals viable for Medicentres. In other centers, due to less load and supply of free medicines, the pharmacy potential is less. GAPL plans to expand this business by establishing additional centers at major public health centers by 2021.

The major issues that the GAPL Medicentre has to face in the coming years are as listed below:

1. Allotment of space for new pharmacies will not be made by Govt. on nomination basis.
2. Increased competition from inhouse private pharmacies, especially in major hospitals reduces business
3. The revenue and profitability of GAPL's Medicentre is come down in the coming years (2019 onwards) due to change in Govt. policy.

6. UPGRADATION AND DIVERSIFICATION PLAN

GAPL has the following upgradation & diversification plan:

Tablet Manufacturing Facility Upgradation

The company has planned to upgrade the tablet manufacturing facility. Currently the granulation section of the tablet manufacturing facility is with PLM Technology. It is proposed to upgrade the granulation section to Rapid Mixer Grinder (RMG) and Blender with Powder Transfer System (PTS)The change in granulation technology helps in improving the efficiency of mixing components and also leads to reduction in process time and increase in productivity.

7. MOU EVALUATION

GAPL has not taken any MOU targets separately for the year 2019-20. The MOU target of GAPL for Turnover was included in the parent company HLL Lifecare Limited's MOU with the DPE.

8. SECRETARIAL STANDARDS

During the financial year under review, your company has complied with both Secretarial Standard 1 (SS-1) that governs Board meetings and Secretarial Standard 2 (SS2) that prescribes a set of principles for convening and conducting meetings of the Members of the company. These Secretarial Standards have been issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

9 कंपनी के लाभकारी कारोबार हैसियत को प्रभाव डाल रहे नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा पास किए गए महत्वपूर्ण एवं मूर्त आदेश।

कंपनी और उसके भविष्य प्रचालनों के लाभकारी कारोबार स्थिति को प्रभाव डाल रहे नियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा पास किए गए कोई भी महत्वपूर्ण एवं मूर्त आदेश नहीं हैं।

10. वित्तीय स्थिति को प्रभाव डाल रहे, यदि कोई, महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता।

इस वित्तीय विवरण से संबंधित और इस रिपोर्ट की तारीख पर वित्तीय वर्ष के अंत में हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभाव डाल रहे कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

11. राजकोष के लिए अंशदान

आपकी कंपनी ने जी एस टी और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र व राज्य सरकार के राजकोष में ₹ 20.55 लाख रकम (पिछले वर्ष ₹ 85.04 लाख) का अंशदान किया है।

12. बैंक उधार

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मैसेर्स भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक शाखा, तिरुवनंतपुरम से ₹ 915 लाख पूँजी कार्य उद्देश्य के लिए विद्यमान रोकड़ क्रेडिट सुविधा के साथ जारी रहती है । इसके अलावा, कंपनी ने पूँजीगत व्यय के निवेश के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान ईडीसी लिमिटेड से ऋण लिया हैं डी सी द्वारा पहले ही रु.200 लाख आवधिक ऋण के रूप में मंजूर किया गया है और संवितरित किया गया है। इसके आगे वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ईडीसी लिमिटेड से पूँजीगत मदों के प्रापण के लिए 100 लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने का इरादा रखती है।

13. औद्योगिक संपर्क

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के औद्योगिक संपर्क बहुत सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा है।

14. मानव संसाधन

कंपनी सभी क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों द्वारा दिखाए प्रतिबद्धता, सक्षमता और सर्मपण में गर्व महसूस करती है। कंपनी बेहतर शिक्षा और संगठनात्मक विकास के जरिए शीर्ष प्रतिभा को पालन-पोषण करने, वृद्धि करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 31.03.2020 को कंपनी में कुल 173 कर्मचारी हैं जिसमें 16 अधिकारी एवं कामगार सहित 142 गैर अधिकारी हैं और टी & डी पर 5 एवं नियत ठेका अवधि पर 10 कर्मचारी शामिल हैं।

15. संबंधित पक्षकारों के साथ बनाए ठेके या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रविष्टित किए गए सभी संबंधित पक्षकार लेन-देन स्वतंत्र आधार पर और कारोबार के मामूली अनुक्रम में थे।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ भौतिक रूप से महत्वपूर्ण कोई भी लेन-देन नहीं थे जो कंपनी के हित के साथ संबंध में थे। कंपनी द्वारा प्रविष्टित सभी संबंधित लेन-देन, कारोबार के मामूली अनुक्रम में और स्वतंत्र आधार पर थे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ किये संविदाओं/करारों/ लेन-देन के विवरण निर्धारित प्रपत्र ए ओ सी-2 रिपोर्ट के परिशिष्ट - I के रूप में संलग्न किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उपयुक्तता

अपनी कंपनी को अपने व्यवसाय, आकार, पैमाना और प्रचालन के तौर - तरीकों की प्रकृति को अनुरूप करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और जोखिम शमन प्रणाली है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और उसको मज़बूत करने के लिए सुधार का सुझाव देती है।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति

कंपनी की वर्तमान नीति, बोर्ड पर पूर्णकालिक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित मिश्रण के लिए है जो निष्पक्ष निर्णय लेने और पेशेवर तरीके से अपने कार्यों के संचालन करने के लिए सक्षम बनाती है।

बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अधीन प्रदान किए गए अन्य मामलों सहित निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता के निर्धारण करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए पारिश्रमिक नीति अपनायी है।

9. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS OF THE COMPANY

There are no significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals which would impact the going concern status of the Company and its future operations.

10. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year to which these financial statements relate and on the date of this report.

11. CONTRIBUTION TO THE EXCHEQUER

Your company has contributed a sum of ₹20.55 lacs (previous year ₹85.04 lacs) to the exchequer of Central and State Government by way GST and excise duty.

12. BANK BORROWING

During the year, your company is continuing with the existing Cash Credit facility for working capital purpose from M/s. State Bank of India, Commercial Br., Thiruvananthapuram of Rs.915 lacs. Further, the company has borrowed loan from EDC Ltd during the 2019-20 for investment of capital expenditure. An amount of Rs. 200 lacs have already been approved as term loan by EDC and disbursed. Further the company also intends to borrow additional loan from EDC Ltd. during the year 2021-22 of Rs.100 lacs towards procurements of capital items.

13. INDUSTRIAL RELATIONS

During the year under review, industrial relations in the Company continued to be very cordial and peaceful.

14. HUMAN RESOURCES

The Company takes pride in the commitment, competence and dedication shown by its employees in all areas. The Company is committed to nurturing, enhancing and retaining top talent through superior Learning & Organizational Development. The total manpower of the Company as on 31.03.2020 was 173 numbers, consisting of 16 Officers and 142 Non-officers including workmen and 05 numbers of manpower on T&D and 10 on FTC.

15. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

All the Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in the ordinary course of business.

There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2019-20 which were in conflict with the interest of the Company. All related party transactions entered into by the Company were in the ordinary course of business and were on an arm's length basis. Particulars of contracts/arrangement/transaction made with related parties pursuant to section 188 (1) of the Companies Act, 2013 in the prescribed Form AOC-2 is appended as Annexure I of the report.

15. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND ADEQUACY

Your Company has an effective internal control and risk mitigation system to, commensurate with the nature of its business, size, scale and modalities of operations. The Audit Committee of the Board of Directors reviews the adequacy and effectiveness of the internal control systems and suggests improvements to strengthen the same.

16. POLICY ON DIRECTORS APPOINTMENT AND REMUNERATION AS PER SECTION 178(3) OF THE COMPANIES ACT, 2013

The current policy of the Company is to have an appropriate mix of Whole time and Independent Directors on the Board that enables to take unbiased decisions and conduct its affairs in a professional manner.

The Board has adopted the Policy of remuneration for Directors, Key Managerial Personnel and other employees including the criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of Directors and other matters provided under Section 178(3) of the Companies Act 2013.

17. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण

कंपनी में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार उत्पीडन विरोधी नीति है। सभी कर्मचारी नीति के अंतर्गत समाविष्ट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी कर्मचारी से कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी।

18. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अधीन प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में निर्धारित स्वतंत्रता का मानदंड पूरा करते हैं।

19. बोर्ड की समितियाँ

अब बोर्ड ने तीन समितियाँ; लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति गठित की हैं। प्रासंगिक सामितियों की संयोजन, शाक्ति, भूमिका संदर्भ की शतैं आदि के संबंध में एक विस्तृत नोट, कॉपौरेट आभिशासन अनुभाग की रिपोर्ट में दिए गए हैं तो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनता है।

20. जोखिम प्रबंधन नीति

आज के चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में, जोखिम प्रबंधन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोखिम प्रबंधन हमेशा कंपनी के व्यवसाय प्रथाओं का अभिन्न अंग है। आपकी कंपनी ने एक मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीति को अपनायी है। इस नीति का उद्देश्य सबसे अधिक संगत जोखिम से निपटने की प्रक्रिया को औपचारिक बनाना, विद्यमान प्रबंधन के प्रथाओं, ज्ञान एवं संरचनाओं के निर्माण करना है। नीति के आधार पर, कंपनी एक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का विकास करेगी, जिस में समाविष्ट हैं

- संदर्भ की स्थापना।
- जोखिम की पहचान एवं प्राथमिकता देना।
- जोखिम शमन योजना का विकास
- जोखिम के रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग

21. विसिल ब्लोवर नीति

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशा निर्देशों के उल्लंघन रिपोर्ट करने का तंत्र अपनाया है। कर्मचारी उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। कर्मचारियों से प्राप्त रिपोर्टें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की पहुँच से वंचित नहीं किया गया है और इस वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

22. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिवियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने कोई भी सिएसआर पहल कार्यक्रम नहीं किया है, कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की स्थापना की है। सिएसआर समिति के संबध में सांविधिक प्रकटीकरण और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी) कॉर्पेरेट सामाजिक जिम्मेदारी) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, अनुबंध -III के रुप में इस रिपोर्ट के भाग वना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उप खंड 1 के अनुसार, तत्काल गत वित्तीय वर्ष के दौरान रु.500 करोड या उससे अधिक निवल मूल्य, या रु.1000 करोड से अधिक का व्यापारावर्त या 5 करोड या उससे अधिक निवल लाभ की प्रत्येक कंपनी सीएसआर समिति का गठन करेगी। धारा 135 के उप खंड 1 में उल्लिखित प्रत्येक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वह तीन तत्काल गत वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसतम निवल लाभ के कम से कम दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करते हैं।

जैसा कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उप खंड 1 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है, वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए रकम खर्च करने के प्रावधान लागू नहीं है।

23. कोर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी अच्छे कोर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के उच्चतम मानकें बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्पोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाएं प्रसन्न ग्राहकों, संतुष्ट आपूर्तिकारों, इच्छुक एवं प्रसन्न निवेशकों और लेनदारों, प्रगतिशील, एकीकृत और उत्थान समुदाय, प्रेरित कर्मचारियों,

17. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has in place of Anti-harassment Policy in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. All the employees are covered under the Policy. There was no complaint received from any employee during the Financial Year 2019-20.

18. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

The Company has received necessary declarations from Independent Director under Section 149(7) of the Companies Act 2013 that he meets the criteria of Independence laid down in Section 149(6) of the Companies Act 2013.

19. COMMITTEES OF THE BOARD

Presently the Board has constituted three committees; the Audit Committee, Nomination & Remuneration committee and Corporate Social Responsibility Committee.

20. RISK MANAGEMENT POLICY

In today's challenging and competitive Environment, Risk Management is a very important part of business. Risk Management has always been an integral part of business practices of the Company. Your Company has adopted a robust Risk Management Policy. The Policy aims at formalising a process to deal with the most relevant risks, building on existing management practices, knowledge and structures. Based on the policy, the Company will develop a Risk Management process covering:

- Setting the context
- Identifying and prioritizing the risk
- Developing Risk Mitigation Plan
- Risk reporting and monitoring

21. WHISTLE BLOWER POLICY

The Company has adopted a mechanism of reporting unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the company's general guidelines on conduct or ethics policy. The employees are free to report the violations. The reports received from the employees will be reviewed by the Audit Committee. It is affirmed that no personnel of the Company has been denied access to the Chairman of the Audit Committee and that no complaints were received during the year.

22. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As per sub section 1 of Section 135 of the Companies Act, 2013, every Company having net worth of Rs 500 crore or more, or a turnover of over Rs 1,000 crore or a net profit exceeding Rs 5 crore or more during the immediately preceding financial year shall constitute a CSR committee. Every Company referred in sub section 1 of Section 135 shall ensure that it spends in every financial year at least two percentage of the average net profit of the Company made during the three immediately preceding financial years.

As the company does not fulfil the criteria laid down in sub section 1 of Section 135 of Companies Act,2013, provisions regarding spending of amount towards CSR activities are not applicable during the year 2019-20.

23. CORPORATE GOVERNANCE

Your Company is committed to maintain highest standards of good corporate governance practice. The best practices of Corporate Governance will ensure delighted customers, satisfied suppliers, willing & happy investors and creditors, progressive, unified and uplifted community, motivated employees, assured government and enriched society. A detailed

आश्वासित सरकार और समृद्ध समाज को सुनिश्चित करेगा। कोर्पोरेट अभिशासन पर एक विस्तृत चर्चा इस रिपोर्ट का भाग बनता है। कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों की पर्याप्त पुष्टि करते हुए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाण-पत्र अनुबंध II के रूप में संलग्न है।

24. ऊर्ज संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी विनिमय अर्जन और अदायगी

कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अधीन अपेक्षित सूचना अनुबंध -III में दी जाती है और इस रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।

25. वार्षिक विवरणी का उद्धरण

कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार फार्म सं. एम जी टी -9 में वार्षिक विवरणी के उद्धरण अनुबंध IV के रूप में इस रिपोट ै में शामिल किया गया है।

26. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक लेनेवाले कर्मचारियों के विवरण के संबंध में सूचना लागू नहीं है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक आहरण करनेवाले कंपनी के कोई भी कर्मचारी नहीं है।

27. सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स यू.एन.बेने & कं., सनदी लेखाकार, मडगँव, गोवा (फर्म पंजीकरण सं. डब्लियु आर 0652) वित्तीय वर्ष 2019-20 केलिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक था। कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बनाए अवलोकन/प्रतिबधं उस पर पठित संगत टिप्पणियाँ आत्म व्याख्यात्मक है और अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अगली कोई टिप्पणी माँगती नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष 2020 - 21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक को अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है।

28. लागत लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत लेखा रिकोर्ड के अनुरक्षण, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के सभी उत्पादों और सेवाओं से उसके समग्र वार्षिक व्यापारावर्त की प्रारंभिक सीमा के रूप में वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी पर लागू है और व्यक्तिगत उत्पाद (ओं) या सेवा(ओं) के कुल व्यापारावर्त, केंद्र सरकार द्वारा 30 जून 2014 को जारी किए गए कंपनी (लागत रिकोर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 और 31 दिसंबर 2014 को जारी किए गए कंपनी (लागत रिकोर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 में उल्लिखित प्रारंभिक सीमा से अधिक है। हालाँकि लागत लेखापरीक्षा तत्काल गत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के सभी उत्पादों और सेवाओं से उसके समग्र वार्षिक व्यापारावर्त की प्रारंभिक सीमा के रूप में लागू नहीं है और व्यक्तिगत उत्पाद(ओं) और सेवा (ओं) का कुल व्यापारावर्त 30 जून 2014 को जारी किए गए कंपनी(लागत रिकोर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 और केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2014 को जारी किए गए कंपनी (लागत रिकोर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 में उल्लिखित प्रारंभिक सीमा से अधिक नहीं है।

कंपनी ने कार्य प्रगति के उत्पादों और तैयार मालों की लागत अभिनिश्चित करने के लिए कंपनियों के विशेष श्रेणियों के अनुसार आवश्यक लागत रिकोर्ड बनाया रखा है जो फॉर्म सीआरए-1 के अनुसार अपेक्षित है।

29. निदेशक मंडल के जिम्मेदारी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ग) की अपेक्षा के अनुसरण में, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि :

- वार्षिक लेखे की तैयारी में, उपयुक्त लेखा मानक महत्वपूर्ण माल विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किये गये थे।
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें लगातार लागू किया गया है और उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की दशा और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ व हानि का सही और निष्पक्ष चित्र देता है।

discussion on Corporate Governance forms part of this report. Compliance certificate issued by Practicing Company Secretary confirming the substantial compliance of conditions of the Corporate Governance is enclosed as Annexure-II.

24.CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The required information under section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 is given in Annexure-III and forming part of this report.

25. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The Extract of annual return in Form No. MGT- 9 as per section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of Companies Act (Accounts) Rules, 2014, and Rule 12 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is included in this report as Annexure-IV. .

26. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Information regarding particulars of employees drawing remuneration in excess of limit specified under Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is not applicable as none of the employees of the company draw remuneration in excess of the stipulated limit during the year under review.

27. STATUTORY AUDITORS

M/s. U. N. Bene & Co., Chartered Accountants, Margao, Goa (Firm Registration No. 117052W) was the statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2019-20. The observations/qualifications made in the Auditor's Report read together with relevant notes thereon are self-explanatory and hence do not call for any further comments under section 134 of the Companies Act, 2013.The Comptroller and Auditor General of India is yet to appoint Statutory Auditors of the company for the financial year 2020-21.

28. COST AUDIT

Maintenance of cost accounting records as per Section 148 of the Companies Act, 2013 is applicable to the Company for year 2019-20 as the threshold limits of the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year and the aggregate turnover of the individual product(s) or service(s) exceed the threshold limits mentioned in the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 issued on June 30, 2014 and the Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014 issued on December 31, 2014 by the Central Government. However, Cost Audit is not applicable as the as the threshold limits of the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year and the aggregate turnover of the individual product(s) or service(s) does not exceed the threshold limits mentioned in the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 issued on June 30, 2014 and the Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014 issued on December 31, 2014 by the Central Government.

Company has maintained the necessary cost records as per the certain class of companies for ascertaining cost of products of work in progress & finished goods which are required as per form CRA-1.

29. RESPONSIBILITY STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the requirement clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013, your Directors confirm that:

- In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानें के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखा आगे ले जाने के आधार पर तैयार किया था; और
- निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और उन ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से प्रचालन कर रही हैं।

30. सचेतक बयान

इस निदेशक रिपोर्ट में विवरण कंपनी के भविष्य के विकास, आकलन या अनुमानों वर्तमान व्यापार वातावरण पर आधारित है। वास्तविक परिणाम उन व्यक्त या निहित से प्रत्यक्ष रूप से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को चेतावनी दी जाती है कि वे दूरंदेशी विवरणों पर अनुचित दृढ विश्वास न रखें।

31. कृतज्ञता

निदेशक मंडल ने गोवा सरकार को विशेषतः खाद्य एवं औषध प्रशासन के निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, गोवा मेडिकल कॉलेज & ईएसआईसी, आन्ध्रा प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, कर्नाटका सरकार को उनके समर्थन की ओर धन्यवाद अदा कर दिया।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, मैसर्स यू.एन.बेने & कं., सनदी लेखाकार, मडगाँव, गोवा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके सुझाव और सहयोग के प्रति आभारी हैं।

निदेशक, कंपनी के बैंकरों, विशेषतः भारतीय स्टेट बैंक को उनके समर्थन के प्रति कृतज्ञता अदा करते हैं।

निदेशक, कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों और आपूर्तिकारों को कंपनी में उनके समर्थन एवं आत्मविश्वास के प्रति धन्यवाद अदा करते हैं और भविष्य में भी यह जारी रखने की उत्सुकता है।

निदेशक इस अवसर पर कंपनी के कामगार, स्टाफ और अधिकारियों से प्राप्त हार्दिक एवं ईमानदारी सहयोग के प्रति कंपनी अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की तरफ से

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष
डी आई एन :08419099

स्थान : पेरनम, गोवा
दिनांक : 27-01-2021

- The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

CAUTIONARY STATEMENT

Statements in this Directors Report describing Company's future developments, estimations or projections are based on current business environment. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Readers are cautioned not to place undue conviction on the forward-looking statements.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of directors have placed on record their thanks to Govt. of Goa, particularly Directorate of Food & Drugs Administration, Directorate of Health Services, Goa Medical College & ESIC, Govt. of Andhra Pradesh, Govt. of Telangana, for their support.

Directors are grateful to the Comptroller and Auditor General of India, M/s. U. N. Bene & Co, Chartered Accountants, Margao, Goa, the Statutory Auditors, for their suggestions and co-operation.

Directors place on record their thanks to the Company's bankers particularly State Bank of India for their support.

Directors thanks are due to the company's valued customers and suppliers for their support and confidence in the Company and look forward to the continuation of the same in future.

Directors take this opportunity to place on record their appreciation for the wholehearted and sincere co-operation the Company has received from the workers, staff and officers of the company.

For and on behalf of the Board of Directors

K. Beji George, IRTS
Chairman
DIN 08419099

Place: PERNEM, GOA
Date: 27-01-2021

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

1. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की बनावट

आपकी कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार एक बोर्ड होगा जिस में तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों सहित नौ (9) से अधिक निदेशकों का सभावेश नहीं होगा। जब तक ईडीसीएल जीएपीएल के शेयरों के 26% का नियंत्रण किया जा रहा है, वे जीएपीएल के बार्ड पर दो (2) निदेशकों को नामित करने के लिए हकदार होंगे, जिनमें से एक ईडीसीएल के प्रबंध निदेशक होगा और दूसरे गोवा सरकार के एक अधिकारी जो गोवा सरकार में सचिव रैंक के नीचे का नहीं हो। जब तक एचएलएल जीएपीएल के शेयरों की 74% नियंत्रण किया जा रहा है, वे जीएपीएल के बोर्ड पर चार (4) निदेशकों को नामित करने के हकदार होंगे। एचएलएल और ईडीसीएल क्रमशः दो (2) और एक (1) स्वतंत्र निदेशक को नामित करने को हकदार होंगे। एचएलएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जीएपीएल के अध्यक्ष होंगे, जो एचएलएल द्वारा नामित किए गए चार निदेशकों के बीच में से एक होगा ।

समाप्ति

निम्नलिखित निदेशक कंपनी से कार्यमुक्त हो गए।

- श्री जे.अशोक कुमार,आई ए एस ने 20.11.2019 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए।
- डॉ प्रदीप नाइक ने 16.04.2020 से स्वतंत्र निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए।
- डॉ.प्रदीप नाइक स्वतंत्र निदेशक ने 16.04.2020 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए।

नियुक्तियाँ

- डॉ.धर्मेंद्रा एस. गंगवार, आई ए एस को 02.04.2019 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
- श्रीमती निला मोहनन, आई ए एस को 20.11.2019 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

31 मार्च, 2020 तक के निदेशक मंडल की बनावट निम्न जैसे हैं:

निदेशक का नाम	डी आई एन	वर्तमान कार्यकाल में नियुक्ति की तारीख	निदेशक की श्रेणी	संभाले अन्य निदेशकशिप की संख्या	अन्य कंपनियों में मंडल समिति की सदस्यता अध्यक्षता की संख्या
श्री के.बेजी.जोर्ज, आई आर टी एस अध्यक्ष	08419099	27/03/2019	एचएलएल नामिती	7	कोई नहीं
डॉ.धर्मेंद्रा एस. गंगवार, आई ए एस, निदेशक	08299862	02/04/2019	सरकार नामिती	4	कोई नहीं
डॉ.गीता शर्मा निदेशक	08225251	21/08/2018	एचएलएल नामिती	6	कोई नहीं
श्री टी.राजशेखर निदेशक	07808705	16/05/2017	एचएलएल नामिती	1	2
श्री के.वी.बल्लीकर, निदेशक	06813361	01/05/2018	ई डी सी नामिती	3	कोई नहीं
श्रीमती निला मोहनन, आई ए एस		20/11/2019	ई डी सी नामिती		
डॉ.प्रदीप नाइक स्वतंत्र निदेशक	07220810	17/04/2015	स्वतंत्र निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BOARD OF DIRECTORS

Composition of Board of Directors

According to Articles of Association of your Company, it shall have a Board consisting of not more than nine (9) directors, including three (3) Independent Directors. So long as EDCL continues to hold 26% of the Shares of GAPL, they shall be entitled to nominate two (2) directors on the Board of GAPL, one of whom shall be the Managing Director of EDCL and the other will be an officer of Government of Goa not below the rank of Secretary in Government of Goa. So long as HLL continues to hold 74% of the Shares of GAPL, they shall be entitled to nominate 4 (four) directors on the Board of GAPL. HLL and EDCL shall be entitled to nominate two (2) and one (1) Independent Directors respectively. The Chairman & Managing Director of HLL shall be Chairman of GAPL, who shall be one amongst the four Directors nominated by HLL.

Cessation

The following Directors have ceased from the Company:

- Shri J. Ashok Kumar, IAS ceased as Director from the Company w.e.f. 20.11.2019.
- Dr.Pradeep Naik, ceased as Independent Director from the Company w.e.f. 16.04.2020

Appointments:

- Dr. Dharmendra S. Gangwar, IAS appointed as Director w.e.f. 02.04.2019
- Shri. Nila Mohanan, IAS appointed as Director w.e.f. 20.11.2019

The Composition of the Board of Directors as on 31stMarch, 2020 is given below:

Name of the Director	DIN	Date of appointment in the current term	Category of Director	No of other Directorship held	No.of membership/ chairmanship of Board committee in other companies
Shri K. Beji. George, IRTS Chairman	08419099	27/03/2019	HLL Nominee	7	None
Dr.Dharmendra S.Gangwar IAS, Director	08299862	02/04/2019	Govt. Nominee	4	None
Dr.Geeta Sharma Director	08225251	21/08/2018	HLL Nominee	6	None
Shri T. Rajasekar Director	07808705	16/05/2017	HLL Nominee	1	2
Shri K. V. Ballikar Director	06813361	01/05/2018	EDC Nominee	3	None
Shri. Nila Mohanan IAS Director		20/11/2019	EDC Nominee		
Dr.Pradeep Naik Independent Director	07220810	17/04/2015	Independent director	None	None

II. बैठक और हाजिरी

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें यानी 3 जून, 2019, 28 अगस्त, 2019, 20 नवंबर, 2019 और 19 मार्च, 2020 को आयोजित की गयीं। बोर्ड बैठक और पिछली वार्षिक सामान्य बैठक की उपस्थिति की सूचना नीचे दी जाती हैं:

निदेशक का नाम	वर्ष/कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	2018-19 के दौरान बैठक की हाजिरी	
		बोर्ड बैठकें	अंतिम ए जी एम 24.9.2019
श्री के.बेजी.जोर्ज, आई आर टी एस, अध्यक्ष	4	4	उपस्थित
डॉ.धर्मेंद्रा एस. गंगवार, आई ए एस, निदेशक	4	1	-
डॉ.गीता शर्मा, निदेशक	4	4	उपस्थित
श्री टी.राजशेखर, निदेशक	4	3	प्रतिनिधि
के.वी.बल्लीकर, निदेशक	4	3	उपस्थित
डॉ.प्रदीप नाइक, स्वतंत्र निदेशक	4	3	उपस्थित
श्री जे.अशोक कुमार, आई ए एस, निदेशक	2	–	–

2. अन्य मंडल स्तर की समितियाँ

1. लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा समिति कंपनी के कॉर्पोरेट अभिशासन तंत्र के मुख्य स्तंभों में एक है। लेखापरीक्षा समिति, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया प्रामाणिकता में विश्वास को बढाने का लक्ष्य करती है और यह लेखापरीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच की एक कडी के रूप में कार्य करती है।

बनावट

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में तीन निदेशक शामिल हैं। लेखापरीक्षा समिति की 31.03.2020 तक की बनावट निम्नानुसार है :

डॉ.प्रदीप नाइक/ स्वतंत्र निदेशक ..... अध्यक्ष

श्री टी.राजशेखर ..... सदस्य

श्री के.वी.बेल्लीकर ..... सदस्य

कंपनी एचएलएल द्वारा नामांकित होने पर लेखापरीक्षा समिति में एक और स्वतंत्र निदेशक को शामिल करके लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन करेगी।

i. लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

ii. कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के शर्तों के लिए सिफारिश;

iii. लेखापरीक्षकों के स्वतंत्रता और निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और अनुवीक्षण;

vi. वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परीक्षण;

v. संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या कोई भी आगामी संशोधन;

vi. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण एवं निवेशों की जाँच पड़ताल;

vii. जहाँ कहीं आवश्यक है, कारोबार या कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

viii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के मूल्यांकन; और

ix. पब्लिक ऑफर और संबंधित मामलों के माध्यम से उठायी निधियों का अनुवीक्षण।

II. Meeting and Attendance

During the financial year ended 31st March, 2020, the Board of Directors of the Company met four (4) times, i.e. on 03rd June, 2019, 28th August, 2019, 20th November, 2019 and 19th March, 2020. Information of attendance at the board meetings and the last Annual General Meeting is given below.

Name of the Director	No. of Board Meetings held during the Year/tenure	Attendance of meeting during 2019-20	
		Board Meetings	Last AGM 24.9.2019
Shri K. Beji. George, IRTS Chairman	4	4	Attended
Dr. Dharmendra S. Gangwar, IAS Director	4	1	--
Dr. Geeta Sharma, Director	4	4	Attended
Shri T. Rajasekar Director	4	3	Proxy
Shri K. V. Ballikar, Director	4	3	Attended
Dr. Pradeep Naik, Independent Director	4	3	Attended
Shri J. Ashok Kumar, IAS- Director	2	--	-

2. OTHER BOARD LEVEL COMMITTEES

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee at the Board level is one of the main pillars of Corporate Governance mechanism of the Company. Audit Committee aims to enhance the confidence in the integrity of Company's financial reporting, Internal control processes and act as a link between the Auditors and Board of Directors.

Composition

The Company's Audit Committee comprises three Directors. **The composition of Audit Committee as on 31.03.2020 is as below:**

Dr Pradeep Naik/Independent Director ..... Chairman

Shri T Rajasekar ..... Member

Shri K. V. Ballikar ..... Member

The Company will reconstitute the Audit Committee by inducting one more Independent Director to the Audit Committee as and when nominated by HLL.

The terms of reference of the Audit Committee are the following:

i. Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;

ii. Review and monitor the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;

iii. Examination of the financial statement and the auditors' report thereon;

iv. Approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties;

v. Scrutiny of inter-corporate loans and investments;

vi. Valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;

vii. Evaluation of internal financial controls and risk management systems; and

viii. Monitoring the end use of funds raised through public offers and related matters.

ix. Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.

x. कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वास योग्य सुनिश्चित करने की ओर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और इसके वित्तीय विवरण का प्रकटीकरण करना।

xi. लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण मंडल को सिफारिश करना।

xii. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई कोई अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले विशेष संदर्भ के साथ प्रबंध के साथ समीक्षा करना ।

क. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले निदेशकों के जिम्मेदारी विवरण में शामिल किए जानेवाले आवश्यक मामले;

ख. लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में यदि कोई परिवर्तन है और उसके कारण;

ग. प्रबंध द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर प्राकलन सहित मुख्य लेखांकन प्रविष्टियाँ;

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में बनाए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के साथ अनुपालन;

च. कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; और

छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रतिबंध;

xiii बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पहले प्रबंध के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।

xiv प्रबंध के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

xv आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रधान कर रहे अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, विस्तार और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति सहित कोई आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यकलापों की पर्याप्तता है तो समीक्षा करना।

xvi किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

xvii आंतरिक लेखा परीक्षकों/ अभिकरणों द्वारा कोई आंतरिक जाँच-पडताल के परिणाम की समीक्षा करना जहाँ मामले की संदेहित धोखेबाज़ी, अनियमिता या महत्वपूर्ण प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है और मामला बोर्ड को रिपोर्ट करना।

xvii लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के बारे में चर्चा करने के साथ-साथ कोई उद्धिग्नता के क्षेत्र के पता लगाने के लिए उत्तर लेखा परीक्षा की चर्चा करना।

xix जमाकर्ताओं, ऋणपत्रधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के गैर-भुगतान के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के लिए कारणों पर जाँच-पडताल करना।

xx विसिल ब्लोवर मेकानिसम के कार्य की समीक्षा करना।

xxi नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

xxii संसद के सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सी ओ पी यु) सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

xxiii स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच में एक खुला संचार व्यवस्था का अवसर प्रदान करना।

xxiv कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेनों की समीक्षा करना। इस उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को पदनामित करेगा, जो संबंधित पार्टी लेनदेनों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

xxv स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ कवरेज की पूर्णता, निरर्थक प्रयासों की कमी और सभी लेखा परीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को आश्वस्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वयन की समीक्षा करना।

xxvi स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंध के साथ निम्नलिखित का विचार करना और समीक्षा करना :

- कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

- प्रबंध प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक के संबंधित निष्कर्षों और सिफारिशें।

xxvii प्रबंध, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित का विचार करना और समीक्षा करना:

x. Recommending to the Board the fixation of audit fees.

xi. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors.

xii.Reviewing, with the management, the annual financial statements before submission to the Board for approval, with particular reference to:

a. Matters required to be included in the Directors Responsibility Statement to be incorporated in the Board's report in terms of Section 134 of the Companies Act 2013;

b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;

c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;

d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;

e. Compliance with legal requirements relating to financial statements;

f. Disclosure of any related party transactions; and

g. Qualifications in the draft audit report.

xiii) Reviewing, with the management, the yearly financial statements before submission to the Board for approval.

xiv. Reviewing, with the management, performance of internal auditors and adequacy of the internal control systems.

xv. Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit.

xvi. Discussion with internal auditors and/or auditors on any significant findings and follow up there on.

xvii. Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

xviii.Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

xix. To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.

xx. To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.

xxi. To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit

xxii.To review the follow up action taken on the recommendations of Committee on Public Undertakings (COPU) of the Parliament.

xxiii.Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.

xxiv.Review all related party transactions in the company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for reviewing related party transactions.

xxv)Review with the independent auditor the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.

xxvi. Consider and review the following with the independent auditor and the management:

- The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
- Related findings and recommendations of the independent auditor and internal auditor, together with the management responses.

xxvii) Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:

- पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशें की स्थिति सहित चालू वर्ष के महत्वपूर्ण निष्कर्ष
- कार्यकलापों के कार्य-क्षेत्र या अपेक्षित जानकारी की पहूँच पर कोई भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामना करने पडी कठिनाइयाँ।

xxviii लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ के शर्तो में उल्लेखित किए जैसे कोई अन्य कार्य कार्यान्वित करना।

बैठकें और हाजिरी

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक दिनांक 29.05.2019 को आयोजित की गईं। बैठक में सदस्यों की हाजिरी निम्न जैसी हैं :

समिति सदस्य का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डॉ प्रदीप जी नाइक	1	1
श्री टी.राजशेखर	1	1
श्री के.वी.बल्लीकर	1	1
श्री अमोदा यु.बेने, सांविधिक लेखापरीक्षक उपस्थिति में	1	1

II नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में निर्धारित विषयों सहित समिति के कार्य-क्षेत्र और विचारार्थ विषयों को शामिल करके बढ़ाया गया है।

बनावट

नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित 4 निदेशक शामिल हैं।

1. डॉ.प्रदीप जी नाइक ..... अध्यक्ष
2. श्री टी.राजशेखर ..... सदस्य
3. डॉ.गीता शर्मा ..... सदस्य
4. श्री के.वी.बेल्लीकर ..... सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ शर्त निम्नलिखित हैं:

क) निदेशक के योग्यताएँ, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में एक नीति बोर्ड को सिफारिश करना।

ख) यह सुनिश्चित करना है कि पारिश्रमिक के स्तर और संरचना उचित और पर्याप्त है, निष्पादन पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट है और निष्पादन बैंच मार्क पूरा करता है, और निश्चित तथा प्रोत्साहन वेतन के बीच में एक संतुलन शामिल है।

ग) निर्धारण मानदंडों के अनुसार लोगों की पहचान करना जिनको वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है ।

घ) हर निदेशक के निष्पादन के मूल्यांकन करना और उसका/ उसकी निष्पादन के आधार पर नियुक्ति और हटाने की सिफारिश बोर्ड को देना।

बैठक और हाजिरी

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

III. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति

सीएसआर गतिविधियों के अनुपालन से संबंधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू है। तदनुसार, कंपनी ने सीएसआर समिति का गठन किया है। सीएसआर समिति की वर्तमान रचना इस प्रकार है।

डॉ.प्रदीप जी.नाइक (स्वतंत्र निदेशक) ..... अध्यक्ष

- Significant findings during the year, including the status of previous audit recommendations.
- Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.

xxviii) Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

Meetings and Attendance

During the financial year ended 31stMarch, 2020, one meeting of the Audit Committee was held on 29.5.2019. The attendance of the members at the meeting was as follows:

Name of the CommitteeMember	No. of meetings held during the tenure	No. of meetings attended
Dr. Pradeep G. Naik	1	1
Shri T. Rajasekar	1	1
Shri K. V. Ballikar	1	1
In attendance Shri Amoda U Bene, Statutory Auditors	1	1

II Nomination and Remuneration Committee

The scope and terms of reference of the Committee was enlarged by including the matters specified in Section 178 of the Companies Act, 2013.

Composition

The Nomination and Remuneration Committee consists of the following 4 directors.

1. Dr. Pradeep Naik ...... Chairman
2. Shri T. Rajasekar ...... Member
3. Dr. Geeta Sharma ...... Member
4. Shri K. V. Ballikar ...... Member

The terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee are the following:

a. Formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board a policy, relating to the remuneration for the directors, key managerial personnel and other employees.

b. Ensure that level and composition of remuneration is reasonable and sufficient, relationship of remuneration to performance is clear and meets performance benchmarks, and involves a balance between fixed and incentive pay.

c. Identify persons who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down.

d. To carry out evaluation of every director's performance and recommend to the board his/her appointment and removal based on the performance.

Meetings and Attendance

During the current financial year no meeting was held.

III Corporate Social Responsibility Committee

The provisions relating to the compliance regarding CSR activities are applicable from the financial year 2017-18. Accordingly, the Company has constituted CSR Committee. The present composition of CSR Committee is as under.

Dr. Pradeep Naik (Independent Director) ...... Chairman

डॉ गीता शर्मा, निदेशक ..... सदस्य

श्री टी.राजशेखर, निदेशक ..... सदस्य

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी ।

IV. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के साथ पठित के अनुसार कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) नियम 2014 जो 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया है, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशकों/कार्यपालकों को कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (के एम पी) के रूप में रिपोर्ट की तारीख पर पारिश्रमिक सहित नियुक्त किया है :

1. श्री रेजु स्करिया – सी ई ओ
2. श्री पी. विजयकुमार – सी एफ ओ

निदेशकों के पारिश्रमिक

जीएपीएल संयुक्त रूप से एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (नियंत्रण कंपनी) और ईडीसी लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) के स्वामित्व में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। निदेशकों को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और ईडीसी लिमिटेड एक साथ नियुक्त किये जाते हैं। निदेशकों को उनके संबंधित नियुक्ति संगठनों में पारिश्रमिक प्राप्त होते हैं। एचएलएल और ईडीसी द्वारा गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों को भी नियुक्त किए जाते हैं और बोर्ड बैठक और बोर्ड द्वारा नियुक्त उप समितियों की प्रत्येक बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹10,000/- के बैठक शुल्क प्रदत्त किए जाते हैं।

V. कंपनी नीतियाँ

1. संबंधित पार्टी लेन-देन को निपटने की नीति :
   कंपनी संबंधित पार्टी लेन - देन को निपटने पर, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के सभी संगत प्रावधानों के सख्त रूप से अनुसरण करती है।
2. नामांकन और पारिश्रमिक नीति :
   कंपनी निदेशकों की पारिश्रमिक नीतियों से संबंधित डी पी ई मार्गनिर्देशों के तहत शासित की जाती है। कंपनी ने इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित संगत मार्गनिर्देशों के साथ अनुपालन किया था।

VI. बोर्ड चार्टर

न्यासी के रूप में बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी को उपलब्धि के लिए स्पष्ट लक्ष्य और नीतियाँ हैं जो कंपनी के दृष्टिकोण और लक्ष्य के साथ गठबंधित है। बोर्ड स्ट्राटेजिक निर्देश प्रदान करता है, कॉर्पोरेट निष्पादन की समीक्षा करता है, स्ट्राटेजिक निर्णयों का अधिकृत करता है और अनुवीक्षण करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और पणधारियों की हित की सुरक्षा करता है। निदेशक मंडल, निदेशक मंडल द्वारा कंपनी में अभिस्वीकृत बोर्ड चार्टर का पालन करता है, जो कंपनी के निदेशक मंडल के कर्तव्य, संरचना, उत्तरदायित्व और प्रचालन और उसके प्राधिकार के प्रत्यायोजन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है।

VII. व्यवसाय आचरण संहिता और आचार

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मंडल सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध के लिए आचरण संहिता और आचार निर्धारित किया है। सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने वर्ष 2019-20 के दौरान आचरण संहिता के साथ अनुपालन करने की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा इस प्रभाव की घोषणा इस रिपोर्ट का भाग बनती है।

जीएपीएल लिमिटेड के पणधारियों को

विषय : आचरण संहिता और आचार के साथ अनुपालन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी मंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचारण संहिता के साथ अनुपालन का समर्थन किया है।

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष
डी आई एन : 08419099
दिनांक : 11.09.2020
स्थान : पेरनम, गोवा

Dr. Geeta Sharma, Director	......	Member
Shri K. V. Ballikar, Director	......	Member

During the current financial year, no meeting was held.

IV. APPOINTMENT OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to the provisions of Section 203 of Companies Act 2013 read with Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014, which have come into force from 1st April, 2014 the Board of directors has appointed the following Directors/Executives as the Key Managerial Personnel (KMPs) of the Company as on the date of the report:

1. Shri. Reju Skaria ...... CEO
2. Shri P. Vijaykumar ...... CFO

REMUNERATION OF DIRECTORS

GAPL is a Public Sector Enterprise jointly owned by HLL Lifecare Limited [Holding Company] and EDC Limited [Associate Company]. The Directors are appointed together by HLL Lifecare Limited and EDC Limited. The Directors receive remuneration in their respective appointing Organizations. Non-official part-time Independent Directors are also appointed by HLL and EDC Ltd and are paid a sitting fee of ₹ 10,000/- for attending each meeting of the Board and the Board appointed Sub Committees.

V. COMPANY POLICIES

1. Policy on dealing with Related Party transactions:

The Company strictly follows all relevant provisions in the Companies Act, 2013 and the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 on dealing with Related Party transactions.

2 Nomination and Remuneration Policy:

The Company is governed under DPE Guidelines regarding the Remuneration Policies of Directors. The Company had complied with the relevant guidelines prescribed by the Department of Public Enterprises in this regard.

VI. BOARD CHARTER

As Trustees of the Company, the Board ensures that the Company has clear goals and policies for achievement which are in alignment with the Vision and Mission of the company. The Board provides strategic directions, reviews corporate performance, authorizes and monitors strategic decisions, ensures regulatory compliances and safeguards interest of stakeholders. The Board of Directors adhere to the Board Charter adopted by the Board of Directors, which clearly sets out the role, structure, responsibilities and operation of Company's Board of Directors and its delegation of authority.

VII. CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors of your Company has laid down a Code of Conduct and Ethics for the Board Members and Senior Management of the Company. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct during the year 2019-20. A declaration to this effect by the Chairman forms part of this report.

To the Stakeholders of Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited
Sub: Compliance with Code of Conduct and Ethics
I hereby declare that all the Board Members and Senior Management Personnel
have affirmed compliance with the Code of Conduct as adopted by the Board of Directors

K. Beji George, IRTS
-Chairman
DIN 08419099
Date : 11.09.2020
Place : PERNEM,GOA

VIII. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

स्वतंत्र निदेशक कंपनी के प्रत्येक व्यवसायों के निष्पादन, आगे ले जा रही कार्यनीति और कंपनी द्वारा लिए जा रहे/प्रस्तावित नए पहलुओं पर नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं।

IX. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

मंडल को कंपनी के अंतर्गत कोई भी सूचना के लिए संपूर्ण पहूँच है। मंडल को सदा नियमित रूप से प्रदान की गई सूचना में शामिल हैं :

क) वार्षिक प्रचालन योजना एवं बजट और कोई भी अपडेट।

ख) वार्षिक खाता, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।

ग) कंपनी की तिमाही परिणाम।

घ) लेखा परीक्षा समिति और मंडल के अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

ङ) प्रमुख निवेश, समनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के गठन, स्ट्रैटेजिक गठबंधन आदि ।

च) बडे संविदा प्रदान करना ।

छ) निदेशकशिप के बारे में निदेशकों की हित का प्रकटीकरण और अन्य कंपनियों में उनके द्वारा अधिकृत समिति पद।

ज) विभिन्न चालू परियोजनाएँ/योजना और बजट विनियोजन की स्थिति पर रिपोर्ट।

झ) मानव संसाधन/ औद्योगिक संपर्क कार्यों में वेतन करार के हस्ताक्षर आदि जैसे कोई भी महत्वपूर्ण विकास।

ञ) लाभांश का गैर भुगतान, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि जैसे कोई भी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और अंशधारियों की सेवा का गैर-अनुपालन।

ठ) अन्य वास्तविक महत्वपूर्ण सूचना।

X. बैठकोत्तर अनुवर्ती प्रणाली

कंपनी के अभिशासन प्रक्रिया में मंडल और मंडल समिति (ओं) के निर्णयों पर ली गई/लंबित कार्रवाई के लिए प्रभावी बैठकोत्तर अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल हैं।

XI. शेयरधारण स्वरूप

जीएपीएल को भारत या विदेश के कोई भी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। कंपनी की 74% प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा और शेष 26% ईडीसी लिमिटेड द्वारा रखी गयी है।

XII. सामान्य बैठकें

कंपनी के पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों की तिथि, समय और स्थान निम्नानुसार हैं:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान	क्या विशेष संकल्प(पें) पारित किया गया या नहीं
36वीं	2016-2017	22/09/2017	पूर्वाह्न 10.00 बजे	गोवा	कोई नहीं
37वीं	2017-2018	26/09/2018	पूर्वाह्न 11.30 बजे	गोवा	कोई नहीं
38वीं	2018-2019	24/09/2019	पूर्वाह्न 10.30 बजे	गोवा	कोई नहीं

39वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान।

तिथि	समय	स्थान
22.12.2020	10.30 A.M.	पेरनम, गोवा
27.01.2021	04.30 P.M.	पेरनम, गोवा

XIII प्रकटीकरण

- वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी और उसके मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच के लेन-देन के विवरण, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे की टिप्पणी की मद सं. 37 में दिए जाते हैं। इन लेन-देनों को बडे पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित संघर्ष नहीं है। संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेने देन सामान्य व्यापार और व्यतिरेक के मूल्य पर थे।

- कंपनी द्वारा कोई भी गैर अनुपालन और कोई भी सांविधिक भुगतान अपेक्षाओं पर कोई भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जुर्माना, निंदा कंपनी पर आरोपित करने के कोई मामले नहीं थे।

- वित्तीय विवरण की तैयारी करते समय कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित सभी सुसंगत लेखा मानकों का पालन किया है।

VIII INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING

Independent Director is regularly updated on performance of each line of business of the Company, strategies and new initiatives being taken/proposed to be taken by the Company.

IX. INFORMATION TO BE PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS

The Board has complete access to any information within the Company. The information inter alia, regularly supplied to the Board includes:

a. Annual operating plans and budgets and any updates.
b. Annual Accounts, Directors' Report, etc.
c. Quarterly results of the company.
d. Minutes of meetings of audit committee and other committees of the Board.
e. Major Investments, formation of Subsidiaries and Joint Ventures, Strategic Alliances, etc.
f. Award of large Contracts.
g. Disclosure of Interest by Directors about directorship and committee positions occupied by them in other Companies.
h. Report on the status of various ongoing projects/scheme and budget utilization.
i. Any significant development in Human Resources/Industrial Relations front like signing of wage agreement, etc.
j. Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders' service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
k. Other materially important information.

X. POST MEETING FOLLOW-UP SYSTEM

The Governance process in the Company includes an effective post-meeting follow-up, review and reporting process for action taken/pending on decisions of the Board and the Board Committee(s).

XI. SHAREHOLDING PATTERN

GAPL is not listed at any Stock Exchange in India or abroad. 74% of the paid up equity share capital of the Company is held by HLL Lifecare Limited and the remaining 26% is held by EDC Limited.

XII GENERAL BODY MEETINGS

The Date, Time and Venue of the last three Annual General Meetings of the Company are as follows:

AGM	Financial Year	Date	Time	Venue	Whether Special Resolution (s) Passed or Not
36th	2016-17	22/09/2017	10.00 A.M.	GOA	None
37th	2017-18	26/09/2018	11.30 A.M.	GOA	None
38th	2018-19	24/09/2019	10.30 A.M.	GOA	None

Date, Time and Venue of 39th AGM and Adjourned AGM of the company

Date	Time	Venue
22.12.2020	10.30 A.M.	PERNEM, GOA
27.01.2021	04.30 P.M.	PERNEM, GOA

XIII DISCLOSURES

- Details of transactions between the Company and its key managerial personnel during the year 2019-20 are given as Note No.37 to the Annual Accounts for the year ended 31 March, 2020. These transactions do not have any potential conflict with the interests of the Company at large. All transactions with the related parties were in the ordinary course of business and at arm's length price.
- There were no cases of non-compliance by the company and penalties, strictures imposed on the company by any statutory authority on any statutory payment requirements.
- Company has followed all relevant Accounting Standards notified by the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 while preparing the Financial Statements.

- व्यय के कोई भी मद खाता बही में जमा नहीं किया गया है, जो कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों के लिए नहीं है।
- कंपनी ने पर्याप्त रूप से अपनी सभी परिसंपत्तियों और कंपनी के व्यापार के साथ संबंधित विभिन्न व्यवसाय जोखिमों के साथ बीमा किया और इस के लिए विधिवत् बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया।
- कंपनी ने विसिल ब्लोवर नीति को अपनाया और यह पुष्टि की जाती है कि किसी व्यक्ति को संदिग्ध उल्लंघन की रिपोर्टिंग के संबंध में लेखापरीक्षा समिति में पहुँच निषेध नहीं कर दिया गया है।

XIV. सामान्य सूचना

1. निदेशकों का प्रशिक्षण :

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश मई 2010 को अपनाया है। डी पी ई दिशानिर्देशों के आधार पर, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति अपनायी है।

2. संचार का साधन :

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के समयोचित प्रकटीकरण अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन अभ्यास का मूल है। इसकी ओर आप की कंपनी ने निम्नलिखित पहल की हैं :

वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	कंपनी अपने लेखे के वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण कार्यालयीन वेबसाइट www.gaplgoa.com में प्रकाशित करती है।
समाचार विज्ञप्ति	कार्यालयीन समाचार विज्ञप्तियाँ मूल कंपनी एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड द्वारा उसकी मासिक कॉर्पोरेट न्यूज़ लेटर, त्रैमासिक कॉर्पोरेट न्यूज़ पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित की जाती हैं।
वेबसाइट	कंपनी के कॉर्पोरेट वेबसाइट www.gaplgoa.com उत्पादों, व्यवसाय खंडों, आगामी परियोजनाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।
वार्षिक रिपोर्ट	कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और उस पर पात्र अन्य सांविधिक लेखापरीक्षकों को परिचालित की जाती है।

3. संयंत्र स्थान

विनिर्माण	संयंत्र का नाम एवं स्थान	पता
वियल, कैप्सूल, गोली और सिरप	जीएपीएल फैक्टरी, गोवा	जीएपीएल, टुएम इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास, टुएम, पेर्नेम, गोवा - 403512

- There were no items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business of the Company.
- The company has adequately insured all its assets and also the various business risks connected with the business of the company and that it has duly paid insurance premium.

- The Company has adopted Whistle Blower policy and it is affirmed that no person has been denied access to the Audit Committee in respect of reporting of suspected violations.

XIV. GENERAL INFORMATION

1. Training of Directors:

The Company has adopted Guidelines on Corporate Governance May 2010 issued by Department of Public Enterprise. Based on the DPE guidelines the company has adopted Training policy for board members.

2. Means of communication:

Timely disclosure of relevant and reliable information is at the core of good Corporate Governance practice. Towards this end your Company has taken following initiatives:

Annual Audited	The company publishes its annual audited statement of accounts in the official
Financial Statements	website www.gaplgoa.com
News Releases	Official news releases are published by the Holding Company; HLL Lifecare Limited through its Monthly Corporate news letters Quarterly Corporate News Magazines.
Website	The Company's Corporate website **www.gaplgoa.com** provides comprehensive information about the products, business segments, upcoming Projects etc.
Annual Report	The Annual Report of the Company is circulated to the shareholders, Ministry of Health & Family Welfare, Comptroller and Auditor General of India and all others entitled thereto like Statutory Auditors etc.

3. Plant Locations

Manufacturing	Plant Name and Location	Address
Vial, Capsule, Tablet and Syrup	GAPL factory, Goa	GAPL, Near Tuem Industrial Estate, Tuem, Pernem, Goa-403512

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण

1. भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग - आउटलुक

अगले पाँच वर्षों में भारत में चिकित्सा खर्च 9-12 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारत दवा खर्च के मामले में प्रमुख 10 देशों में से एक बन जाएगा ।

आगे बढ़ते हुए, घरेलु बिक्री में बेहतर वृद्धि, कार्डियोवास्कुलार, आंटि-डायबेटिस, आंटि डिप्रेसन्ट्स और आंटि कैंसर जैसी बढ़ती रही बीमारियों के लिए एंटी थेरापी की ओर अपने उत्पाद फोर्टफोलिया को श्रेणीबद्ध करने की कंपनियों की क्षमता पर निर्भर रहेगी ।

भारत सरकार ने लागत को कम करने और स्वास्थ्यरक्षा खर्चों को कम करने के लिए कई कदमें उठाये हैं। बाज़ार में जेनेरिक औषधों का द्रुत प्रवेश फोकस में कर रहा और इससे भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों को लाभप्रद बनाने की प्रतीक्षा की जाती है । इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, जीवनरक्षा औषध और निवारक वैक्सीनों पर विश्वास फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है ।

सचेतक विवरण

कंपनी के भविष्य विकास, प्राकलनों या प्रक्षेपणों के वर्णन करनेवाले प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में विवरण, अग्रवर्ती विवरण हो जाय और चालू व्यवसाय परिवेश के आधार पर हैं। वास्तविक परिणाम, अभिव्यक्त या सूचित कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से अलग होगा। पाठकों को, दूरदेशी बयानों पर अनुचित दृढ विश्वास न रखने की चेतावनी दी जाती है।

निदेशक मंडल की तरफ से

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष
डिन : 08419099

स्थान : पेरनम, गोवा
तारीख : 11.09.2020

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Indian Pharmaceutical Industry - Outlook

Medicine spending in India is projected to grow 9-12 per cent over the next five years, leading India to become one of the top 10 countries in terms of medicines spending.

Going forward, better growth in domestic sales would also depend on the ability of companies to align their products portfolio towards chronic therapies for diseases such as cardiovascular, anti-diabetes, anti-depressants and anti-cancers that are on the rise.

The Indian Government has taken many steps to reduce costs and bring down healthcare expenses. Speedy introduction of generic drugs into the market has remained in focus and is expected to benefit the India pharmaceutical companies. In addition, the thrust on rural health programmes, lifesaving drugs and preventive vaccines also augurs well for the pharmaceuticals companies.

Cautionary statement

Statements in the Management Discussion and Analysis describing Company's future developments, estimations or projections may be forward looking statements and are based on current business environment. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Readers are cautioned not to place undue conviction on the forward-looking statements.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: PERNEM,GOA
Date: 11.09.2020

K. Beji George, IRTS
Chairman
DIN 08419099

अनुबंध -I

फार्म सं.एओसी- 2

कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 के अधिनियम और नियम 8(2) की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (एच) के अनुसार

तीसरे उपबंध के अधीन उससे कुछ व्यतिरेक लेन-देन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा प्रारंभ किये गये ठेके/व्यवस्थाओं विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्मः

1. व्यतिरेक के आधार पर न रहे ठेके या व्यवस्थाएँ या लेनदेन के विवरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रारंभित कोई ठेके या व्यवस्थाएँ या लेन - देन नहीं थे जो व्यतिरेक के आधार पर नहीं थे।

2. व्यतिरेक के आधार पर महत्वपूर्ण ठेका या व्यवस्था या लेन -देन के विवरण।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए व्यतिरेक के आधार पर महत्वपूर्ण ठेका या व्यवस्थाएँ या लेन -देन के विवरण इस प्रकार हैं:

संबंधित पार्टी(ओं) का नाम और संबंध की प्रकृति	ठेके या व्यवस्थाएँ/ लेन-देन की प्रकृति	ठेका या व्यवस्था/लेन - देन की अवधि	मूल्य सहित मुख्य शर्तें, यदि कोई है तो (लाखों में)	बोर्ड अनुमोदन की तारीख, यदि कोई है तो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी रकम यदि कोई है तो
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड - नियंत्रण कंपनी	अन्य व्यय	लागू नहीं	125.89	27-01-2021	शून्य
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड - नियंत्रण कंपनी	शेयरों में निवेश	लागू नहीं	708.75	27-01-2021	शून्य
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड - नियंत्रण कंपनी	अन्य देयताएं	लागू नहीं	93.36	27-01-2021	शून्य

निदेशक मंडल की तरफ से

के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष
डिन : 08419099

स्थान : पर्णम गोवा
तारीख : 11.09.2020

Annexure I

Form No. AOC-2

[Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014]

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis:

There were no contracts or arrangements, or transactions entered into during the year ended March 31, 2020, which were not on arm's length basis.

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:

The details of material contracts or arrangements or transactions on arm's length basis for the year ended 31st March 2020 are as follows:

Name (s) of the related Party & Nature of relationship	Nature of contract/ arrangements/ transactions	Duration of contract/ arrangements/ transactions	Salient terms including the value, if any (₹ in lakhs)	Date of Board approval, if any	Amount paid as advance, if any
HLL Lifecare Ltd - Holding Company	Other Expenses	NA	125.89	27-01-2021	Nil
HLL Lifecare Ltd - Holding Company	Investment in shares	NA	708.75	27-01-2021	Nil
HLL Lifecare Ltd - Holding Company	Other Liabilities	NA	93.36	27-01-2021	Nil

For and on behalf of the Board of Directors

K. Beji George,IRTS
Chairman
DIN 08419099

Place: Pernem
Date: 11.09.2020

अनुबंध II

अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्य
गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड
टुएम इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास,
टुएम,पेर्नेम,
गोवा-403512, इंडिया

हमने दिनांक 14 मई, 2010 के डी पी ई का.ज्ञा.सं.18(8)/2005-जी एम द्वारा निर्धारित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की अनुपालन की शर्तों की जाँच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत कार्यपद्धतियों और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा या मत की अभिव्यक्ति नहीं है।

हमारी राय और हमें दिए विवरणों पर अपनी उत्तम सूचना के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर उल्लिखित डी पी ई का.ज्ञा. में निर्धारित जैसी कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

आगे हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है न ही कार्यक्षमता या प्रभावकारिता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को चलाया है।

कृते बी वी आर एण्ड एसोसियेट्स कंपनी सचिव एलएलपी

गोकुल आर आई
नामित साझेदार
एम. नं. ए 21269
सी.ओ.पी.नं.14245
युडीआईएन :ए 021269 बी 000280077

स्थान : तिरुवनंतपुरम
दिनांक : 26.05.2020

Annexure - II

Compliance Certificate

To
The Members
Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited.
CIN : U24231GA1980SGC000412
Tuem, Pernem Goa — 403 512. India

We have examined the Compliance of conditions of Corporate Governance by Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited for the financial year ended on 31st March 2020, as stipulated by DPE O.M.No.18(8)/2005-GM dated 14th May 2010.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information to the explanation given to us, we certify that the company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE O.M.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For BVR & Associates Company Secretaries LLP

Gokul R I
Designated Partner
M. No. A21269
COP No. 14245
UDIN: A021269B000280077

Trivandrum
Date: 26.05.2020

अनुबंध III

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार सूचना

(क) ऊर्जा संरक्षण

(क) उत्पादन नियोजन के साथ ऊर्जा संरक्षण न्यूनतम रखा गया है।

(ख) ऊर्जा खपत की कटौती के लिए अतिरिक्त उपाय/निवेश जाँच की जा रही है।

(ग) ऊपर (क) पर मापे का प्रभाव का मात्रा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(घ) बिजली और ईंधन की खपत

	विवरण	वर्तमान वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
1.	बिजली		
क.	खरीदी गयी		
	यूनिट(के डब्लियु एच लाखों में)	4.06	4.23
	कुल राशि ₹ लाखों में	34.92	35.31
	दर/यूनिट (₹)	8.60	8.34
ख.	निजी उत्पादन		
	निजी जनरेटर के ज़रिए	शून्य	शून्य
	यूनिट	शून्य	शून्य
	यूनिट/लिटर डीजल तेल	शून्य	शून्य
	लागत/यूनिट (₹)	शून्य	शून्य
2.	कोयला	शून्य	शून्य
3.	हल्का डीजल तेल		
	मात्रा (किलो लिटर)	9.02	11.37
	कुल रकम ₹ लाखों में	23.23	49.67
	औसत दर (लिटर) ₹ लाखों में	25.75	42.68

(ख) तकनॉलजी आमेलन

हम फार्मास्यूटिकल सूत्रीकरण के विनिर्माण करने के कारण कंपनी को कोई भी विनिर्दिष्ट अनुसंधान एवं विकास विभाग नहीं है। तथापि कंपनी को नए सूत्रीकरण के विकास के लिए एक उत्पाद विकास अनुभाग है और नियम के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग है और गुणवत्ता एवं क्षमता का सुधार करने और नए उत्पाद, उत्पाद मिश्रण आदि विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किये जाते हैं ।

(ग) विदेश विनिमय अर्जन एवं खर्च

विवरण	वर्तमान वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
अर्जित विदेशी मुद्रा	शून्य	शून्य
इस्तेमाल किए गए विदेशी मुद्रा	शून्य	शून्य

Annexure-III

INFORMATION PURSUANT TO SECTION134 (3) (M) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

A. CONSERVATION OF ENERGY:

(a) With the production planning the energy consumed has been kept to the minimum.

(b) Additional measures/investment for reduction of energy consumption are being looked into.

(c) Impact of measured at (a) above not quantifiable.

Power and fuel consumption

	Particulars	Current year 2019-20	Previous Year 2018-19
I	Electricity		
A	Purchased		
	Unit (KWH in lakhs)	4.06	4.23
	Total Amount Rs in lakhs	34.92	35.31
	Rate/Unit Rs.	8.60	8.34
B	b. Own Generation		
	Through own Generator	Nil	Nil
	Units	Nil	Nil
	Unit/Ltr. of diesel oil	Nil	Nil
	Cost/Unit Rs.	Nil	Nil
2	2. Coal	Nil	Nil
33	3. Light diesel oil		
	Qty (K. ltrs)	9.02	11.37
	Total amount Rs. In lakhs	23.23	49.67
	Average rate (ltrs) Rs in lakhs	25.75	42.68

B. TECHNOLOGY ABSORPTION:

The company has no specific Research and Development Department as we manufacture pharmaceutical formulations. However, the company has a product development section for the development of new formulations and quality control department to ensure quality of the products as per law and continuous efforts are made to improve the quality and efficiency and to develop the new products, product mix etc.

C. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Particulars	Current Year 2019-20	Previous Year 2018-19
Foreign exchange earned	NIL	NIL
Foreign exchange used	NIL	NIL

अनुबंध VI

फार्म नं.एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

i. सी आई एन : यु 24231जीए1980एसजीसी000412

ii. पंजीकरण तारीख : 09/12/1980

iii. कंपनी का नाम : गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

iv. कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : पब्लिक कंपनी

v. पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : टुएम इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास, टुएम, पेर्नेम,गोवा - 403 512

vi. क्या सूचीबद्ध कंपनी : जी नहीं

vii. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आर टी ए) यदि कोई है, का नाम, पता व संपर्क विवरण, : लागू नहीं

II. कंपनी के मुख्य व्यवसाय कार्यकलाप

कंपनी के कुल व्यापारावर्त के 10% या उसके अधिक योगदान कर रहे सभी व्यवसाय कार्यकलाप का वर्णन होंगे :-

क्रम सं.	मुख्य उत्पादें/सेवाओं के नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा के एन आई सी कोड	कंपनी के कुल व्यापारवर्त की प्रतिशतता
1.	विनिर्मित सामान	2100	90
2.	व्यापार माल	4772	10

III. नियंत्रण, समनुषंगी और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्रम सं.	कंपनी के नाम व पता	सी आई एन/जी एल एन	नियंत्रण/ समनुषंगी/ सहयोगी	रखे गए शेयरों की %	लागू धारा
1.	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी)	यु25193केएल1966जीओआई002621	नियंत्रक	74	2(46)
2.	ईडीसीएल	यु65993 जीए1975एसजीसी 000214	सहयोगी	26	2(6)

Annexure VI

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31st March, 2020
of
GOA ANTIBIOTICS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

[Pursuant to Section 92(1) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i. CIN : U24231GA1980SGC000412

ii. Registration Date : 09/12/1980

iii. Name of the Company: GOA ANTIBIOTICS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

iv. Category / Sub-Category of the Company : Public Company

v. Address of the Registered Office and contact details :

vi. Near TUEM Industrial Estate, Tuem, Pernem, Goa- 403 512

vii. Whether listed company : NO

viii. Name, Address and contact details of Registrar & Transfer Agents (RTA), if any : N/A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Manufactured Goods	2100	90
2.	Traded Goods	4772	10

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of Shares Held	Applicable Section
1.	HLL Lifecare Limited (Holding Company)	U25193KL1966GOI002621	Holding	74	2(46)
2.	EDCL	U65993GA1975SGC000214	Associate	26	2(6)

IV. शेयर होल्डिंग पैटेर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या %				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	डीमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों की %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क)व्यक्ति/एचयुएफ									
(ख)केंद्र सरकार		1407480	1407480	74%		1407480	1407480	74%	शून्य
(ग)राज्य सरकार(रें)		494520	494520	26%		494520	494520	26%	शून्य
(घ)निकायें कॉर्पोरेशन									
(ङ)बैंक/एफ आई									
(च) अन्य कोई (पी एस ई & आई टी एस नॉमिनी)									
उप-कुल(क)(1) :-									
(2) विदेशी									
(क) एन आर आई- व्यक्ति		शून्य							
(ख) अन्य-व्यक्ति									
(ग)निकायें कॉर्पोरेशन									
(घ) बैंक/एफ आई									
(ङ) अन्य कोई									
उप-कुल(क)(2) :-									
प्रमोटर का कुल शेयरधारण (क) = (क)(1)+(क)(2)		1902000	1902000	100%		1902000	1902000	100%	

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year%				% Chang during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Share	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF									
(b) Central Govt		1407480	1407480	74%		1407480	1407480	74%	
(c) State Govt (s)		494520	494520	26%		494520	494520	26%	
(d) Bodies Corp.									NIL
(e) Banks /FI									NIL
(f) Any Other (PSE AND ITS NOMINEE)									
Sub-total (A) (1):-									
(2) Foreign									
(a) NRIs - Individuals		Nil							
(b) Other – Individuals									
(c) Bodies Corp.									
(d) Banks / FI									
(e) Any Other....Sub-total (A) (2):-									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)		1902000	1902000	100%		1902000	1902000	100%	

ख.सार्वजनिक हिस्सेदारी									
1. संस्थाएँ									
(क) म्यूचल फंड		शून्य				शून्य			
(ख) बैंक/एफ आई									
(ग) केंद्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार(रें)									
(ङ)उद्यम पूँजी निधियाँ		शून्य							
(च)बीमा कंपनी									
(छ)एफ आई आई									
(ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधियाँ						शून्य			
(त)अन्य									
उप-कुल(ख)(1) :-									
2. गैर संस्थाएँ									
(क)निकायें कॉर्पोरेशन									
(i) भारतीय									
(ii) प्रवासी									
(ख) व्यक्ति									
(i)₹1 लाख तक का नाम मात्र शेयर पूँजी रखनेवाले शेयरधारक व्यक्ति						शून्य			
(ii)₹1 लाख से अधिक नाम मात्र शेयर पूँजी रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक		शून्य							
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
उप-कुल(ख)(2) :-									
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख) = (ख)(1)+(ख)(2)		शून्य				शून्य			
ग.जी डी आर एवं ए डी आर के लिए अभिरक्षक द्वारा रखे गए शेयर									
कुल योग (क+ख+ग)		1902000	1902000	100%		1902000	1902000	100%	शून्य

B. Public Shareholding 1. Institutions (a) Mutual Funds (b) Banks / FI (c) Central Govt (d) State Govt(s) (e) Venture Capital Funds (f) Insurance Companies (g) FIIs (h) Foreign Venture Capital Funds (i)Others		Nil				Nil			
Sub-total (B)(1):- 2. Non-Institutions (a) Bodies Corp. (i) Indian (ii) Overseas (b) Individuals (i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs.1 lakh (ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs.1 lakh (c) Others (specify)		Nil				Nil			
Sub-total (B)(2):- Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)		Nil				Nil			
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs		Nil				Nil			
Grand Total (A+B+C)		1902000	1902000	100%		1902000	1902000	100%	NIL

अनुबंध - VI

(v) प्रमोटरों की हिस्सेदारी

क्रमसं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों की %	
1	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड	1407480	74%	-	1407480	74%	-	शून्य
2	ईडीसी लिमिटेड	494520	26%	-	494520	26%	-	शून्य

(vi) प्रमोटरों की हिस्सेदारी में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो, कृपया स्पष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
	वर्ष के प्रारंभ में	1902000	100%	1902000	100%
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/ अंतरण/ बोनस/ उद्यम इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	1902000	100%	1902000	100%

(vii) उच्च दस शेयरधारकों के हिस्सेदारी स्वरूप (जी डी आर एवं ए डी आर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा)

क्रम.सं.	उच्च प्रत्येक दस शेयरधारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
1	वर्ष के प्रारंभ में				
	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड	1407480	74%	1407480	74%
	ईडीसी लिमिटेड	494520	26%	494520	26%
2	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में (वर्ष के दौरान यदि अलगाव किया है तो, अलगाव की तारीख पर या)				
	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड	1407480	74%	1407480	74%
	ईडीसी लिमिटेड	494520	26%	494520	26%

Annexure VI

(v) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change In shareholding duringthe year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	HLL Lifecare Limited	1407480	74%	-	1407480	74%	-	NIL
2.	EDC Ltd.	494520	26%	-	494520	26%	-	NIL

(vi) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares ofthe company
	At the beginning of the year	1902000	100%	1902000	100%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the Year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/transfer/ bonus/ sweat equity etc):	NIL	NIL	NIL	NIL
	At the end of the year	1902000	100%	1902000	100%

vii) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No .of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	At the beginning ofthe year				
	HLL Lifecare Limited	1407480	74%	1407480	74%
	EDC Ltd.	494520	26%	494520	26%
2	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease(e.g. allotment/ transfer/ bonus/sweat equity etc):	NIL	NIL	NIL	NIL
3	At the End of the year (or on the date of separation ,if separated during the year)				
	HLL Lifecare Ltd	1407480	74%	1407480	74%
	EDC Ltd.	494520	26%	494520	26%

(viii) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी

क्रम.सं.	प्रत्येक निदेशकों और के एम पी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचय हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की %
	वर्ष के प्रारंभ में				
1)	डॉ.गीता शर्मा, एचएलएल नामिती	1		1	
2)	श्री टी.राजशेखर, एचएलएल नामिती	1		1	
3)	श्री के.बेजी जोर्ज, एचएलएल नामिती	1		1	
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करके वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आबंटन/ अंतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में				
1)	डॉ.गीता शर्मा, एचएलएल नामिती	1		1	
2)	श्री टी.राजशेखर, एचएलएल नामिती	1		1	
3)	श्री के.बेजी जोर्ज, एचएलएल नामिती	1		1	

(ix) ऋण ग्रस्तता

शेष/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं। ₹ लाखों में

	जमा को छोडकर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋण ग्रस्तता i) मूल रकम ii) देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए iii) उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	- 0.16	127.40 -	- -	127.40 0.16
कुल (i+ii+iii)	0.16	127.40	-	127.56
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन जोड कमी	166.72 0.16	- 45.00	- -	166.72 45.16
निवल परिवर्तन	162.84	45.00	-	117.84
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता i) मूल रकम ii) देय ब्याज, लेकिन प्रदत्त नहीं किए गए iii) उपार्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	163.00 3.72 -	- 82.40 -	- - -	- 245.40 3.72
कुल (i+ii+iii)	166.72	82.40	-	249.12

(viii). Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of thecompany	No. of shares	% of total shares ofthe company
1)	At the beginning of the year				
	Dr. Geeta Sharma, Nominee of HLL	1		1	
2)	Shri T. Rajasekar, Nominee of HLL	1		1	
3)	Dr. Ba Shri K. Beji George, Nominee of HLL	1		1	
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment /transfer/bonus/ sweat equity etc):	NIL	NIL	NIL	NIL
1)	At the end of the year				
	Dr. Geeta Sharma, Nominee of HLL	1		1	
2)	Shri T. Rajasekar, Nominee of HLL	1		1	
3)	Shri K. Beji George, Nominee of HLL	1		1	

ix). INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid	-	127.40	-	127.40
iii) Interest accrued but not due	0.16	-	-	0.16
Total (i+ii+iii)	0.16	127.40	-	127.56
Change in Indebtedness during the financial year				
· Addition	166.72	-	-	166.72
· Reduction	0.16	45.00	-	45.16
Net Change	162.84	45.00		117.84
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	163.00	-	-	-
ii) Interest due but not paid	3.72	82.40	-	245.40
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	3.72
Total (i+ii+iii)	166.72	82.40	-	249.12

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिकः लागू नहीं

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्लियुटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल रकम
1.	सकल वेतन (क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। (ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य। (ग) वेतन के बजाय लाभ के अधीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन -लाभ की % के रूप में -अन्य, स्पष्ट करें					
5.	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम				कुल रकम
	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क। कमीशन अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)					
	2. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क। कमीशन अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा					

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager: Not Applicable

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager				Total Amt
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Stock Option	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	Sweat Equity	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4.	. Commission - as % of profit - others, specify...					
5.	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total (A)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Ceiling as per the Act					

B. Remuneration to other directors:

Sl. No	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
	Independent Directors · Fee for attending board / committee meetings · Commission · Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total (1)					
	2. Other Non-Executive Directors · Fee for attending board / committee meetings · Commission · Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total (2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total (B)=(1+2)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total Managerial Remuneration	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Overall Ceiling as per the Act					

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्लियु टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (₹ में)			
		सी ई ओ	कंपनी सचिव	सी एफ ओ	कुल
1	सकल वेतन (क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन। (ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य। (ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	25.38 शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य	9.86 0.67 शून्य	35.24 0.67 शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन -लाभ की % के रूप में -अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	25.38	शून्य	10.53	35.91

जुर्माना/दंड/अपराध का समझौता करना:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए जुर्माना / दंड/ अधिरोपित समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आर डी/एन सी एल टी/अदालत]	यदि कोई अपील बनाया गया है (विवरण दें)
क.कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता करना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशक					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता करना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. भूल-चूक में अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता करना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl.No.	Particulars ofRemuneration	Key Managerial Personnel (in ₹)			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1	Gross salary (a)Salary as per provisions contained in section 17(1) ofthe Income-tax Act, 1961	25.38	NIL	9.86	35.24
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	NIL	NIL	0.67	0.67
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	NIL	NIL	NIL	NIL
2	Stock Option	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Sweat Equity	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Commission - as % of profit - others, specify...	Nil	Nil	Nil	Nil
5	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	25.38	NIL	10.53	35.91

PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/NCLT /COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A.COMPANY					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. DIRECTORS					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के
सदस्यों को निदेशकों की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट**

सेवा में,
सदस्य,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के प्रावधान के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ मूल रिपोर्ट के समय बोर्ड को उपलब्ध नहीं थीं क्योंकि सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा संगत समय पर समाप्त नहीं किया गया है। उक्त टिप्पणियाँ अब प्राप्त हुई है, जो कंपनी द्वारा उक्त टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण के साथ यहाँ संलग्न की गई हैं।

मंडल की तरफ से

के.,बेजी जोर्ज, आई आर टी एस

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्तर
1	तुलन पत्र वर्तमान देयताओं - अन्य वर्तमान देयताएँ - रु. 199.60 लाख तेलंगाना और आंध्राप्रदेश राज्यों में कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के विपणन के लिए मेसर्स ज्योति एजेंसियों के साथ निष्पादित व्यावसायिक सहयोगी समझौते के अनुसार कंपनी मेसर्स ज्योति एजेंसियों को सेवा शुल्क का भुगतान निम्नानुसार करेगा : सेफोटैक्सिम इंजेक्शन जी एस टी सहित 14 % सेफ्ट्रियाक्जॉन इंजेक्शन जी एस टी सहित 15 % टैबलेट और कैप्सूल 10 % + जी एस टी सेवा शुल्क पर मैसर्स ज्योति एजेंसियों को देय जी एस टी की राशि होने से उपरोक्त अकाउंट हेड में रु. 22.53 लाख की राशि शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों की न्यूनोक्ति हुई है, सी जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रु. 22.53 लाख की न्यूनोक्ति देयता शामिल है।	माल या सेवाओं की प्राप्ति या दोनों (रिवर्स चार्ज तंत्र के अधीन समाविष्ट नहीं) के संबंध में, लेखा बही में किए गए व्यय के प्रावधान के मामले में, जीएसटी जमा करने का कोई दायित्व प्राप्तकर्ता पर निर्भर नहीं है और सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 12(2) (माल के लिए) और 13(2) (सेवाओं के लिए) के अनुसार, आपूर्ति के समय के क्रिस्टलैज़ेशन पर आपूर्ति कर्ता द्वारा ऐसा कर भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 16(2) के अनुसार ऐसे प्राप्तकर्ता द्वारा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं उपलब्ध किया जा सकता है कि प्राप्तकर्ता को कर चालान का अधिकार नहीं है । उपरोक्त प्रावधानों की दृष्टि में रख कर मेसेर्स ज्योति एजेंसीस के लिए कमीशन के प्रावधान की प्रविष्टि में जीएसटी देयता दर्ज नहीं की गई। पार्टी को भुगतान नहीं किया गया और केवल कमीशन के लिए प्रावधान बुक किया गया। जीएसटी देयता केवल सेवा पूरा होने और कर चालान जारी करने की तारीख पर उत्पन्न होती है। आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना सरकार संस्थानों से बकाया भुगतान के संग्रहण और कर चालान जारी होने पर समझौते में विनिर्दिष्ट जैसे सेवा पूरी की जाएगी। उल्लिखित लेनदेन में कोई कर चालान जारी नहीं किया गया और लेखा बही में केवल कमीशन खर्च के लिए प्रावधान किया गया, उसी पर देय जी एस टी बुक नहीं किया गया।

मंडल की तरफ से की तरफ से

**के.बेजी जोर्ज आई आर टी एस
अध्यक्ष**

स्थान : गोवा
तारीख : 27 जनवरी, 2021

ADDENDUM TO THE DIRECTORS REPORT TO THE MEMBERS OF GOA ANTIBIOTICS & PHARMACEUTICALS LTD. FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020.

To,

The Members,

The comments of the Comptroller and Auditor General of India under the provision of Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 were not available to the Board at the time of the original report as the audit by the Government Auditor has not been concluded at the relevant time. The said comments has since been received now which is annexed hereto along with the clarification by the Company on the said comments.

For and on behalf of the Board.

K. Beji George, IRTS
Chairman

	Comments of the Comptroller and Auditor General Of India under Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Accounts of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals limited, Goa for the year ended 31st March 2020.	Reply by Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited.
1	Balance Sheet Current liabilities-Other current liabilities Rs. 199.60 lakh As per the Business Associate Agreement executed by the Company with M/s. Jyothi Agencies for marketing the products manufactured by the company in the States of Telangana and Adhra Pradesh, the copany shall pay M/s. Joythi Agencies service charges as under: Cefotaxime Injection 14% inclusive of GST Ceftriaxone Injection 15% inclusive of GST Tablet and capsule 10% + GST The above account head does not include Rs. 22.53 lakh being the amount of GST payable to M/s. Jyothi Agencies on the service charges resulting in understatement of other current liabilities with corresponding understatement of CGST Input Tax credit by Rs. 22.53 lakh	In the case of provision for expenses made in books of accounts in respect of receipt of goods or services or both (not covered under reverse charge mechanism), no liability to deposit GST devolves on the recipient and such tax will be required to be paid by supplier upon crystallisation of the time of supply as per Section 12(2) (for goods) and 13(2) (for services) of the CGST Act,2017.No Input Tax Credit can also be availed by such recipient in light of Section 16(2)(a) of CGST Act, 2017 as the recipient is not in possession of the tax invoice. In view of the above provisions GST liability was not booked in the entry of provision for commission for M/s. Jyothi Agencies. Payment was not made to the party and only provision for the commission was booked. GST liability arises only on the date of completion of service and the issue of tax invoice. The service as specified in the agreement will be completed on the collection of the outstanding payments from Andhra Pradesh and Telangana Government Institutions and the issue of tax Invoices. As no tax invoice was issued in the mentioned transaction and only provision for the commission expense is made in the books of account, GST payable was not booked on the same.

For and on behalf of the Board.

K. Beji George, IRTS
Chairman

Place :Goa
Date: 27th January, 2021

यू.एन.बेने & कं.
सनदी लेखाकार

एफ-1, गोपिका, एम एल फरटाडो रोड,
आई सी आई सी आई बैंक के सामने,
मार्गाओ-गोवा 403601
दूरभाष: 2730843/2725089
ई मेल : beneamod@yahoo.co.in

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को

इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट।

प्रतिबंध राय

1. हमने गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') के साथ संलग्न इंड एएस वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और साम्या में परिवर्तन के विवरण और वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी, सहित सार्थक लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश समाविष्ट हैं।

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट की प्रतिबंध राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड कर पूर्वोक्ति इंड ए एस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना आवश्यक तरीके से देती है और 31 मार्च 2020 तक की कंपनी के कार्यों और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ/ हानि, कुल व्यापक आय एवं इसके नकद प्रवाह, और साम्या में परिवर्तन भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा तत्वों के अनुरूप सही एवं उचित चित्र देता है।

प्रतिबंध राय केलिए आधार

(क) कंपनी को मैसर्स गोवा खाद्य : फार्मा (पी) लिमिटेड के साथ विपणन व्यवस्था थी। पार्टी कंपनी को मध्यस्थता एवार्ड के शर्तों के अनुसार ₹ 8,50,31,898/- कंपनी को ऋणी है जिस में से ₹ 4,12,99,577/- मूल दावे की ओर और ₹ 4,37,32,321/- ब्याज की ओर है। कंपनी ने पहले के वर्ष में ₹ 2,64,94,356/- के हद के तक ब्याज के रूप में पहचान की थी और खाता बही में अपेक्षित और ऋण हानि के लिए समान प्रावधान बनाया गया है। आगे गोवा खाद्य & फार्मा (पी) लिमिटेड को ₹16,55,976/- भी जमा किया गया था। मेसर्स एमसी इंटरप्राइसेस और मेसर्स मधुर फार्मा के मामले में क्रमश: ₹. 55,16,052/- ₹ 15,04,695/- वसूल करने के लिए कंपनी ने उनके खिलाफ अपील करना चाहा। उपर्युक्त रकम को ऋणियों में दिखाया गया तथापि अपेक्षित ऋण हानि के लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया। इन ऋणों के भुगतान के लिए पार्टियों की वित्तीय क्षमता के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है । इसके फलस्वरूप, हम इन देय रकम के लिए लाभ व हानि के खाते में बनाए गए अप्राप्य ऋणों की ओर संपूर्ण या भागिक प्रावधानीकरण निर्धारित करने के लिए असमर्थ थे।

हम ने अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एस ए) के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा चलायी। उन मानकों के अधीन हमारी उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान द्वारा जारी किए नैतिक कोड के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र हैं, के साथ -साथ उसके अधीन बनाए गए अधिनियम 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरण के हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत है, और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई के नैतिक कोड के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों पर हमारे प्रतिबंध लेखापरीक्षा राय को एक आधार देने केलिए पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारकों की सूचना सहित जानकारी शामिल है लेकिन इस में वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

U.N. BENE &CO
Chartered Accountants

F-1, GOPIKA, M. L. FURTADO ROAD,
Opp. ICICI Bank, MARGAO – GOA 403601.
TEL : 2730843 / 2725089, E-MAIL : :beneamod@yahoo.co.in

AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF GOA ANTIBIOTICS AND PHARMACEUTICALS LIMITED

Report on the Audit of the Ind AS financial statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited. ("the company"), which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2020, the statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year ended and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2020 and its loss, total comprehensive income, its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

(a). The Company had marketing arrangements with M/s Goa Food & Pharma (P) Limited. The party owes the company an amount of Rs. 8,50,31,898/- as per the terms of Arbitration Award out of which Rs. 4,12,99,577/- is towards substantive claims and Rs. 4,37,32,321/- towards interest. The company had recognized in the earlier year interest to the extent of Rs. 2,64,94,356/- and created equal allowance for expected credit loss in the books of accounts. Further a deposit had also been given to Goa Food & Pharma (P) Limited of Rs. 16,55,976/-. In case of two other parties M/s Emcee Enterprises and M/s Madhur Pharma, the company has preferred an appeal against them for recovering dues amounting to Rs. 55,16,052/- and Rs. 15,04,695/- respectively. The above amounts are shown in debtors however no allowance for expected credit loss is made for the dues. There is no information as regards the financial ability of the parties for payments of these debts. As a result we were unable to determine whether full or partial allowance for expected credit loss should have been made in the Profit and Loss Account for these dues.

We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our Report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना समाविष्ट नहीं करते है और हम उस पर किसी भी तरह के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी है अन्य जानकारी पढना, और ऐसे करने में विचार करें कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप में असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर हम ने निष्पादित काम के आधार पर है तो, हम यह निष्क्र्ष निकालते हैं कि इसकी अन्य जानकारी के प्रत्यक्ष रूप में अयथार्थ विवरण है, हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंध का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन इंड ए एस वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो इस आधार पर जारी किये गये संगत नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड ए एस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन अन्य व्यापक आय सहित नकदी प्रवाह और कंपनी के साम्या के परिवर्तन के सही और निष्पक्ष चित्र देता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और धोखाधडी एवं अन्य अनियमिताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान बनाना; और इंड एएस वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने की ओर प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो सही और निष्पक्ष चित्र देता है और धोखाधडी या त्रुटि के कारण प्रत्यक्ष अयथार्थ विवरण से मुक्त है।

वित्तीय विवरण की तैयारी में, मंडल चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लागू है तो चालू समुत्थान से संबंधित मामले का प्रकटीकरण करना और लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान के उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या प्रचालन रोकने का इरादा रखता है, या ऐसे करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने केलिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य है, धोखाधडी या गलती के कारण, वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से प्रमुख गलत विवरण से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करना, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह कोई प्रत्याभूति नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा एक प्रमुख गलत विवरण का पता लगेगा, जब यह मौजूद है। अयथार्थ विवरण धोखाधडी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और यदि एकल या कुल में यह प्रमुख तब माना जाता है, जब वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिंस्से के रूप में, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लिया है और व्यावसायिक संदेहवाद का अनुरक्षण करते हैं। हम भी :

- वित्तीय विवरणों के मुख्य अयथार्थ विवरण की जोखिमों को पहचान करना और आकलन करना, यदि धोखाधडी या गलती के कारण; उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन एवं प्रदर्शन करना; और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित है। धोखाधडी से उत्पन्न एक मुख्य गलत विवरण का पता नहीं लगाने की जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले से अधिक है, चूँकि धोखाधडी में गुप्त षडयंत्र, जालसाजी, जानबूझकर चूक, बकवास या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के सिलसिले में लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थिति के लिए उचित है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अधीन, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है, कि कंपनी को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन में प्रभावशीलता है।

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013("the Act") with respect to the preparation and presentation of these Ind AS financial statements that gives a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards ("Ind AS")specified under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exisits. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन का औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा बनाये गये संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू समुत्थान के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर नतीजा और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, यदि घटना या शर्तों से संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनिश्चितता मौजूद है, जो एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने की कंपनी की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर ध्यान देना अपेक्षित है या, यदि ऐसी प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय को संशोधित करना है। हमारा निष्कर्ष, हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। तथापि, भविष्य की घटना या शर्त कंपनी को एक चालू समुत्थान के रूप में आगे जाने में नुक्सान होने का कारण बन सकता है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्याकन करना, और यदि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरीके से प्रतिनिधान करते हैं जो उचित प्रतिपादन हासिल करता है।

वि त्तीय विवरणों के गलत विवरण का परिमाण है प्रमुखता, जो एकल या कुल में, इसे संभावित बनाता है, जो वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय पर प्रभावित कर सकता है। हम मात्रात्मक प्रमुखता और गुणवत्ता घटक (i) हमारे लेखापरीक्षा काम के कार्यक्षेत्र का नियोजन और हमारे काम के परिणाम के मूल्यांकन; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचान किये गये किसी गलत विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन, पर विचार करते हैं।

हम, उन लोगों का जिन शासन के साथ प्रभारित है, को आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय निर्धारण और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम, अन्य मामलों, जो हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, के संबंध में सूचित करते हैं।

हम उन लोगों को जिन्हें शासन के साथ प्रभारित है एक बयान प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर आने वाले सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के लिए संवाद करने के लिए है और जहाँ लागू हो उपायों को संबंधित सुरक्षा उपाय को रखना उचित समझा जा सकता है।

मामले का ज़ोर

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं.42 व्यापार प्राप्य, जमा, ऋण व पेशगियाँ और विविध लेनदार जो बकाया के संबंध में है और यदि कोई भी हो तो परिणामी समायोजन के अनुसार पुष्टि/ मिलान के अधीन है।
2. हमारी राय इन मामलों के संबंध में प्रतिबंधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित जैसे, हम जहाँ तक लागू है, आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 पैरा में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण अनुबंध क में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित जैसे, हम रिपोर्ट करते हैं :

   (क) हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण हमने माँगा और प्राप्त किये हैं।

   (ख) उपर्युक्त प्रतिबंध विचार पैरा के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव के सिवाय, हमारी राय में, उन लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से लगते हैं कि कंपनी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित जैसे उचित लेखा बही बनायी रखी है। जयपूर और अजमीर के यूनिटों के संबंध में कंपनी ने आंकडों के प्रमाणीकरण के लिए समर्थन बीजक और वौचर के साथ इन दो यूनिटों से संबंधित वित्तीय कार्य विवरण परीक्षण के लिए प्रदान किया।

   (ग) इस रिपोर्ट के द्वारा संबंधित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण और साम्या में परिवर्तन के विवरण लेखा बहियों के साथ मेल समझौते में हैं।

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following :

1. Note No. 42 to the financial statements regarding balances under trade receivables, deposits, loans and advances and sundry creditors which are subject to confirmation/reconciliation and consequent adjustment if any.
2 Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

a. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, (2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure A statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.

b. As required by section 143(3) of the Act, we report that:

c. We have sought and obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

d. Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books. In respect of the units at Jaipur and Ajmer, the Company has provided for examination the Statement of Financial workings relating to these two units along with the supporting invoices and vouchers for substantiation of the figures.

e. The Balance Sheet, the statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त इंड ए एस वित्तीय विवरण, प्रतिबंध राय पैरा के लिए आधार में वर्णित के सिवाय, उसके अधीन जारी किए गए संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के साथ अनुपालन करता है।

(छ) हमारी राय में, प्रतिबंध राय पैरा के लिए आधार में वर्णित मामले को कंपनी के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(ज) एमसीए अधिसूचना सं. जीएसआर - 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अनुपालन की अपेक्षाओं से छूट दी गयी है।

(झ) लेखा के अनुरक्षण और उससे संबंधित अन्य मामले से संबंधित प्रतिबंध ऊपर प्रतिबंध राय पैरा के लिए आधार में वर्णित जैसे हैं।

(ञ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता " अनुबंध - ख " में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है और

(ट) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हैः

(1) कंपनी ने वित्तीय विवरण में अपनी इंड ए एस वित्तीय स्थिति पर सभी लंबित मुकदमों के प्रभाव प्रकट किया है - वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 29 का संदर्भ करें।

(2) उपर्युक्त हमारे प्रतिबंध के अनुसार, कंपनी ने दीर्घकालीन ठेके पर प्रमुख अनुमानित हानि यदि कोई है के लिए उपयुक्त कानून या लेखांकन मानकों के अधीन अपेक्षित जैसे प्रावधान बनाया है। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है ।

(3) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि के लिए अंतरित किए जाने के लिए कोई अपेक्षित रकम नहीं थी।

11. भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा (5) के शर्तों में परीक्षण किए जानेवाले क्षेत्रों के संकेत करके निर्देश जारी किया है, जिसके अनुपालन नीचे दिया जाता है।

	धारा 143(5) के अधीन जारी किए गए निर्देश	रिपोर्ट	की गई कार्रवाई	खाता एवं अन्य वित्तीय विवरण पर प्रभाव
	क्या कंपनी को आई टी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हॉं तो वित्तीय निहितार्थ के साथ -साथ लेखे की समग्रता पर आई टी सिस्टम के परे लेखांकन लेनदेन संसाधित करने के निहितार्थ, यदि कोई है तो बताएं ।	कंपनी एसएपी ईआरपी पैकेज का उपयोग करके अपने लेनदेन के लिए लेखांकन कर रही है। सभी लेखांकन लेनदेन एकीकृत ईआरपी सिस्टम के माध्यम से संसाधित किया जाता है जो लेनदेन के सभी चरणों को प्रारंभ से अंत तक रिकॉर्ड करता है।	शून्य	शून्य
II	क्या वहॉं विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण चुकाने के लिए कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा बनाया गया कर्ज/ऋण/ब्याज आदि छूट/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है? यदि हॉं है तो वित्तीय प्रभाव बताएं।	वहॉं विद्यमान ऋण का पुनर्गठन या वर्ष के दौरान कर्ज/ऋण/ब्याज आदि का छूट/बट्टे खाते डालने का कोइ मामला नहीं है।	शून्य	शून्य

f. In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with the relevant Rules issued thereunder except as explained in the Basis for Qualified Opinion paragraph.

g. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

h. As per MCA notification no. GSR – 463(E)dated 5th June, 2015 Government companies are exempted from the requirements of compliance with the provision of Section 164(2) of the Act.

i. The qualification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above.

j. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting and

k. With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

1 The Company has disclosed the impact of all pending litigations on its financial position in its Ind AS 2. financial statement – Refer Note 29 to the financial statements;

2. Subject to our Qualification above, the Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts. The Company has no derivative contracts.

3. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

11. The Comptroller And Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of sub-section (5) of section 143 of the Companies Act 2013, the compliance of which is given hereunder:

	Directions issued under section 143(5)	REPORT	Action Taken	Impact on the Financial Statements
I	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated	The Company is accounting for its transactions using the SAP ERP package. All the accounting transactions are processed through the integrated ERP system which records all the phases of the transactions from inception to completion.	Nil	Nil
II	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc during the year.	Nil	Nil

III	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों इसके शर्त व निबंधन के अनुसार ठीक तरीके से लेखांकित/उपयोग किये गये थे? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वहाँ केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त/प्राप्य की जा रही निधियों के कोई मामले नहीं थे।	शून्य	शून्य

कृते यू.एन.बेने & कं.
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन : 117052 डब्लियु)

अमोडा यू बेने
साझेदार
(सदस्य सं.102445)

युडीआईएनः 20102445एएएएएडब्लियु 3144

दिनांक : 03/10/2020
स्थान : मर्गाओ, गोवा

III	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/ utilised as per its term and conditions? List the cases of deviation.	There were no cases of funds being received / receivable by the Company for specific schemes from central/state agencies.	Nil	Nil

For U N Bene& Co
Chartered Accountants
(FRN: 117052W)

Amoda U Bene
Partner
(M.No: 102445)

UDIN: 20102445AAAAAW3144

Dated: 03/10/2020
Place: Margao Goa

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर गोवा एंटीबायोटिक्स एवं फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को हमारे समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अधीन 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' पैरा 1 में संदर्भित अनुबंध - क ।

हमारी लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हम उचित समझी गयी ऐसी जाँचों के आधार पर और हमें दिये गये सूचना एवं विवरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं :

(i) (क) कंपनी मात्रात्मक विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूरा विवरण दिखाते हुए कंप्यूटरीकृत अचल परिसंपत्ति रजिस्ट र का अनुरक्षण करती है।

(ख) हमें बताये और हमारे द्वारा जाँच की गयी जैसे प्रबंध द्वारा वर्ष 2015-16 में अचल परिसंपत्तियों के पर्याप्त मूल्य के लिए प्रबंध द्वारा अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। अंतर लेखा बहियों में निपटान किया गया है।

(ग) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रेकॉर्डों की हमारी परीक्षा के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के शीर्षक कंपनी के नाम पर किये जाते हैं।

(ii) हमें दिये सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंध द्वारा गोवा फैक्टरी, और सभी मेडिसेंटरों में उचित अंतराल में संपत्ति-सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। राजस्थान में अजमेर यूनिट और जयपुर यूनिट में प्रबंध द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन भी किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि नई दिल्ली और इंदौर के डिपो बंद किये गये हैं, अतः कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। हम ने इस अभ्यावेदन पर भरोसा रखा है। बही अभिलेखों की तुलना करने पर स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन पर कोई प्रमुख विसंगति सूचित नहीं की गयी।

(iii) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रजिस्टर का अनुरक्षण किया है,तथापि इसके नियंत्रक और सह कंपनी के अतिरिक्त, इनके संबंध की प्रकृति के साथ किसी भी पार्टी की पहचान/ सूचीबद्ध नहीं किये गये हैं । हमें दिये सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बही की जाँच के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के अलावा कंपनियों, फर्मों सीमित देयता साझेदारी या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत कोई उधार प्रदान नहीं किया गया है । तदनुसार, आदेश (iii) के खंड (क), (ख) & (ग) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(iv) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बही की जाँच के आधार पर कंपनी ने अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया, निवेश किया गया, गारंटी या प्रतिभूति दी है। इसके फलस्वरूप आदेश (iv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(v) हमारी राय और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, जिसको धारा 73 से 76 तक के प्रावधान लागू है या कोई अन्य धारा या नियम लागू है, इसलिए आदेश की धारा (v) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, औषध और फार्मस्यूटिकल्सों के विनिर्माण से संबंधित कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबही और रेकोर्डों के मोटे तौर पर समीक्षा की है और राय है कि प्रथम दृष्ट या उत्पाद की लागत की पता लगाने के लिए आवश्यक खाते और अभिलेख और तैयार माल/कार्य प्रगति के मूल्यांकन बनाये रखे हैं। तथापि, हमने ये अभिलेख सही या पूरा है यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि अभिलेखों की जाँच एक लागत लेखापरीक्षक द्वारा की जानी है।

(vii) लागत लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू नहीं है क्योंकि यद्यपि तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान इसके सभी उत्पादों और सेवाओं से कंपनी का समग्र व्यापारावर्त ₹50 करोड़ से अधिक है तो (जी एस टी को छोडकर) हमें सूचित किया गया है कि एकल उत्पाद या उत्पादों या सेवा या सेवाओं के कुल व्यापारावर्त, जिसके लिए लागत रिकोर्ड नियम 3 के अधीन अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है, ₹.25 करोड़ के बराबर या अधिक नहीं होना है।

(क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, जी एस टी लागू हद तक उपकर अन्य कोई सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि उचित प्राधिकारियों के साथ सामान्यतः नियमित रूप से जमा की गयी है । हमें दिये सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान

Annexure A referred to in paragraph 1 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report of even date to the members of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited on the accounts of the company for the year ended 31st March, 2020.

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us during the course of our audit, we report that:

i. (a) The company is maintaining a computerised fixed asset register showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

(b) As explained to us and as examined by us the physical verification of fixed assets has been carried out by the management for substantial value of the fixed assets in the FY 2015-16.The differences have been dealt with in the books of accounts.

(c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties are held in the name of the company.

ii. As per information and explanation given to us, physical verification of inventory has been conducted at the Goa factory and all medicentres at reasonable intervals during the financial year by the management. Physical verification has also been carried out by the management at Ajmer unit and Jaipur unit in Rajasthan. We have been informed that the Depot at New Delhi and Indore have since been closed hence no physical verification was carried out. We have relied upon this representation. No material discrepancy was noticed on physical verification of stocks as compared to book records.

iii. The company has maintained register under section 189 of the Companies Act 2013, however other than its holding and associate company no parties have been identified / listed therein along with their nature of relationship. According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the books of account, the company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or other parties except employees of the company. Consequently, the provisions of clauses (iii) (a),(b)&(c) of the order are not applicable to the company.

iv. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the company has not granted any loans, done investments, given guarantee or security as per the provisions of section 185 and 186 of the Companies act 2013. Consequently, the provisions of clauses (iv) of the order are not applicable of the Company.

v. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not accepted any deposits to which the provision of Sections 73 to 76 are applicable or any other sections or rules are applicable, hence clause (v) of the order is not applicable to the company.

vi. We have broadly reviewed the books of account and records maintained by the company relating to the manufacture of Drugs and Pharmaceuticals, specified by the Central Government under sub section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie accounts and records necessary to ascertain the cost of production and valuation of finished goods / WIP are maintained. We however, not made a detailed examination of the records with a view to determining whether they are accurate or complete, as the examination of the records are to be made by Cost Auditor.

vii. Cost Audit is not applicable for FY 2019-20 because the overall turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is not equal to or exceeding Rs. 50 crore (excluding Gst) and also as informed to us the aggregate turnover of the individual product or products or service or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is not equal to or exceeding Rs. 25 crores.

(a)According to the records of the company, undisputed statutory dues including Provident Fund, Employee's State Insurance, Income- tax, Sales-tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of Excise, Value Added Tax, GST, Cess to the extent applicable and any other statutory dues have generally been regularly deposited with the appropriate au-

योग्य तारीख से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए 31 मार्च, 2020 तक कोई बकाया सांविधिक देय राशि नहीं थी ।

(ख) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और किसी विवाद के कारण उप कर की बकाया देय राशि निम्न जैसी हैं ।

कानून की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	रकम लाखों में	संबंधित राशि की अवधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
बिक्री कर अधिनियम, लखनाऊ	बिक्री कर	2.61	2002-03 से 2004-05	सी टी ओ, लखनाऊ

(viii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्था, बैंक या ऋणपत्र धारकों को बकाया राशि की अदायगी में चूक नहीं की है ।

(ix) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर (ऋण साधन सहित) और कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धन नहीं बनवाया है। हमें सूचित किए जैसे आवधिक ऋण जिस उद्देश्य के लिए उठाये हैं उसी उद्देश्य के लिए लागू किये गए।

(x) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखेबाजी ध्यान में आयी या रिपोर्ट नहीं की गयी है, और न प्रबंधन द्वारा ऐसे मामलों को सूचित किया गया है ।

(xi) कॉरपॉरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 द्वारा दी गयी छूट की दृष्टि से प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार ओदश के खंड (xi) कंपनी को लाग

(xii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 406(1) पारिभाषित जैसे निधि कंपनी नहीं है, अतः आदेश के खंड (xii) कंपनी को लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखाबही की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 177 और 188 के प्रावधान के साथ अनुपालन किया है।

(xiv) लेन-देन उपयुक्त लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित जैसे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये हैं।

(xv) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखाबही की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अधिमान्य आबंटन या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बना दिया है, अतः आदेश के खंड - (xiv) कंपनी को लागू नहीं है।

(xvi) हमें दिए गए सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखाबही की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ संबंध व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर - नकदी लेन-देन प्रारंभ नहीं किया, अतः आदेश के खंड (xv) कंपनी को लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आई ए के अधीन पंजीकृत होने केलिए अपेक्षित नहीं है।

thorities. According to the information and explanations given to us there were no outstanding statutory dues as on 31st March, 2020 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the records of the company, the outstanding of income-tax, sales-tax, value added tax, service-tax, customs duty, excise duty and cess not deposited on account of any dispute, are as follows:

Nature of the Statute	Nature of Dues	Amount In (Lakhs)	Period to which The amount relates	Forum where Dispute is pending
Sales Tax Act, Lucknow	Sales Tax	2.61	2002-03 to 2004-05	CTO, Lucknow

viii Based on our audit procedures and the information and explanations given by the management, we are of the opinion that, the company has not defaulted in repayment of dues to financial institution, bank, government or debenture holders.

ix Based on our audit procedures and the information given by the management, we report that the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. As informed to us the term loans were applied for the purposes for which those are raised.

x. Based on the audit procedures performed and the information and explanations given to us, we report that no fraud by the company or no fraud on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of such case by the management.

xi. In view of exemption given vide notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs provisions of section 197 read with Schedule V of the Act regarding managerial remuneration are not applicable to the Company. Accordingly clause (xi) of the order is not applicable to the company.

xii. According to the information and explanations given to us, the company is not the Nidhi company as defined in section 406(1) of the Companies Act 2013, hence clause (xii) of the order is not applicable to the company.

xiii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account company has complied with the provision of section 177 and 188 of the Companies Act 2013 in respect to all the transaction with the related parties.

xiv. The transactions have been disclosed in the Financial Statements required by the applicable accounting standards.

xv. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year, hence clause (xiv) of the order is not applicable to the company

xvi. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or person connected with him; hence clause (xv) of the order is not applicable to the company.

xvii The company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

लेखापरीक्षक रिपोर्ट के लिए अनुबंध - ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') के उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड ए एस वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन में 31 मार्च, 2020 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा की है।

1. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंध, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में प्रस्तावित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानक पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो, अधिनियम के अधीन अपेक्षित जैसे, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं त्रुटियों का निवारण एवं खोज, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन कर रहे थे।

2. लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देश टिप्पणी ("मार्गनिर्देश टिप्पणी") और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू के हद तक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए समझे लेखापरीक्षा पर मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा द्वारा और भारतीय सनदी लेखाकारों द्वारा जारी किये गये के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गनिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और यदि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित किये गये और यदि ऐसे नियंत्रण सभी प्रमुख मामलों पर प्रभावी रूप से चालू किया गया है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करने की ओर लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करना।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनके प्रचालन प्रभावकारिता की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना है कि प्रत्यक्ष कमज़ोरी विद्यमान है, और डिज़ाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता का प्रचालन शामिल है। लेखापरीक्षकों के निर्णय के आधार पर प्रक्रियाओं का चयन किया गया, जिस में वित्तीय विवरणों के प्रमुख अयथार्थ बयान की जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधडी या गलती के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने को पर्याप्त और उचित है।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने की ओर, अभिकल्पित प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियों और प्रक्रियायें शामिल हैं: (1.) अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और संचालन में सही एवं काफी उचित विवरण प्रतिबिंबित होते हैं। (2.) उचित आश्वासन प्रदान करना है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति देने की आवश्यकता के रूप में लेन-देन रिकोर्ड किये गये हैं, और केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के प्राप्ति एवं खर्च किये जा रहे हैं। (3.) कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या प्रकृति के रोकथाम या समय पर खोज, से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसके वित्तीय विवरण पर प्रमुख प्रभाव होगा।

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की निहित सीमायें

कूटसंधि या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहन की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधडी से प्रमुख अयथार्थ विवरण उत्पन्न हो सकता है और पता नहीं लिया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए

Annexure – B to the Auditor's Report

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act 2013.

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited ("the Company") as of 31st March, 2020 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

1. Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

2. Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

3. Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

4. Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जायेगा या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

5. राय

हमारी राय में, कंपनी, को सभी प्रमुख पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देश नोट में दिये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर,वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे ।

कृते यू.एन.बेने & कं.
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन : 117052 डब्लियु)

अमोडा यू बेने साझेदार
(सदस्य सं.102445)

युडीआईएन: 20102445एएएएएडब्लियु 3144

दिनांक : 3अक्तूबर, 2020
स्थान : मर्गाओ गोवा

not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

5. Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For U N Bene& Co
Chartered Accountants
(FRN: 117052W)

Amoda U Bene
Partner
(M.No: 102445)

UDIN: 20102445AAAAAW3144

Dated:3rd October 2020
Place: Margao Goa

लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक का कार्यालय
(स्वास्थ्य कल्याण & ग्रामीण विकास)
इंद्रप्रस्था एस्टेट, नई दिल्ली 110002
पी.डी.ए (स्वा.क. एवं ग्रा.वि)ए.एस.जी.I/ पिएसयू-GAPL/2020-21/528 दिनांक
दिनांक : 19.01.2021

गोपनीय

सेवा में
अध्यक्ष
गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
टुएम, पेर्नेम, इ
गोवा-403512

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (बी) के अंतर्गत गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणी प्रमाण-पत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,
पी.के. सखसेना
उप निदेशक - एएमजी - ब्

संलग्न : यथोपरि

डीजीएसीआर बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
दूरभाष 91-1123702254, फैक्स 91- 1123702271
ई मेलः pdahwrd@cag.gov.in

Office of The Principal Director of Audit
(Health, Welfare & Rural Developement)
Indraprastha Estate, New Delhi 11002
No. PDA..
Dated: 19.01.2021

CONFIDENTIAL

To,

The Chairman,
Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited,
Tuem, Pernem
Goa- 403 512

Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143 (6) (b) of Companies Act 2013 on the Financial Accounts of Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited for the year ended 31st March 2020.

Sir,

Comments Certificate on the Financial Accounts of Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited for the year ended 31 March 2020 under Section 143 (6) (b) of Companies Act 2013 is being sent with this letter.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Encl:As above

Yours Faithfully,

P K Sakhsena
Deputy Director, AMG - I

DGACR, Building, I.P.Estate, New Delhi- 110002
Tel: 91 - 11 23702254, Fax: 91 - 1123702271
Emai: pdahwrd@cag.gov.in

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के **गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने केलिए अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह कहा गया है कि यह उनके **दिनांक 3 अक्तूबर, 2020** की **लेखापरीक्षा रिपोर्ट** के द्वारा किया गया है।

मैं ने, भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन **गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड** के 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय विवरण के अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात की पहूँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक की पूछताछ और कंपनी के कार्मिक तथा चयनात्मक परीक्षा के कुछ लेखांकन रिकोर्डों पर मुख्यतः सीमित है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को हाइलाइट करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्ष रिपोर्ट की बेहतर समझ को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

1. तुलन पत्र

1.1 चालू देयताएं - अन्य चालू देयताएँ रु. 199.60 **लाख**

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए मैसर्स ज्योति एजेंसियों के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित व्यापार सहयोगी समझौते के अनुसार, कंपनी मैसर्स ज्योति एजेंसियों को सेवा प्रभार का भुगतान करेगी।

सेफोटैक्साइस इंजेक्शन 14% जी एस टी सहित
सेफोटैक्साइस इंजेक्शन 15% जी एस टी सहित
टैबलेट और कैप्सूल 10%+ जी एस टी

उपर्युक्त खाता शीर्ष में मैसर्स ज्योति एजेंसियों को देय जी एस टी की राशि रु.22.53 लाख शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों के लिए जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रु.22.53 लाख की समरूपता के साथ भुगतान किया जाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
की तरफ से

अशोक सिंहा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 20.01.2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF GOA ANTIBIOTICS & PHARMA-CEUTICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020

The preparation of financial statements of **Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited** for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of lndia under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 3rd October 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited** for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on supplementary audit, I would like to highlight the follwing significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understading of the financial statement and the related audit report.

1. Balance Sheet

1.1 Current libalities - Other Current libalities Rs. 199.60 Lakh

As per the Business Associate Agreement executed by the company with M/s Jyothi Agencies for marketing the products manufactured by the company in the states of Telagana and Andhra Pradesh, the company shall pay M/s Jyothi Agencies service charge as under:

Cefotaxime injection 14% inclusive of GST
Cefotaxime injection 15% inclusive of GST
Tablet and capsule 10% + GST

The above account head does not include Rs. 22.53 Lakh being the amount of GST payable to M/s Jyothi Agencies on the service charges resulting in understatement of other current libalities with corresponding understatement of CGST Input Tax Credit by Rs. 22.53 Lakh.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Ashok Sinha
(Health, Welfare & Rural Developement)

Place : New Delhi
Date : 20.01.2021

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
(एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की समनुषंगी, भारत सरकार का उद्यम)

31 मार्च, 2020 का तुलन-पत्र

	विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2020 को ₹ लाखों में	31.03.2019को ₹ लाखों में
क	**परिसंपत्तियाँ**			
	गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
	क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	543.42	497.11
	ख. अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	21.09	26.71
	ग. पूंजी कार्य प्रगति	3	0.96	4.62
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-
			565.46	**528.44**
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	i) निवेश	4	0.25	0.25
	ii) अन्य	5	54.66	52.45
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	39	373.01	214.59
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6	39.17	39.17
			1,032.55	834.90
	चालू परिसंपत्तियाँ			
	वस्तुसूचियाँ	7	176.10	86.33
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	निवेश	-		-
i	व्यापार प्राप्तियाँ	8	3,168.87	2,521.82
ii	नकद एवं नकद तुल्यांक	9	163.19	2.67
iii	उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	9	197.83	89.24
iv	अन्य	10	17.12	14.25
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	151.46	87.73
			3,874.57	2,802.04
	कुल परिसंपत्तियाँ		**4,907.12**	**3,636.94**
ख	**इक्विटी व देयताएँ**			
	इक्विटी			
	इक्विटी शेयर पूँजी	12	1,902.00	1,902.00
	अन्य इक्विटी	13	(1,192.79)	(629.55)
			709.21	1,272.45
	देयताएँ			
	गैर - चालू देयताएँ			
	वित्तीय देयताएँ			
	उधार	14	140.33	50.55
	पट्टा देनदारियाँ (टिप्पणी 38 देखें)	38	0.30	-
	अन्य गैर चालू देयताएँ	15	78.80	4.43
			219.43	54.98

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited
(A Subsidiary of HLL Lifecare Ltd, A Government of India Enterprise)
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2020

	Particulars	Note No.	AS AT 31.03.2020 ₹ in lacs	AS AT 31.03.2019 ₹ in lacs
A	**ASSETS**			
	Non-current assets			
	a. Property, Plant & Equipment	3	543.42	497.11
	b. Intangible Assets	3	21.09	26.71
	c. Capital work-in-progress	3	0.96	4.62
	Intangible Assets under development	-	-	-
			565.46	528.44
	Financial Assets			
	i) Investments	4	0.25	0.25
	ii) Others	5	54.66	52.45
	Deferred Tax Assets (Net)	39	373.01	214.59
	Other Non Current Assets	6	39.17	39.17
			1,032.55	834.90
	Current assets			
	Inventories	7	176.10	86.33
	Financial Assets			
	i) Investments	-		
	i) Trade Receivables	8	3,168.87	2,521.82
	ii) Cash and cash equivalents	9	163.19	2.67
	iii) Bank balances other than (iii) above	9	197.83	89.24
	iv) Others	10	17.12	14.25
	Other current assets	11	151.46	87.73
			3,874.57	2,802.04
	TOTAL ASSETS		**4,907.12**	**3,636.94**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**			
	Equity			
	Equity Share Capital	12	1,902.00	1,902.00
	Other Equity	13	(1,192.79)	(629.55)
			709.21	1,272.45
	Liabilities			
	Non-current liabilities			
	Financial Liabilities			
	i) Borrowings	14	140.33	50.55
	ii) Lease Liabilities(refer note 38)	38	0.30	-
	Other non current liabilities	15	78.80	4.43
			219.43	54.98

	चालू देयताएँ			
	वित्तीय देयताएँ			
i	उधार	16	736.50	327.78
ii	पट्टा देनदारियाँ (टिप्पणी 38 देखें)	38	0.03	-
	क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	17	120.66	11.49
	ख) अन्य	17	2,815.22	1,694.32
	अन्य चालू देयताएँ	18	199.60	206.59
	प्रावधान	19	106.47	69.33
			3,978.48	**2,309.51**
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**4,907.12**	**3,636.94**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	1&2		

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

मंडल की तरफ से

कृते यु.एन.बेने & कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं. :117052 डब्लियु

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष
डिन : 08419099

के.वी बल्लीकर
निदेशक
डिन : 06813369

सी.ए.अमोदा यु.बेने
साझेदार
सदस्य सं. 102445

पी.विजयकुमार
सी एफ ओ
सदस्य सं. 49429

रेजु स्करिया
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : गोवा
दिनांक : 21.01.2021

	Current liabilities			
	Financial Liabilities			
	i) Borrowings	16	736.50	327.78
	ii) Trade Payables	17		
	a. Micro, Small and Medium Enterprises		120.66	11.49
	b. Others		2,815.22	1,694.32
	Other current liabilities	18	199.60	206.59
	Provisions	19	106.47	69.33
	Lease Liabilities(refer note 38)	38	0.03	-
			3,978.48	**2,309.51**
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		**4,907.12**	**3,636.94**
	Significant Accounting Policies	1 & 2		
	Explanatory notes to Financial Statements	-		

Vide our reprort of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

M/s. For U.N. Bene & Co
Chartered Accountants
FRN: 117052W

K. Beji George IRTS
Chairman
DIN: 08419099

K.V Ballikar
Director
DIN: 06813369

C.A Amoda U Bene
Partner
M.No. 102445

P. Vijaykumar
CFO
M.No. 49429

Reju Skaria
Chief Executive Officer

Place : Goa
Date : 21.01.2021

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
(एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की समनुषंगी, भारत सरकार का उद्यम)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

		टिप्पणी सं	2019-20 ₹ लाखों में	2018-219 ₹ लाखों में
	आय			
	प्रचालनों से राजस्व	20	3,349.40	4,991.40
	अन्य आय	21	18.02	38.78
	कुल आय		**3,367.42**	**5,030.18**
	व्यय			
	प्रयुक्त सामग्रियों की लागत	22	2,188.39	2,911.84
	व्यापार स्टॉक के क्रय	23	268.57	248.42
	तैयार मालों की वस्तुसूचियों में परिवर्तन कार्य प्रगति और व्यापार स्टॉक	24	(8.81)	143.72 -
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	905.15	936.31
	वित्तीय लागत	26	90.60	79.05
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	3	63.81	63.32
	अन्य व्यय	28	561.25	865.68
	कुल व्यय		**4,068.96**	**5,248.34**
	विशेष/असाधारण मदें और कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(701.54)	(218.16)
	विशेष मदें इ(आय)/ व्यय) ट	27	-	212.53
	असाधारण मदें		-	0.95
	कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(701.54)	(431.64)
	कर व्यय:			
	चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		-	-
	एम ए टी ऋण पात्रता		-	-
	आस्थगित कर		(158.42)	(169.65)
	कुल कर व्यय		(158.42)	(169.65)

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited
(A Subsidiary of HLL Lifecare Ltd, A Government of India Enterprise)
Statement of profit & loss for the year ended 31st March 2020

	Particulars	Note No.	2019-20 ₹ in lacs	2018-19 ₹ in lacs
	Income			
	Revenue from operations	20	3,349.40	4,991.40
	Other income	21	18.02	38.78
	Total Income		3,367.42	5,030.18
	Expenses			
	Cost of materials consumed	22	2,188.39	2,911.84
	Purchases of stock-in-trade	23	268.57	248.42
	Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	24	(8.81)	143.72
	Employee benefits expense	25	905.15	936.31
	Finance costs	26	90.60	79.05
	Depreciation and amortisation expense	3	63.81	63.32
	Other expenses	28	561.25	865.68
	Total expenses		4,068.96	5,248.34
	Profit / (Loss) before Exceptional/Extraordinary items and tax		(701.54)	(218.16)
	Exceptional Items[(Income)/Expense)]	27	-	212.53
	Extraordinary Items		-	0.95
	Profit / (Loss) before tax		(701.54)	(431.64)
	Tax expense:			
	Current tax expense for current year		-	-
	MAT Credit Entitilement		-	-
	Deferred tax		(158.42)	(169.65)
	Total Tax Expense		(158.42)	(169.65)

	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		(543.12)	(261.99)
	अन्य व्यापक आय			
	क (i) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की गयी मदें - निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनः मापन (ii) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाने वाली मदों से संबंधित आय कर ख (i) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाने वाली मदें - नकद प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों के निर्दिष्ट हिस्से पर अभिलाभ और हानि का प्रभावी हिस्सा। (ii) लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाने वाली मदों से संबंधित आय कर ।		(20.49) - -	1.27 - -
	अन्य कुल व्यापक आय		(20.49)	1.27
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		(563.61)	(260.72)
	प्रति शेयर अर्जन (₹) मूल (₹ 100/- का अंकित मूल्य	33	(28.56)	(13.77)
	- हल्का		(28.56)	(13.77)

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है। मंडल की तरफ से

कृते यु.एन.बेने & कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं. :117052 डब्लियु

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष
डिन : 08419099

के.वी बल्लीकर
निदेशक
डिन : 06813369

सी.ए.अमोदा यु.बेने
साझेदार
सदस्य सं. 102445

पी.विजयकुमार
सी एफ ओ
सदस्य सं. 49429

रेजु स्करिया
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : गोवा
दिनांक : 21.01.2021

	Profit / (Loss) for the year		(543.12)	(261.99)
	Other Comprehensive Income			
	A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	- Remeasurement of Defined Benefit Plans		(20.49)	1.27
	(ii) Income tax relating to Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
	B (i) Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
	- Effective portion of gains and loss on designated portion of hedging instruments in a cash flow hedge		-	-
	(ii) Income tax relating to Items that will be reclassified to profit or loss		-	-
	Total Other Comprehensive Income		(20.49)	1.27
	Total Comprehensive Income for the year		(563.61)	(260.72)
	Earnings per share (₹) - Basic (Face value of ` 100/- Share)	33	(28.56)	(13.77)
	- Diluted		(28.56)	(13.77)

Vide our reprort of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

M/s. For U.N. Bene & Co
Chartered Accountants
FRN: 117052W

K. Beji George IRTS
Chairman
DIN: 08419099

K.V Ballikar
Director
DIN: 06813369

C.A Amoda U Bene
Partner
M.No. 102445

P. Vijaykumar
CFO
M.No. 49429

Reju Skaria
Chief Executive Officer

Place : Goa
Date : 21.01.2021

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
(एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की समनुषंगी, भारत सरकार का उद्यम)

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपए आँकडों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ लाखों में	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ लाखों में
(क) प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
वर्ष केलिए निवल लाभ	(543.12)	(260.72)
समायोजन		
आय कर व्यय	(158.42)	(169.65)
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	63.81	63.32
विशेष मदें	-	213.48
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर हानि	27.88	2.34
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	-	-
वित्त लागत	90.60	79.05
ब्याज आय	(3.24)	(3.67)
पूँजी कार्य परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	**(522.49)**	**(75.85)**
चालू पूँजी में परिवर्तन : प्रचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समाजोयन :		
वस्तुसूचियाँ	(89.76)	376.42
व्यापार प्राप्तियाँ	(647.06)	144.91
अल्पकालीन ऋण एवं पेशगियाँ	(2.86)	2.28
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(63.74)	(91.67)
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन	(2.20)	89.91
प्रचालन देयताओं में (वृद्धि/कमी) के लिए समायोजन :	-	-
व्यापार देनदारियाँ	**1,230.06**	**(289.67)**
अन्य चालू देयताएँ	7.71	(224.64)
दीर्घकालीन प्रावधान	(74.37)	(5.25)
अल्पकालीन प्रावधान	37.15	(68.39)
प्रचालन से बनायी रोकड़	**(127.56)**	**(141.95)**
निवल आय कर (प्रदत्त)/वापसी		-
प्रचालन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (क)	**(127.56)**	**(141.95)**
ख. निवेशी कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
पूँजी पेशगियों सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूँजी व्यय	(14.48)	(79.64)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	-	-
सावधि जमा मार्जिन धन	(108.58)	(56.68)
ब्याज आय	3.24	3.67
निवेश कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ख)	**(119.82)**	**(132.65)**
ग. वित्तीयन कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
दीर्घकालीन ऋणों से वापसी	89.77	(76.85)
वित्त लागत	(90.56)	(79.05)
पट्टा देयताओं के भुगतान	(0.03)	-
कार्यशील पूँजी उधार में निवल वृद्धि/(कमी)	-	-
वित्तीयन कार्यकलापों से (प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ग)	**(0.82)**	**(155.90)**
नकद एवं नकद तुल्यांक में निवल वृद्धि/(कमी) (क)+(ख) +(ग)	**(248.20)**	**(430.50)**

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Limited
(A Subsidiary of HLL Lifecare Ltd, A Government of India Enterprise)
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020

Particulars	For the year ended March 31, 2020 ₹ in lacs	For the year ended March 31, 2019 ₹ in lacs
A. Cash flow from operating activities		
Net Profit for the year	(543.12)	(260.72)
Adjustments for:		
Income tax expense	(158.42)	(169.65)
Depreciation and amortisation	63.81	63.32
Exceptional Items	-	213.48
Loss on sale of Property, plant and equipment	27.88	2.34
Profit on sale of Property, plant and equipment	-	-
Finance costs	90.60	79.05
Interest income	(3.24)	(3.67)
Operating profit / (loss) before working capital changes	**(522.49)**	**(75.85)**
Changes in working capital:		
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
Inventories	(89.76)	376.42
Trade receivables	(647.06)	144.91
Short-term loans and advances	(2.86)	2.28
Other current assets	(63.74)	(91.67)
Changes in other non-current assets	(2.20)	89.91
Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:	-	-
Trade payables	**1,230.06**	**(289.67)**
Other current liabilities	7.71	(224.64)
Long-term provisions	(74.37)	(5.25)
Short-term provisions	37.15	(68.39)
Cash generated from operations	**(127.56)**	**(141.95)**
Net income tax (paid) / refunds		**-**
Net cash flow from / (used in) operating activities (A)	(127.56)	(141.95)
B. Cash flow from investing activities		
Capital expenditure on fixed assets, including capital advances	(14.48)	(79.64)
Proceeds from sale of fixed assets	-	-
Fixed Deposit Margin Money	(108.58)	(56.68)
Interest income	3.24	3.67
Net cash flow from / (used in) investing activities (B)	**(119.82)**	**(132.65)**
C. Cash flow from financing activities		
Repayment of long-term borrowings	89.77	(76.85)
Finance cost	(90.56)	(79.05)
Payment of Lease Liabilities	(0.03)	-
Net increase / (decrease) in working capital borrowings	-	-
Net cash flow from / (used in) financing activities (C)	**(0.82)**	**(155.90)**
Net increase / (decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	**(248.20)**	**(430.50)**

वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद तुल्यांक	(325.11)	105.39
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक	**(573.31)**	**(325.11)**
तुलन पत्र के साथ नकद तथा नकद तुल्यांक का समाधान :		
तुलन पत्र के अनुसार नकद तथा नकद तुल्यांक	(375.48)	(235.87)
न्यून : इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे बैंक शेष के रूप में नहीं माने गए नकद तथा नकद तुल्यांक	197.83	89.24
निवल नकद एवं नकद तुल्यांक (इंड ए एस 7 नकद प्रवाह विवरण में निर्धारित जैसे)	**(573.31)**	**(325.11)**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद तुल्यांक ।समाविष्टि		
(क) हाथ में रोकड़	0.15	0.15
(ख) हाथ में चैक, ड्राफ्ट	-	-
(ग) बैंक उधार	(736.50)	(327.78)
(घ) कैश क्रेडिट में	160.02	0.01
(ङ) चालू खाते में	3.02	2.51
(च) ई ई एफ सी खाते में	-	-
	(573.31)	(325.11)

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है।

मंडल की तरफ से

कृते यु.एन.बेने & कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म नं. :117052 डब्लियु

के.बेजी जोर्ज, आई आर टी एस
अध्यक्ष
डिन : 08419099

के.वी बल्लीकर
निदेशक
डिन : 06813369

सी.ए.अमोदा यु.बेने
साझेदार
सदस्य सं. 102445

पी.विजयकुमार
सी एफ ओ
सदस्य सं. 49429

रेजु स्करिया
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : गोवा
दिनांक : 21.01.2021

Cash and cash equivalents at the beginning of the year	(325.11)	105.39
Cash and cash equivalents at the end of the year	**(573.31)**	**(325.11)**
Reconciliation of Cash and cash equivalents with the Balance Sheet:		
Cash and cash equivalents as per Balance Sheet	(375.48)	(235.87)
Less: Bank balances not considered as Cash and cash equivalents as defined in IND AS 7 Cash Flow Statements	197.83	89.24
Net Cash and cash equivalents (as defined in IND AS 7 Cash Flow Statements)	**(573.31)**	**(325.11)**
Cash and cash equivalents at the end of the year *Comprises:		
(a) Cash on hand	0.15	0.15
(b) Cheques, drafts on hand	-	-
(c) Bank borrowings	(736.50)	(327.78)
(d) In cash credit	160.02	0.01
(e) In current accounts	3.02	2.51
(f) In EEFC accounts	-	-
	(573.31)	(325.11)

Vide our reprort of even date attached

For and on behalf of the Board of Directors

M/s. For U.N. Bene & Co
Chartered Accountants
FRN: 117052W

K. Beji George IRTS
Chairman
DIN: 08419099

K.V Ballikar
Director
DIN: 06813369

C.A Amoda U Bene
Partner
M.No. 102445

P. Vijaykumar
CFO
M.No. 49429

Reju Skaria
Chief Executive Officer

Place : Goa
Date : 21.01.2021

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
(एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की समनुषंगी, भारत सरकार का उद्यम)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय विवरण के भाग की टिप्पणी

क्र. सं. विवरण

1. कॉर्पोरेट सूचना

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (जी ए पी एल), एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम (नियंत्रक कंपनी) और ई डी सी लिमिटेड, गोवा सरकार का उद्यम (सहयोगी कंपनी) द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला एक प्रमुख सार्वजनिक उद्यम है, जो टुएम, पेर्नेम, गोवा में फार्मस्यूटिकल सूत्रीकरण, अजमेर, राजस्थान में आयुर्वेदिक दवा और जयपुर, राजस्थान में होमियोपथिक दवाओं के विनिर्माण और बिक्री में लगे हुए हैं । कंपनी गोवा मेडिकल कॉलेज, बांबोलिम, गोवा और होसपिसियो अस्पताल, मडगाँव, गोवा, उप जिला अस्पताल, पोंडा के सरकारी अस्पतालों में जी ए पी एल मेडिसेंटर के नाम और शैली में केमिस्ट रीटेल आउटलेट (24×7) भी चलाती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुपालन (इंड ए एस)

कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन अधिसूचित इंड ए एस के अनुसार तैयार किया गया है । 31 मार्च, 2016 तक समाप्त वर्ष तक, पिछले जी ए ए पी के अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है, जिसमें कंपनियों (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित मानक शामिल हैं ।

इंड ए एस में संक्रमण की तारीख 1 अप्रैल, 2015 है ।

जब तक अलग रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तब तक प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए एक ही लेखांकन नीति लागू की गयी हैं ।

ये वित्तीय विवरण प्रासंगिक इंड ए एस के आधार पर एक लाभकारी संस्था के रूप में तैयार किए गए हैं जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्टिंग तारीख 31 मार्च 2020 तक है। नियामकों, न्यायलयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की लाभकारी स्थिति और उसके भविष्य के संचालन पर प्रभाव डाल सकते हैं।

नीचे लेखांकन नीतियों में बताये जैसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापित कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और अधिनियम की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है । उत्पादों की प्रकृति और प्रक्रिया के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद एवं नकद तुल्यांक में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने इसके परिचालन चक्र को परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू और गैर-चालू के उद्देश्य के लिए बारह महीनों के रूप में निर्धारित किया ।

महत्वपूर्ण लेखानीतियाँ नीचे विस्तृत की हैं :

2.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनिश्चितता अनुमान के मुख्य स्रोत

कित्तीय विवरण भारतीय रुपए में पृस्तुत किया गया है।

इंड ए एस के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंध को निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान बनाने की आवश्यकता है जो वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देयताओं की रकम (प्रासंगिक देयताओं सहित) और रिपोर्ट किए गए आय और व्यय को प्रभावित करती है ।

निर्णय,आकलन और संबद्ध पूर्वानुमान परंपरागत अनुभव और अनिश्चित भविष्य धटनाएं जो सुसंगत माने जाने वाले प्रभाव के आकलन सहित अन्य घटकों पर आधारित है । प्रबंध विश्वास करता है कि वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकी और उचित है। भविष्य परिणाम इन आकलनों के कारण परिवर्तित हो सकता है और वास्तविक परिणाम और आकलन के अंतर को परिणाम उन अवधियों में अभिज्ञ/कार्यान्वित किए जाते हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लागत :

उत्पादन या सामानों या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तुलन पत्र में लागत में (निवल शुल्क/लाभ उठाए कर क्रेडिट) संचित मूल्यह्रास और संचित खराब हानि कम करके वर्णित की गई है ।

Notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2020

Sl no. Particulars

1 Corporate information

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd. (GAPL) is a premier Public Sector Enterprise jointly owned by HLL Lifecare Ltd., a Government of India Enterprise (Holding Company) and EDC Ltd., a Government of Goa Enterprise (Associate Company), engaged in manufacture and sale of Pharmaceutical formulation at Tuem, Pernem- Goa; Ayurvedic medicines at Ajmer, Rajasthan and Homeopathic medicines at Jaipur, Rajasthan. The Company is also running Chemists Retail Outlets (24x7) in the name and style as GAPL's Medicentre in Government Hospitals at Goa Medical College, Bambolim-Goa , Hospicio Hospital, Margao- Goa , Sub District Hospital, Ponda .

2 Significant accounting policies

Compliance with Indian Accounting Standards (Ind AS):

The financial statements of the company have been prepared in accordance with Ind AS notified under the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. Up to the year ended March 31, 2016, the Company prepared its financial statements in accordance with the requirements of previous GAAP, which includes Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.

The date of transition to Ind AS is April 1, 2015.

The same accounting policies have been applied for all the periods presented unless specified separately.

These financial statements have been prepared on a going concern on the basis of the relevant Ind AS that are at the company's annual reporting date,31st March 2020. No significant or material orders were passed by the regulators or courts or tribunals which could impact the going concern status of the Company and its future operations.

The financial statements have been prepared on accrual basis and under the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the schedule III to the Act. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents, the Company has determined its operating cycle as twelve months for the purpose of current - non-current classification of assets and liabilities.

The financial statements are presented in Indian Rupees.

2.1 The significant accounting policies are detailed below

Critical accounting judgments and key sources of estimation uncertainty

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS , requires the Management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year.

The judgements, estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors including estimation of effects of uncertain future events that are considered to be relevant. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual results and the estimates are recognized in the periods in which the results are known / materialized.

2.2 Property, Plant and Equipment

Cost:

Property, plant and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated in the balance sheet at cost (net of duty/ tax credit availed) less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण की अवधि में संपत्तियाँ कोई भी स्वीकृत खराब हानि कम करके लागत पर किया जाता है । लागत में पेशेवार शुल्क और प्रतिबंध परिसंपत्तियों के लिए कंपनी के लेखांकन नीति के अनुसार पूँजीकृत उधार लागत शामिल है । ऐसी संपत्तियाँ पूर्ण होकर निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार होने पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं । इन परिसंपत्तियों के मूल्याहास, अन्य संपत्तियों के रूप में उसी आधार पर उनके लिए निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति तैयार होने पर आरंभ होता है ।

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापित (संक्रमण तारीख) 1 अप्रैल, 2015 को इसके सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल कीमतों के साथ जारी रखने के लिए चुन लिया है और ऐसे मूल कीमत को इसके संक्रमण की तारीख के समझी लागत के रूप में उपयोग करता है ।

मूल्यहास :

मूल्यहास को मान्यता दी जाती है ताकि परिसंपत्तियों की लागत (पूर्ण स्वामित्व भूमि और निर्माणाधीन संपत्ति के अलावा) सीधी रेखा प्रणाली उपयोग कर के उनके उपयोगी जीवन पर अवशिष्ट मूल्य कम कर के बट्टे खाते डाला जाता है। अनुमानित प्राक्कलन में किसी परिवर्तन के प्रभाव से संभावित आधार पर आकलित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यहास विधि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है ।

भूमि का मूल्यहास नहीं किया जाता है । पट्टाधृत भूमि और पट्टाधृत सुधार, पट्टे या उपयोगी जीवन की अवधि, जो भी कम हो, पर परिशोधित किए जाते हैं।

मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार बनाया गया है। आगे, सभी परिसंपत्तियों (पट्टाधृत परिसंपत्तियों के अलावा) केलिए सीधी रेखा विधि पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है ताकि कोई भी तकनीकी सलाह के आधार पर निर्धारित उपयोगी कार्यकाल के उन परिसंपत्तियों को छोडकर अधिनियम में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल पर लागत के 5% अवशेष मूल्य बनाए रखने के बाद परिसंपत्तियों की लागत को बट्टे खाते में डालना है।

मुख्य परिसंपत्तियों के घटकों को अलग रूप से पहचाना और निर्धारित किये गये थे, यदि उनको उपयोगी जीवन जो असल में प्रधान परिसंपत्ति से अलग है। एक उनको घटक महत्वपूर्ण है या नहीं यह निर्धारित करने की सीमा रेखा के रूप में प्रधान परिसंपत्ति की मूल लागत की 10% को माना गया है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के महत्वपूर्ण भाग को विविध उपयोगी जीवन है, तो उनको संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में परिकलित किया जाता है ।

उपकरण के साथ अधिग्रसित मशीनरी पुर्जों का मूल्यहास मूल मशीनरी केलिए उपयुक्त दर व प्रणाली के प्रयोग करके किए जाते हैं। भविष्य के प्रयोग केलिए अलग रूप से प्रापण किए मशीनरी पुर्जों के मामले में, संबंधित मशीनरी की समाप्त अवधि के लिए संचित मूल्यहास के समतुल्य दर अर्जन वर्ष में उस वर्ष के मूल्यहास के साथ चार्ज किए जाते हैं ।

अस्वीकृति

निपटान या परिसंपत्ति की सतत उपयोग से प्रतीक्षित भविष्य के आर्थिक फायदे नहीं होने पर संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के एक मद को अस्वीकृत किया जाता है । संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान या निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले कोई भी अभिलाभ या हानि को बिक्री परिणाम और परिसंपत्ति के रखाव रकम के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और उसको लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को परंपरागत लागत पर संचित मूल्यहास और संचित खराब हानि यदि है तो कम कर के कहा गया है । लागत में इनपुट क्रेडिट के निवल जहाँ कहीं लागू है, सभी प्रासंगिक व्यय शामिल है । नई परियोजनाएँ/ नए व्यवसायों को पहचानने केलिए खर्च हुए राजस्व व्यय पूँजी कार्य प्रगति के रूप में माना जाता है । यह व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में परियोजना लागत में आमेलित किया जाएगा। यदि नई परियोजना/नए व्यवसाय 3 वित्तीय वर्षों की अवधियों में कार्यान्वित नहीं किए गए हैं तो सभी व्यय तीसरे वर्ष में राजस्व में प्रभारित करेंगे ।

अचल परिसंपत्तियों की लागत में उधार पर ब्याज (भारित औसत दर पर परिकलित) और अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं ।

निर्माण काल की अवधि का खर्च पूँजी कार्य प्रगति के अधीन शामिल किया जाता है और इसे निर्माण की समाप्ति पर संबंधित अचल परिसंपत्तियों में आबंटित किया जाता है ।

Properties in the course of construction for production, supply or administrative purposes are carried at cost, less any recognised impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalised in accordance with the Company's accounting policy. Such properties are classified to the appropriate categories of property, plant and equipment when completed and ready for intended use. Depreciation of these assets, on the same basis as other property assets, commences when the assets are ready for their intended use.

The Company has elected to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment recognised as of April 1, 2015 (the transition date) measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost as of the transition date.

Depreciation;

Depreciation is recognised so as to write off the cost of assets (other than freehold land and properties under construction) less their residual values over their useful lives, using the straight-line method. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

land is not depreciated. Lease hold land and lease hold improvements are amotised over the period of lease or useful life whichever is lower.

Depreciation on tangible assets have been made in line with the requirement under Schedule II of the Companies Act, 2013. Further depreciation has been charged on Straight line method for all assets (except leasehold assets) so as to write off the cost of the assets after retaining residual value of 5% of the cost ,over the useful lives of the assets prescribed in the Act, except for those assets whose useful lives are determined based on any technical advice.

Components of main assets were identified and determined separately, if they have a useful life that is materially different from that of the principal asset. 10% of the original cost of the principal asset has been considered as threshold limit to determine whether a component is material or not.

When significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Machinery spares acquired with the equipment are depreciated using the same rates and method applicable for the original machinery. In the case of Machinery spares procured separately for future use, rate equivalent to accumulated depreciation for the expired life of the relative machinery are charged in the year of acquisition along with depreciation for the year.

De-recognition:

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in profit or loss.

Property, Plant and Equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss if any. Cost includes all incidental expenditure net of Input Credit wherever applicable. Revenue expenses incurred for identification of new projects/ new line of businesses are treated as capital work in progress. This will be absorbed into the project cost in the first year of commencing the business. If the new project/ new line of business do not materialize within a period of three financial years, the entire expenses shall be charged to Revenue in the 3rd year.

The cost of fixed assets includes interest on borrowings (calculated at the weighted average rates) and administrative expenses specifically attributable to the acquisition of fixed assets.

Expenditure during construction period is included under Capital Work-in-Progress and the same is allocated to the respective fixed assets on the completion of construction.

फार्मस्यूटिकल्स विनिर्माण सुविधा के संबंध में हुए खर्च मान्यता प्रक्रिया पूरा होने तक चालू पूँजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है ।

लाख या अधिक मूल्य के एकल अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंडबाय उपकरण और सर्विज़िंग उपकरण और 12 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए उपयोग किए जाने के लिए प्रतीक्षित है उनके अधिग्रहण पर पूँजीकृत किया जाता है ।

अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी को 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तारीख) पिछले जीएएपी के अनुसार मापित, इसके सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चुन लिया गया और संक्रमण तारीख के रूप में इसकी समझी लागत ऐसे मूल कीमत के रूप में प्रयोग करना ।

एस ए पी सोफ्टवेयर समाधान के अलावा अन्य कंप्यूटर सोफ्टवेयर की लागत को 3 साल की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है जबकि एस ए पी सोफ्टवेयर समाधान को यथानुपात आधार पर 8 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है। लाइसेंस शुल्क का भुगतान समझौते की अवधि में समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

अलग रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अलग रूप से अर्जित सीमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित खराब हानि कम करके लागत पर किया जाता है।

परिशोधन उनके आकलित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा प्रणाली आधार पर स्वीकृत किया जाता है । संभावित आधार पर परिकलित किए जा रहे प्राकलन में कोई परिवर्तन के प्रभाव के साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन प्रणाली की समीक्षा की जाती है ।

अमूर्त संपत्तियों की अस्वीकृति

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या उपयोग या निपटान से कोई भविष्य आर्थिक फायदा की प्रतीक्षा नहीं की जाती हैं, अस्वीकृत किया जाता है । एक अमूर्त संपत्ति की अस्वीकृति से उत्पन्न अभिलाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, परिसंपत्ति अस्वीकृत होते समय लाभ हानि में स्वीकृत किया जाता है ।

2.3 ट्रेड मार्क व्यय

ट्रेड मार्क पंजीकरण पर खर्च हुए व्यय को पूँजी कार्य प्रगति के रूप में माना जाएगा और लाइसेंस प्राप्त होते ही 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के अधीन पूँजीकृत किया जाएगा। इन लाइसेंसों पर खर्च हुए उत्तरवर्ती व्यय को ऐसे व्यय खर्च हुई अवधि में राजस्व व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति की तारीख से 10 वर्षों की अवधि में ट्रेड मार्क व्यय परिशोधित किया जाता है।

2.4 पट्टा

मार्च 31, 2019 तक पट्टेदार के रूप में

यह निर्धारित करना है कि क्या किसी व्यवस्था में पट्टा है

एक व्यवस्था की शुरूआत में यह निर्धारित किया जाता है क्या व्यवस्था है या एक पट्टा शामिल है।

एक व्यवस्था की शुरूआत या पुनर मूल्यांकन पर जिसमें पट्टा होता है, ऐसी व्यवस्था के लिए अपेक्षित भुगतान और अन्य विचार उनके सापेक्षिक उचित मूल्यों के आधार पर पट्टे केलिए और अन्य तत्वों के लिए अलग किए जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वित्त पट्टे के लिए जो पट्टे के भुगतान को स्थायीता से अलग करने के लिए अव्यावहारिक है, तो परिसंपत्ति व देयता को अंतर्निहित परिसंपत्ति के उचित मूल्य के बराबर राशि पर मान्यता दी जाती है।

भुगतान किए जाने के कारण देयता कम हो जाता है और देयता पर आरोपित वित्त लागत को वृद्धिशील उधार दर का प्रयोग करते हुए मान्यता दी जाती है।

पट्टे के तहत परिसंपत्तियाँ

कंपनी को हस्तांतरित संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के पट्टे, काफी हद तक स्वामित्व के सभी जोखिम व पुरस्कार को वित्त पट्टों के रूप

In respect of Pharmaceutical manufacturing facility, expenditure incurred are included under Capital Work in Progress till the validation process is completed.

Spare parts, stand by equipment and servicing equipment having individual value of Rs 5 lakh or more and are expected to be used for a period more than 12 months are capitalized on their acquisition.

Intangible Asset

The Company has elected to continue with the carrying value of all of its intangible assets recognised as of April 1, 2015 (the transition date) measured as per the previous GAAP and use such carrying value as its deemed cost as of the transition date.

The cost of computer software other than SAP Software Solution is amortized equally over a period of 3 years , whereas SAP software solution is amortized over a period of 8 years on pro-rata basis. License fee paid is amortized equally over the agreement period.

Intangible assets acquired separately:

Intangible assets with finite useful lives that are acquired separately , is capitalised and carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Amortisation is recognised on a straight-line basis over their estimated useful lives. The estimated useful life and amortisation method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

De-recognition of intangible assets:

An intangible asset is derecognised on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset, measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, is recognised in profit or loss when the asset is derecognised.

2.3 Trade Mark Expenses

Expenses incurred on trade mark registrations will be treated as Capital work in progress and will be capitalized under 'intangible assets' when licenses are received. Subsequent expenditure incurred on those licences will be recognized as revenue expenses in the period in which such expenses are incurred. Trade mark expenses are amortised over a period of 10 years from the date of recognition of intangible asset.

2.4 Leases

Till March 31, 2019:

As a Lessee

Determining whether an arrangement contains lease

At inception of an arrangement, it is determined whether the arrangement is or contains a lease.

At inception or on reassessment of the arrangement that contains a lease, the payments and other considerationrequired by such an arrangement are separated into those for the lease and those for other elements on the basis of their relative fair values. If it is concluded that for a finance lease that is impracticable to separate the

lease payments reliably, then an asset and a liability are recognized at an amount equal to the fair value of the underlying asset.

The liability is reduced as payments are made and an imputed finance cost on the liability is recognized using the incremental borrowing rate.

Assets held under leases

Leases of property, plant and equipment that transfers to the Company substantially all the risks and rewards of

में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे पर दी गई संपत्ति को प्रारंभ में पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य निम्नतम पर एवं न्यूनतम पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, परिसंपत्तियों का हिसाब ऐसी स्वामित्व वाली संपत्तियों पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार होता है। पट्टों के तहत की परिसंपत्तियाँ, जो कंपनी को पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम व पुरस्कार(अर्थात परिचालन पट्टे) हस्तांतरित नहीं करती हैं, कंपनी की तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नहीं है।

पट्टे भुगतान

परिचालन पट्टों के तहत किए गए भुगतान को आम तौर पर पट्टे की अवधि के सीधी रेका प्रणाली आधार पर लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है जब तक कि ऐसे भुगतानों को पट्टेदाते की प्रत्याशित मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमानित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित नहीं किया जाता है।

अप्रैल 1, 2019 से पट्टेदार के रूप में

कंपनी ने नया मानक इन्ड ए एस 116-पट्टे को 1 अप्रैल 2019 से अपनाया है। एक पट्टेदार के रूप में, कंपनी आम तौर पर सभी पट्टों की परिसंपत्ति उपयोग अधिकार को मान्यता देती है और जिस तिथि पर कंपनी द्वारा उपयोग के लिए पट्टे पर परिसंपत्ति उपलब्ध होती है उसी तारीख पर देयता होती है।

सामान्य नियम के रूप में, कंपनी गैर-पट्टे घटकों, जैसे कि पट्टे भुगतान से सेवाएं, को अलग करती है। पट्टे देनदारी को वृद्धिशील उधार दर को ध्यान में रखते हुए शेष पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

यदि उस दर को पट्टे के अनुबंधों से निर्धारित किया जा सकता है, तो पट्टे के अनुबंधों में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान पर छूट दी जाती है। यदि छूट की दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो आमतौर पर कंपनी में पट्टों के लिए होता है। पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर, जो कि व्यक्तिगत पट्टेदार को समान शर्तों, प्रतिभूति एवं निबंधनों के साथ एक समान आर्थिक वातावरण में उपयोग की जानेवाली परिसंपत्ति के समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने की ओर आवश्यक धनराशि उधार लेने के लिए भुगतान करना होगा, का उपयोग किया जाता है।

वृद्धिशील उधार दर निर्धारित करने के लिए, कंपनी ब्याज के जोखिम मुक्त दर का उपयोग करती है, जिसे पट्टे अवधि, देश के जोखिम और मुद्रा जोखिम के लिए समायोजित किया जाता है।

वित्त पट्टों के रूप में पहले से वर्गीकृत पट्टों के लिए, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तारीख में परिसंपत्ति उपयोग अधिकार की वहन राशि के रूप में हस्तांतरण के तुरंत पहले पट्टे परिसंपत्ति की वहन राशि को मान्यता दी थी। इंड एएस 116 के माप सिद्धांत उस तारीख के बाद ही लागू होते हैं।

परिसंपत्ति उपयोग अधिकार को पट्टा देयता के रूप में उसी राशि में आमतौर पर पहचान किया जाता है। प्रारंभ की तारीख में पूँजीकरण के बाद, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार लागत पर मापा जाता है, परिसंपत्ति उपयोग अधिकार को आम तौर पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि पर मूल्यह्रास किया जाता है। पट्टे का भुगतान मूलधन एवं वित्त लागत के बीच में नियत किया जाता है। वित्त लागत, पट्टे अवधि में लाभ एवं हानि खाते के लिए चार्ज की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर तैयार की जा सके।

प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को प्रारंभिक प्रयोग की तारीख में उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों के माप के लिए अलग किए जाते हैं। कंपनी अधिकतम 12 महीने (कम अवधि के पट्टे) और कम मूल्य परिसंपत्तियों के साथ पट्टे की व्यवस्था के लिए छूट का प्रयोग करती है।ऐसे अल्पकालिक पट्टों एवं कम मूल्य की परिसंपत्तियों से जुडे भुगतान को लाभ व हानि के विवरण में खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रचलन और/या अन्य परिवर्तनशील स्थितियों पर निर्भर होनेवाले परिवर्तनशील पट्टे भुगतान उस अवधि में लाभ व हानि के विवरण में पहचान किए जाते हैं जिसमें उन भुगतानों को ट्रिगर करनेवाली स्थिति होती है।

2.5 परिसंपत्तियों की खराब हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी निर्धारण करती है कि वहाँ इसकी परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, समनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में लागत पर वहन किए अमूर्त परिसंपत्तियों और इक्विटी उपकरणों में निवेश) को उनके रखाव रकम के संदर्भ में खराब हानि की कोई संकेत है । यदि खराब हानि के कोई संकेत विद्यमान है वसूली योग्य रकम (यानी उच्च उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य कम करके) ऐसी परिसंपत्तियों को परिकलन किया जाता है और खराब हानि पहचान की गई है, यदि रखाव रकम वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है तो खराब हानि की पहचान की जाती है, वसूली योग्य रकम परिसंपत्तियों के निवल विक्रय मूल्य और इसके उपयोग में मूल्य से उच्च है । उपयोग में मूल्य निर्धारण में अनुमानित भविष्य के नकद

ownership are classified as finance leases. The leased assets are measured initially at an amount equal tothe lower of fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments. Subsequent to the initial recognition, the assets are accounted for in accordance with the accounting policy applicable to similar owned assets. Assets held under leases that do not transfer to the Company substantially all the risk and rewards of ownership (i.e. operating leases) are not recognized in the Company's Balance Sheet.

Lease payments

Payments made under operating leases are generally recognized in profit or loss on a straight line basis over the term of the lease unless such payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases.

Effective April 1, 2019:

As a Lessee

The Company has adopted the new standard Ind AS 116 – Leases effective April 1, 2019. As a lessee, the Company generally recognises for all leases a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Company.

As a general rule, the Company separates non-lease components, such as services from lease payments.Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, taking into account the incremental borrowing rate.

Lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease contracts if that rate can be determined from the lease contracts. If the discount rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Company uses a risk free rate of interest which is adjusted for lease term, country risk and currency risk.

For leases previously classified as finance leases, the Company recognised the carrying amount of the lease asset immediately before transition as the carrying amount of the right-of-use asset at the date of initial application. The measurement principles of Ind AS 116 are only applied after that date.

A right-of-use asset is generally recognized at the same amount as the lease liability. After capitalization at commencement date, whereby the right-of-use asset is measured at cost, the right-of-use asset is generally depreciated over the lease term using the straight-line method. Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit and loss account over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of liability for each period.

Initial direct costs are excluded for the measurement of right-of-use assets at the date of initial application.The Company exercises the exemption for lease arrangements with a maximum term of 12 months (short term leases) and low-value assets. Payments associated with such short-term leases and low-value assets are recognised as an expense in Statement of Profit and Loss. Variable lease payments that depend on usage and/ or other variable conditions are recognised in the Statement of Profit and Loss in the period in which the conditions that trigger those payments occur.

2.5 Impairment of assets

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any indication that its assets (property, plant and equipment, intangible assets and investments in equity instruments in subsidiaries, joint ventures and associates carried at cost) have suffered an impairment loss with reference to their carrying amounts. If any indication of impairment exists, the recoverable amount (i.e. higher of the fair value less costs of disposal and value in use) of such assets is estimated and impairment is recognised, if the carrying amount exceeds the recoverable amount.Recoverable amount is higher of the asset's net selling price and its value in use. In assessing value in use,

प्रवाह को पूर्व-कर कटौती दर प्रयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर कटौती करती है, जो उस समय के धन के मूल्य के विद्यमान मार्किट मूल्यांकन पर प्रतिबिंबित है और परिसंपत्तियों पर स्पष्ट जोखिम जिसके लिए भविष्य के नकद प्रवाह मार्कट प्राकलन समयोजित नहीं किए जाते हैं ।

जब एकल वसूली योग्य रकम का प्राकलन करना असंभव होता है, तब कंपनी नकद-पैदाइश यूनिट जिस में परिसंपत्ति संबंध रखती है, वसूली योग्य रकम का प्राकलन करती है ।

जब एक खराब हानि बाद में उत्क्रमण होते समय परिसंपत्ति की रखाव रकम (या नकद पैदाइश यूनिट) इसके वसूली योग्य रकम के संशोधित प्राकलन तक वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि की गई रखाव रकम, रखाव रकम से अधिक नहीं बनता जो निर्धारित किया गया होगा, के लिए पहले वर्षों में (या नकद पैदाइश यूनिट) परिसंपत्तियों के लिए खराब हानि स्वीकृत नहीं की गई थी । एक खराब हानि के उत्क्रमण लाभ या हानि में जल्दी ही पहचान किया जाता है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की असमर्थता

व्यापार प्राप्यों केलिए खराब हनि का प्रावधान, अदायगी न करना और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम से संबंधित धारणाओं पर आधारित है। कंपनी इन पूर्वानुमानों को बनाने और कंपनी के विगत इतिहास के आधार पर खराब हानि के गणना केलिए इनपुट और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अन्य घटकों के चयन करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है।

प्रबंधन निर्धारित करता है कि व्यापार प्राप्य का उचित मूल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक, बैंक शेष, प्राप्य और देय प्रतिभूती जमा, कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगी, अन्य गैर व्युत्पन्न चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ, देय व्यापार, अन्य चालू वित्तीय देयताएं उनके रखाव मूल्य को अनुमानित करते हैं ।

2.6 निवेश

यदि कोई अस्थायी है, के अलावा कमी के लिए कम प्रावधान देकर निवेश लागत पर प्रकट किए जाते हैं।

वर्तमान निवेश लागत और उचित मूल्य के निचले हिस्से में किया जाता है । निवेश का लागत में ब्रोकरेज, शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अधिग्रहण शुल्क शामिल हैं।

2.7 वस्तुसूची

वस्तुसूची को कम लागत पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर कहा गया है ।

वस्तुसूची की लागत में सभी खरीदी लागत, परिवर्तन लागत और वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुई अन्य लागत समाविष्ट होंगे।

कच्चे माल, भंडार और स्पेयर के मूल्यांकन के लिए भारित औसत सूत्र का प्रयोग किया जाता है ।

चालू प्रगति कार्य, संक्रमण में स्थित/निरीक्षणाधीन समाग्रियों को वास्तविक प्रक्रिया लागत पर लिये जाते हैं । विनिर्मित तैयार मालों/व्यापार के लिए खरीदे गये मालों का मूल्यांकन, जहाँ कहीं लागू है उत्पाद शुल्क सहित न्यूनतम लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किये गये हैं ।

कच्चे माल, भंडार, स्पयेर्स, उपभोक्ता साधन और व्यापार माल की लागत में खरीदियों की लागत और कर और सीमा-शुल्क शामिल है और जी एस टी के अधीन इनपुट क्रेडिट के निवल है। कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय और अचल अप्रत्यक्ष खर्च के उचित अनुपात शामिल है जो एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है। वस्तुसूची की लागत में अन्य संबंधित सभी लागत भी शामिल है जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च हुआ है।

निवल वसूली योग्य मूल्य, समाप्ति की सभी प्राकलित लागत कम करके वस्तुसूचियों के लिए प्राकलित विक्रय मूल्य और बिक्री के लिए बनाए आवश्यक लागत प्रतिनिधान करता है।

वस्तुसूचियों की लागत नीचे दिए जैसे निर्धारित किया जाता है:

- कच्चे माल, भंडार, स्पयेर्स, उपभोज्य साधन, व्यापार माल : चलती भारित औसत आधार पर
- कार्य प्रगति, संघटक और तैयार माल को बनाए कार्य : चलती भारित औसत आधार अ खर्चों के उचित शेयर

अधिशेष/अप्रचलित/धीमी चलती वस्तुसूचियों की लागत को पर्याप्त रूप से दिया गया है।

the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised immediately in profit or loss.

Impairment of financial assets

The impairment provisions for trade receivables are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The company uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation based on the company's past history and other factors at the end of each reporting period.

The management assesses that the fair value of Trade receivables, Cash and Cash equivalents, Bank Balances, Security deposits receivable &paid , Loans and advances to employees, other non derivative current financial assets , Trade payables, other current financial liabilities approximate their carrying value.

2.6 Investments

Investments are stated at cost less provision for diminution other than temporary, if any.

Current investment are carried at the lower of cost and fair value. Cost of Investments includes acquisition charges such as brokerage, fees and duties.

2.7 Inventories

Inventories are stated at lower of cost and net realisable value.

The cost of inventories shall comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

The weighted average formula is used for the valuation of raw materials, stores and spares. Work-in-progress, materials in transit/under inspection is carried at actual process cost. Finished goods manufactured/goods purchased for trading are valued at lower of cost/net realizable value.

Cost of raw materials, stores, spares, consumable tools and traded goods comprises cost of purchases and includes taxes and duties and is net of eligible input credits under GST. Cost of work-in-progress, and finished goods comprises direct materials, direct labour and an appropriate proportion of variable and fixed overheads, which is allocated on a systematic basis. Cost of inventories also includes all other related costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Net realisable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Cost of inventories are determined as follows:

- Raw materials, stores, spares, consumable tools, traded goods: on moving weighted average basis; and
- Work-in-progress, works-made components and finished goods: on moving weighted average basis plus appropriate share of overheads.

Cost of surplus/ obsolete/ slow moving inventories are adequately provided for.

2.8 नकद और नकद तुल्यांक (नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए)

नकद में हस्तगत रोकड़ और बैंक के साथ माँग जमा शामिल है। नकद तुल्यांक अल्पावधि शेष (अर्जन की तारीख से तीन महीने के मूल परिपक्वता या उससे कम) अत्यधिक लिक्विड निवेश है, जो ज्ञात रोकड़ की राशी में आसानी से परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अनुसार है।

2.9 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी, साधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है और प्रारंभ से उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन लागत, वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अलावा (लाभ या हानि के ज़रिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गमन के लिए सीधे कारण बन जाती है, को प्रारंभिक मान्यता पर उचित रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य से जोड़ा या घाटा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से कारण बने लेन-देन लागत, लाभ या हानि में तुरंत पहचान लिए जाते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रय या बिक्री, जिसे बाज़ार स्थल (नियमित रूप का व्यापार) में विनियमन या करार के द्वारा बनाए समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों का वितरण अपेक्षित है, के व्यापार तिथि, यानी वह तिथि जब कंपनी, संपत्ति के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है, पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, व्यापार प्राप्य, अग्रिम, नकद एवं नकद तुल्यांक शामिल हैं। लेनदेन लागत, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे कारण बन जाती हैं, को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है।

वर्गीकरण

प्रारंभिक मान्यता पर परिसंपत्ति का वर्गीकरण, उस उद्देश्य के आधार पर किया जाता है जिसके लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण किये गये थे। वित्तीय परिसंपत्ति की अनुवर्ती माप ऐसे वर्गीकरण पर निर्भर है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को उन माप के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं :

(क) परिशोधित लागत, जहां वित्तीय परिसंपत्तियाँ केवल मूलधन और/या ब्याज के भुगतान से उत्पन्न नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती है।

(ख) अन्य व्यापक आय (एफ वी टी ओ सी आई) के ज़रिए उचित मूल्य, जहां वित्तीय परिसंपत्तियाँ न केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान से उत्पन्न नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए होती है, बल्कि ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री से भी होती है। ऐसी परिसंपत्तियाँ बाद में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त किए जा रहे उचित मूल्य में परिवर्तनों से उठाए अभिलाभ और हानि के साथ उस पर मापा जाता है।

(ग) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी टी पी एल) : जहाँ परिसंपत्तियाँ एक अनुमोदित निवेश कार्यनीति के अनुसार प्रबंधित होती है, जो ऐसी परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आधार पर क्रय और बिक्री निर्णयों के लिए कारण बन जाती है। ऐसी परिसंपत्तियाँ बाद में, वे उठायी अवधि के लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त किए जा रहे उचित मूल्य में परिवर्तनों से उठाए अचेतन अभिलाभ और हानि के साथ उस पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्तियाँ, अग्रिम, प्रतिभूति जमा, नकद व नकद तुल्यांक आदि को परिशोधित लागत पर मापन के लिए वर्गीकृत किया जाता है जबकि निवेश पूर्वोक्त वर्गों के किसी में एक के अधीन होगा।

हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई वित्तीय संपत्ति (या वित्तीय संपत्तियों का एक समूह) जैसे कि निवेश, व्यापार प्राप्तियों, अग्रिम और परिशोधित लागत पर रखे प्रतिभूति जमा और वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें अन्य व्यापक आय, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध सबूतों या जानकारी के आधार पर हानि के लिए जाँच की जाती हैं, के ज़रिए उचित मूल्य पर मापा

2.8 Cash and cash equivalents (for purposes of Cash Flow Statement)

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.9 Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments and are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in profit or loss.

Purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date when the Company commits to purchase or sell the asset.

Financial assets

Recognition:

The financial assets are initially measured at fair value. Financial assets include Investments, Trade Receivables, Advances, Cash and Cash equivalents. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets are added to the fair value of the financial assets on initial recognition.

Classification :

Classification of an asset at initial recognition is done depending on the purpose for which the assets were acquired. The subsequent measurement of financial assets depends on such classification.

Financial assets are classified as those measured at :

(a) Amortised Cost , where the financial assets are held solely for the collection of Cash flows arising from payments of Principle and/or interest.

(b) Fair value through Other Comprehensive Income (FVTOCI) , where the financial assets are held not only for collection of cashflows arising from payments of principal and interest but also from the sale, of such assets. Such assets are subsequently measured at fair value, with unrealized gains and losses arising from changes in the fair value being recognized in other comprehensive income.

(c) Fair value through Profit or Loss (FVTPL) , where the assets are managed in accordance with an approved Investment strategy that triggers purchase and sale decisions based on the fair value of such assets. Such assets are subsequently measured at fair value , with unrealized gains and losses arising from changes in fair value being recognized in the statement of profit and loss in the period in which they arise.

Trade receivables, Advances, Security Deposits, Cash and cash equivalents etc. are classified for measurement at amortised cost while investments may fall under any of the aforesaid classes.

Impairment:

The Company assesses at each reporting date whether a financial asset (or a group of financial assets) such as investments, trade receivables, advances and security deposits held at amortised cost and financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income are tested for impairment based on evidence or

जाता है। अगर प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति की क्रेडिट गुणवत्ता में काफी गिरावट आयी है तो अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के मूल्यांकन किए जाते हैं और हानि भत्ते को मान्यता दी जाती है।

पुनर्वर्गीकरण

जब केवल व्यापार मॉडल बदल दिया जाता है, कंपनी पुनर्वर्गीकरण की तिथि से संभावित रूप से सभी प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करेगी जैसा कि अनुवर्ती परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य, पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि या ब्याज को पुनर्स्थापित किए बिना लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर और वित्तीय साधनों से संबंधित इंड ए एस सिद्धांतों में निर्धारित पुनर्वर्गीकरण के अनुसार मापा जाता है।

अस्वीकृति

जब परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, या स्थानांतरित कर दिया गया है, और कंपनी ने काफी हद तक सभी जोखिमों और स्वामित्व के प्रतिफल को हस्तांतरित कर लिया है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों को अस्वीकृत की जाती है। समवर्ती रूप से, यदि परिसंपत्ति एक है जिस पर मापा जाता है : (क) परिशोधित लागत, लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, अभिलाभ और हानि; (ख) अन्य व्यापक आय के ज़रिए उचित मूल्य जब तक परिसंपत्ति किसी इक्विटी निवेश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तब तक आरक्षित निधि के लिए ग्रहण किए गए पिछले संचित उचित मूल्य समायोजन को लाभ और हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं, उस स्थिति में आरक्षित निधि के लिए ग्रहण किए गए पिछले संचित उचित मूल्य समायोजन को इक्विटी के भीतर पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

आय पहचान

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति प्रयुक्त करके लाभ और हानि विवरण में पहचान किया जाता है । लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को संस्थापित किये जाने पर लाभांश आय लाभ एवं हानि विवरण में पहचान किया जाता है ।

वित्तीय देयताएं

उधार, व्यापार देनदारियाँ और अन्य वित्तीय देयताएं शुरू में संबंधित संविदात्मक दायित्वों के मूल्य पर पहचान की जाती हैं । बाद में, वे परिशोधित लागत पर मापन किये जाते हैं । ऋणमोचन/निपटान पर कोई छूट या प्रीमियम प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग करते हुए देयता के जीवन काल पर वित्त लागत के रूप में लाभ एवं हानि के विवरण में पहचान किया जाता है और तुलन-पत्र में प्रकट किये देयता आंकड़े में समायोजित किया जाता है ।

देयता समाप्त किये जाने पर वित्तीय देयताएं अस्वीकृत की जाती हैं, यानी संविदात्मक दायित्व पूरा किया जाता है, रद्द किया जाता है और समाप्त हो जाता है।

2.10 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह अप्रत्यक्ष प्रणाली के उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है जिसके द्वारा गैर नकदी प्रकृति के और किसी आस्थगन या गत या भविष्य कैश आवर्तियों के प्रोद्भवन या भुगतान के लेनदेन के प्रभाव के लिए असाधारण मदों के लाभ/(हानि) और कर समायोजित करता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय प्रबंध कार्यकलापों से नकद प्रवाह लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार अलग किए जाते हैं।

2.11 राजस्व स्वीकृति

राजस्व प्राप्त या प्राप्य विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है ।

माल की बिक्री :

बिक्री के शर्तें जिस समय पर शीर्षक एवं प्रमुख जोखिम और स्वामित्व का प्रतिफल ग्राहक को दिया जाता है, के अनुसार मालों का प्रेषण या विनियोजन किये जाते है, तब मालों की बिक्री से राजस्व को पहचान किया जाता है । परिणामिक प्राप्य की संग्रहणीयता उचित रूप से सुनिश्चित किये जाते हैं, राजस्व पहचान किया जाता है । राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है और यह अनुमानित ग्राहक वापसी, कमीशन, घटौती एवं छूट और अन्य समान भत्ता के लिए कम किया जाता है ।

सेवाओं का समर्पण

जब ठेके के विशिष्ट शर्तों के अनुसार सेवाएं सर्मपित किये जाते हैं और परिणामिक प्राप्य की संग्रहणीयता उचित रूप से सुनिश्चित किया जाता है तब सेवाओं से राजस्व को पहचान किया जाता है ।

information that is available without undue cost or effort. Expected credit losses are assessed and loss allowances recognised if the credit quality of the financial asset has deteriorated significantly since initial recognition.

Reclassification:

When and only when the business model is changed, the Company shall reclassify all affected financial assets prospectively from the reclassification date as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income, fair value through profit or loss without restating the previously recognised gains, losses or interest and in terms of the reclassification principles laid down in the Ind AS relating to Financial Instruments.

De-recognition:

Financial assets are derecognised when the right to receive cash flows from the assets has expired, or has been transferred, and the Company has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership. Concurrently, if the asset is one that is measured at: (a) amortised cost, the gain or loss is recognised in the Statement of Profit and Loss; (b) fair value through other comprehensive income, the cumulative fair value adjustments previously taken to reserves are reclassified to the Statement of Profit and Loss unless the asset represents an equity investment in which case the cumulative fair value adjustments previously taken to reserves is reclassified within equity.

Income Recognition:

Interest income is recognised in the Statement of Profit and Loss using the effective interest method. Dividend income is recognised in the Statement of Profit and Loss when the right to receive dividend is established.

Financial Liabilities

Borrowings, trade payables and other financial liabilities are initially recognised at the value of the respective contractual obligations. They are subsequently measured at amortised cost. Any discount or premium on redemption / settlement is recognised in the Statement of Profit and Loss as finance cost over the life of the liability using the effective interest method and adjusted to the liability figure disclosed in the Balance Sheet.

Financial liabilities are derecognised when the liability is extinguished, that is, when the contractual obligation is discharged, cancelled and on expiry.

2.10 Cash flow statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on audited financial statements.

2.11 Revenue recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

Sale of goods:

Revenue from the sale of goods is recognised when the goods are despatched or appropriated in accordance with the terms of sale at which time the title and significant risks and rewards of ownership pass to the customer. Revenue is recognised when collectability of the resulting receivable is reasonably assured.

Revenue is reduced for estimated customer returns, commissions, rebates and discounts, and other similar allowances.

Rendering of services:

Revenue from services is recognised when the services are rendered in accordance with the specific terms of contract and when collectability of the resulting receivable is reasonably assured.

अन्य प्रचालन राजस्व

अन्य प्रचालन सेवाओं में कंपनी के प्रचालनों से आनुषंगिक सहायक गतिविधियों से आय शामिल है और जब ठेके के शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार संस्थापित किया जाता है तब पहचान किया जाता है ।

लाभांश और ब्याज आय

भुगतान प्राप्त करने के कंपनी से अधिकार को संस्थापित किये जाने पर निवेश से लाभांश आय को पहचान किया जाता है (बशर्ते कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और आय की रकम विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है) ।

प्रमुख बकाया और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ द्वारा ब्याज आय, समय के आधार पर उपार्जित किया जाता है । (बशर्ते कि यह संभावित है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और आय की रकम विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है)।

बिक्री में जी एस टी और बट्टे को छोड़कर मालों की बिक्री के मूल्य (निवल वापसी) समाविष्ट है । सरकार को बिक्री के संबंध में, मूल्य में यदि कोई संशोधन है तो अधिसूचित किया जाता है तब तक आपूर्तियाँ दर अनुबंध के अनुसार कीमत के आधार पर बिल और हिसाब किया जाता है ।

2.12 अन्य प्रचालन राजस्व

खाली ड्रम, अस्वीकृत उत्पादें तथा अन्य रद्दी मदों की वसूली की ओर राजस्व रोकड़ आधार पर परिकलित किए जाते हैं।
अप्रचलित परिसंत्तियों/बट्टे खाते डाली गयी सामग्रियों की वसूली, रोकड़ आधार पर परिकलित की जाती है ।

2.13 अन्य आय

बीजक में निर्धारित जैसे विविध देनदारों से देरी से की गई वसूली के लिए यदि कोई ब्याज आय है तो उसकी पहचान नहीं की जाती है, प्राप्त होने पर वसूल किया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा आय प्रोद्भवन आधार पर परिकलित किए जाते हैं।

2.14 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तभी स्वीकृत किया जाएगा जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनके साथ संबंद्ध शर्तों के अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त किये जाने का उचित आश्वासन प्राप्त होगा।

राजस्व मदों के स्वरूप में सरकारी अनुदान को एक अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि के विवरणों में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मानी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

बिक्री से संबंधित राजस्व अनुदान/सब्सिडी (उत्पाद सब्सिडी के अलावा) अन्य प्रचालन राजस्व के तहत् अलग से प्रकट किये जाते हैं जबकि उत्पाद सब्सिडी बिक्री और सेवाओं के तहत् प्रकट किया जाता है ।

गोवा सरकार से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹ 7,53,373 ब्याज इमदाद प्राप्त किया गया ।

2.15 कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ लागत और समाप्ति लाभ

निर्धारित लाभ योजना :

निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए यानी उपदान और अवकाश भुनाना लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर किये जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए निर्धारित की जाती है ।

निर्धारित लाभ लागत

- सेवा लागत(चालू सेवा लागत, गत सेवा लागत और कोई बीमांकिक अभिलाभ या हानि शामिल हैं)
- निवल ब्याज खर्च या आय
- पुनःमापन

सेवा लगात और निवल ब्याज खर्च या आय, लाभ और हानि के विवरण में प्रतिबिंबित किया जाता है । निवल निर्धारित लाभ देयता/परिसंपत्ति के पुनःमापन में बीमांकिक अभिलाभ या हानि शामिल हैं और यह उस अवधि, जहाँ यह होता है, के अन्य व्यापक आय के ज़रिए जल्दी ही पहचान की जाती है । अन्य व्यापक आय में पहचान किये पुनःमापन प्रतिधारित अर्जन में जल्दी ही प्रकट किया जाता है और लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है।

Other Operating Revenues:

Other operating revenues comprise of income from ancillary activities incidental to the operations of the Company and is recognised when the right to receive the income is established as per the terms of the contract.

Dividend and Interest Income:

Dividend income from investments is recognised when the Company's right to receive payment has been established (provided that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably).

Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable (provided that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably).

Sales comprise of value of sale of goods (net of returns) excluding GST and discounts. In respect of sales to Government, the supplies are billed and accounted based on the price as per the rate contract, till revision in price if any is notified.

2.12 Other Operating Revenues

The revenue against realization of empty drums, rejected products and other scrap items are accounted on cash basis. The realization in respect of obsolete assets/materials written off is accounted on cash basis.

2.13 Other Income

Interest income if any for delayed realization from sundry debtors as stipulated in invoices is not recognized, unless realized. Income other than the above are accounted on accrual basis.

2.14 Government grants

Government grants are recognised only when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received.
Government grants in the nature of revenue items are recognised in the statement of profit or loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.
Revenue grants/subsidy (other than product subsidy) relating to sales are disclosed separately under other operating revenues, whereas product subsidy is disclosed under sales and services.

Interest subsidy received from Goa Government is Rs. 7,53,373 in the Financial Year 2018-19.

2.15 Employee benefits

Retirement benefit costs and termination benefits:

Defined Benefit plans :

For the defined benefit plans i.e. Gratuity and Leave encashment , the cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Defined benefit costs

- Service Costs (comprising of Current service Cost, Past service cost and any actuarial gain or loss)
- Net Interest expense or Income
- Re-measurment

Service costs and net interest expense or income is reflected in the Statement of Profit and Loss. Re-measurement of net defined benefit liability/asset comprises of Actuarial Gain or Loss and are recognised immediately through Other Comprehensive Income in the period in which they occur . Re-measurement recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and is not reclassified to profit or loss.

निर्धारित अंशदान योजना

निर्धारित अंशदान योजनाओं, यानि भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और आय निधियों के लिए कंपनी का अंशदान, के लिए भुगतान संगत विधियों के अधीन की योजनाओं के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और भारग्रहण की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जब सेवायें कर्मचारियों द्वारा समर्पित की जाती हैं।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

देयता, उस सेवा के बदले में लाभ की अघोषित राशि भुगतान करने की प्रतीक्षा में संबंधित सेवायें समर्पित करने की अवधि के वेतन, मज़दूरी, निष्पादन प्रोत्साहन, चिकित्सा लाभ और अन्य अल्पकालीन लाभों के संबंध में कर्मचारियों को उपार्जित करने के लाभ के लिए पहचान की जाती है।

अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में पहचान की गयी देयतायें रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा दिये जाने के लिए प्रत्याशित भविष्य के अनुमानित नकद बहिर्वाह के विद्यमान मूल्य पर मापा जाता है।

निर्धारित हितलाभ योजना/अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाओं की लागत बीमांकिक मूल्यांकन उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं शामिल हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो। इन में छूट दर, भविष्य की वेतन की वृद्धियाँ और मृत्यु दर का निर्धारण समाविष्ट हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में जुडे जटिलता के कारण, एक निर्धारित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन करना अत्यधिक भावुक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में सभी धारणाएं समीक्षा की जाती हैं।

परिवर्तन के अधीन सबसे अधिक पैरामीटर छूट दर है। प्रबंधन विभिन्न परियोजनाओं के प्रत्याशित निपटान अवधि के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की ब्याज दरों पर विचार करता है।

2.16 उधार लागत

उधार लागत प्रतिबंध परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के सीधे तौर पर आरोप्य है, उन परिसंपत्तियों की लागत पर जोडी जाती है,परिसंपत्तियाँ वे हैं कि जो उनके उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री केलिए तैयार होने की ओर समय की पर्याप्त अवधि अनिवार्य रूप से लेती है, परिसंपत्तियाँ उस समय तक उनके उद्दिष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं।

परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए विशेष रूप से लिए ऋण पर ब्याज परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों पर अनुमानित रूप से आबंटित किए जाते हैं ।

सभी अन्य उधार लागत इस अवधि में, जिसमें वे खर्च लिये जाते हैं,लाभ या हानी में पहचान की जाती है।

2.17 बीमा दावाएं

रसीद के आधार पर बीमा दावाओं का हिसाब लगाया जाता है । सेवा व्यवसाय राजस्व से प्रोद्भवन आधार पर पहचान किया जाता है ।

2.18 आय कर

आय कर खर्च, वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग को प्रतिनिधान है। चालू और आस्थगित कर, लाभ या हानि में पहचान किये जाते हैं जब इनसे संबंधित मद अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में पहचान किये जाते हैं, के सिवाय उन मामलों में चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी पहचान किये जाते हैं।

चालू कर

चालू कर, अन्य उपयुक्त कर कानून, जो अधिनियमित या लगातार अधिनियमित किया गया है, सहित आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के लिए उपयुक्त कर दरों और प्रावधानों के अनुसार कर को प्रभार्य वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के रखाव रकम और कर योग्य लाभ के अभिकलन में प्रयुक्त तदनुरूप कर आधार के बीच अल्पकालिक अंतर पर पहचान किया जाता है। आस्थगित कर देयताएँ सामान्तया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचान की जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए उस सीमा तक पहचान की जाती हैं कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिस के प्रति उन घटाया अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। यदि लेन - देन में परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रारंभिक पहचान (व्यवसाय संयोग के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उद्भूत होता है, तो ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयतायें पहचान नहीं की जाती है, यह ना तो कर योग्य लाभ या न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

Defined Contribution Plan:

Payments to defined contribution plans i.e., Company's contribution to provident fund, superannuation fund, Employee State Insurance and other funds are determined based on the schemes under the relevant statutes and charged to the Statement of Profit and Loss in the period of incurrence when the services are rendered by the employees.

Short-term and other long-term employee benefits:

A liability is recognised for benefits accruing to employees in respect of salaries, wages, performance incentives, medical benefits and other short term benefits in the period the related service is rendered, at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

Liabilities recognised in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Company in respect of services provided by employees up to the reporting date.

Defined benefit plans / Other Long term employee benefits

The cost of the defined benefit plans and other long term employee benefit plans are determined using actuarial valuations. An actuarial valuation involves making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases and mortality rates. Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

The parameter most subject to change is the discount rate. The management considers the interest rates of government securities based on expected settlement period of various plans.

2.16 Borrowing costs

The borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time the assets are substantially ready for their intended use or sale..

Interest on loan taken specifically for acquiring assets, are proportionately allocated to respective assets based on asset value.

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

2.17 Insurance Claims:

Insurance claims are accounted on receipt basis. Revenue from services business is recognized on accrual basis.

2.18 Income Taxes

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in profit or loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity respectively.

Current tax:

Current tax is determined on taxable profits for the year chargeable to tax in accordance with the applicable tax rates and the provisions of the Income Tax Act, 1961 including other applicable tax laws that have been enacted or substantively enacted.

Deffered tax:

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised. Such deferred tax assets and liabilities are not recognised if the temporary difference arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयतायें, अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को अग्रनीत करने के लिए उस सीमा तक पहचान की जाती हैं कि यह संभावित है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उपलब्ध हो जाएगा जिस के प्रति अप्रयुक्त कर हानियाँ और अप्रयुक्त कर क्रेडिट उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव रकम की समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम की जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि परिसंपत्तियों के सभी या आंशिक भाग की वसूली करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध किये जायेंगे।

आस्थगित कर देयताएँ और परिसंपत्तियाँ कर दर पर मापी गयी हैं, जो अवधि में लागू होने की प्रत्याशा है, जहाँ कर दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता व्यवस्थिति की जाती है या परिसंपत्तियाँ प्राप्त की जाती हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अधिनियमित या काफी रूप से अधिनियमित की जाती हैं।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों के मापन, कर परिणामों को दर्शाता है, जो इस तरीके से पालन करेगा, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, कंपनी अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव रकम को वसूली करने या निपटाने की प्रत्याशा की जाती है।

2.19 प्रावधान

गत घटना के परिणामस्वरूप जब कंपनी को विद्यमान दायित्व है (विधिक या निर्माणात्मक), प्रावधानों को पहचान किया जाता है, यह संभावित है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करना अपेक्षित होगा और दायित्व की रकम का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

दायित्वों के आसपास के जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को लेकर, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, विद्यमान दायित्वों को निपटाने के लिए अपेक्षित विचार का उत्तम आकलन है, प्रावधान के रूप में पहचान की गयी रकम ।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में नहीं पहचान की गयी हैं, इसलिए इस रकम कभी भी वसूल नहीं किये जाने वाले आय की स्वीकृति में परिणत होगी। तथापि, जब रकम की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है तब संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है और पहचान की जाती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ 31.03.2020 तक शून्य है।

आकस्मिक देयतायें अलग रूप से प्रकट की गयी हैं।

2.20 अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान से संबंधित राजस्व व्यय लाभ हानि विवरण में चार्ज किया जाता है। उत्पादों के विकास लागत भी लाभ हानि विवरण में चार्ज किया जाता है जब तक उत्पादों की प्रौद्योगिकी सुसाध्यता स्थापित की जाती है उस स्थिति में इस तरह का व्यय पूँजीकृत किया जाता है । व्यय सहित पूँजीकृत राशि उसके उद्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार परिसंपत्ति के सृजन करने, उत्पादन करने और बनाने के लिए उचित एवं सतत अधार पर सीधे प्रदान और आबंटित व्यय शामिल है। अनुसंधान एवं विकास के लिए उपयोगित अचल परिसंपत्ति मूर्त अचल परिसंपत्ति एवं अमूर्त अचल प्परिसंपत्तियों के लिए वर्णित नीतियों के अनुसार पूँजीकृत एवं मूल्यह्रास किए जाते हैं।

2.21 परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकरण

कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट किये अन्य मानदंडों के आधार पर सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं । उत्पादों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अर्जन और नकद और समतुल्य नकद में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा 12 महीने निर्धारित किये गये हैं।

चालू/गैर चालू में परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण

कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू/गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए बारह महीनों के रूप में अपने प्रचालन चक्र को निर्धारित किया है।

तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, एक परिसंपत्ति चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है यदि :

(i) यह, सामान्य प्रचालन साइकिल में प्राप्त करने की प्रत्याशा की जाती है या
विक्रय या खर्च करने को नियत की जाती है ; या

(ii) इसको मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा जाता है या

Deferred tax asset is recognised for the carryforward of unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

2.19 Provisions:

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events and it is probable that the company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

Contingent assets are not recognized in the financial statements, since this may result in the recognition of income that may never be realised. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and is recognised.

Contingent asset is Nil as on 31.03.2020.

Contingent liabilities are disclosed separately.

2.20 Research and development expenses:

Revenue expenditure pertaining to research is charged to the Statement of Profit and Loss. Development costs of products are also charged to the Statement of Profit and Loss unless a product's technological feasibility has been established, in which case such expenditure is capitalized. The amount capitalized comprises expenditure that can be directly attributed or allocated on a reasonable and consistent basis for creating, producing and making the asset ready for its intended use. Fixed assets utilised for research and development are capitalised and depreciated in accordance with the policies stated for Tangible Fixed Assets and Intangible Assets.

2.21 Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current

All assets and liabilities are classified as current or non-current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, 12 months has been considered by the Company for the purpose of current or non-current classification of assets and Liabilities.

Classification of Assets and Liabilities into Current/Non-Current:

The Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of Current/ Non-Current classification of its Assets and Liabilities.

For the purpose of Balance Sheet, an asset is classified as current if:

(i) It is expected to be realised, or is intended to be sold or consumed, in the normal operating cycle; or

(ii) It is held primarily for the purpose of trading; or

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर परिसंपत्ति को प्राप्त करने की प्रत्याशा की जाती है, या

(iv) परिसंपत्ति रोकड़ या रोकड़ तुल्यांक है यदि इसको रिपोर्टिंग अवधि के बाद अधिकतम बारह महीनों के लिए विनिमय या एक देयता के रूप में व्यवस्थित करने से प्रतिबंधित नहीं है ।

अन्य सभी परिसंपत्तियाँ और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं ।

उसी तरह, एक देयता चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है यदि :

(i) इसको सामान्य प्रचालन साइकिल में निपटान करने की प्रत्याशा की जाती है ; या

(ii) इसको मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा जाता है ; या

(iii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर निपटान करने को देय हो जाती है ; या

(iv) कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के व्यवस्थापन को आस्थगित करने का अव्यवस्थित अधिकार नहीं है।

प्रतिपक्षी के विकल्प पर इक्विटी साधनों के मुद्दे के द्वारा देयता की शर्तें इसके व्यवस्थापन पर परिणाम कर सकती है, जो इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है ।

अन्य सभी देयताएं गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं ।

2.22 आकलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख में भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों और अनिश्चितता आकलन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत, अगले वित्तीय वर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं के रखाव रकम को प्रत्यक्ष समायोजन को कारण बनने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, ये नीचे वर्णित हैं। भविष्य के विकास के संबंध विद्यमान स्थिति और पूर्वानुमान जैसे भी हो, बाज़ार के परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थियों से हैं। ऐसे परिवर्तन जब होते हैं, पूर्वानुमान में प्रतिबिंबित होते हैं।

2.23 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड किए जाते हैं, सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापन नहीं किया जा सकता है, उनके उचित मूल्य स्तर -2, स्तर -3 इनपुटों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह (डीसीएफ) मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापन किया जाता है। इन मॉडलों के इनपुट्स जहाँ संभव हो निरीक्षण बाज़ारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, तो उचित मूल्यों को संस्थापित करने के लिए अपने विवेक के अनुसार एक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में मूल्य आकलन, मात्रा आकलन, दर आकलन आदि जैसे इनपुटों के विचार शामिल हैं। इन घटकों के बारे में धारणओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गये उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

2.24 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षाधान वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कोई भी सीएसआर पहल कार्यक्रम नहीं लिया है। कंपनी नियम (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) 2014 के साथ पढी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुपालन में कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी नियम (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) 2014 के अनुसार कंपनी सीएसआर समिति के संबंध में सांविधिक प्रकटीकरण और सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट बनायी है।

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधि पर कोई भी राशि खर्च नहीं की है क्योंकि यह पिछले तीन वर्षों के दौरान मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

1. निवल मूल्य 500 करोड
2. व्यापारावर्त 100 करोड
3. निवल लाभ 5 करोड

(iii) It is expected to realise the asset within twelve months after the reporting period; or

(iv) The asset is a cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

Similarly, a liability is classified as current if:

(i) It is expected to be settled in the normal operating cycle; or

(ii) It is held primarily for the purpose of trading; or

(iii) It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or

(iv) The Company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

Terms of a liability that could result in its settlement by the issue of equity instruments at the option of the counterparty does not affect this classification.

All other liabilities are classified as non-current.

2.22 Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances arising that are beyond the control of the company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

2.23 Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the discounted cash flow (DCF) model based on level-2 and level-3 inputs. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as price estimates, volume estimates, rate estimates etc. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

2.24 Corporate Social Resposibility

During the year under review your Company has not undertaken any CSR initiative programme In compliance with Section 135 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014 the Company has established Corporate Social Responsibility Committee. Statutory disclosures with respect to the CSR Committee and Annual Report on CSR activities of the Company pursuant to Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 for the financial year 2019-20 .

The Company has not spend any amount on CSR activity for the year 2019-20 since it does not satisfy the criteria duringthe precceding financial year.

1. Networth > 500 crs.
2. Turnover > 1000 Crs.
3. Net Profit > 5 Crs.

(एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की समनुषंगी, भारत सरकार का उद्यम)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

	अचल परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास और खराब हानि				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2019	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	3/31/2020	1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय	निपटान/ समायोजन	3/31/2020	3/31/2020	31.03. 2019
क	मूर्त परिसंपत्तियाँ	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में	₹ लाखों में
	(क) इमारतें	283.66	3.62	-	287.28	156.60	7.79	-	164.39	122.88	127.05
	(ख) सडक	3.29	-	-	3.29	3.05	-	-	3.05	0.24	0.24
	(ग) संयंत्र व मशीनरी	639.91	119.04	111.37	647.58	377.01	28.23	83.99	321.25	326.34	262.90
	(घ)इलेक्ट्रिकल संस्थापन और उपकरण	33.42	0.33	-	33.75	22.07	1.78	-	23.85	9.90	11.35
	(ङ) फर्नीचर व जुडनार	76.31	0.62	-	76.93	32.64	6.85	-	39.49	37.43	43.67
	(च) कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग	37.29	0.71	-	38.00	28.10	4.25	-	32.34	5.66	9.19
	(छ) कार्यालय उपकरण	25.24	0.76	2.24	23.76	19.46	2.03	1.76	19.73	4.03	5.78
	(ज) लैब उपकरण	66.96	6.39	-	73.35	30.02	6.56	-	36.58	36.75	36.93
	कुल	**1166.08**	**131.47**	**113.61**	**1183.94**	**668.95**	**57.49**	**85.75**	**640.68**	**543.23**	**497.11**
	पिछले वर्ष	1,125.79	77.12	36.85	1,166.06	646.46	57.00	34.50	668.95	497.11	
ख	अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
	(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	46.58	0.73	-	47.31	20.06	6.25	-	26.31	21.00	26.52
	(ख) ट्रेडमार्क /ब्रांड और पेटेंट	0.97	-	0.45	0.52	0.78	0.07	0.43	0.43	0.09	0.19
	कुल	**47.55**	**0.73**	**0.45**	**47.83**	**20.84**	**6.32**	**0.43**	**26.74**	**21.09**	**26.71**
	पिछले वर्ष	47.55	5.35	-	47.55	14.53	6.32	-	20.85	26.71	33.03
ग	पूंजी कार्य प्रगति										
	(क) सिविल कार्य प्रगति	4.62	-	4.62	-	-	-	-	-	-	4.62
	(ख) परामर्श चार्ज	-	0.96	-	0.96	-	-	-	-	0.96	-
	कुल	**4.62**	**0.96**	**4.62**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.96**	**4.62**
	पिछले वर्ष	2.11	4.62	2.11	4.62	-	-	-	-	4.62	

3(क) संपत्तियों का उपयोग अधिकार (टिप्पणी 39 देखें)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक
	1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन	कटौती	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के लिए	कटौतियाँ	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को
पट्टे की भूमि का उपयोग अधिकार	0.19	-	-	0.19	-	0.00	-	0.00	0.19
कुल	0.19	-	-	0.19	-	0.00	-	0.00	0.19

Notes to financial statements for the year ended 31st March, 2020

Note 3. Plant, Property and Equipment

	Fixed Assets	Gross block				Accumulated depreciation and Impairment				Net block	
		1 April 2019	Additions	Disposals/ Adjustments	31-03-2020	1 April 2019	Depreciation / amortisation expense for the year	Disposals/ Adjustments	31-03-2020	31-03-2020	31-03-2019
		₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs	₹ in lacs
A.	Tangible assets										
	(a) Buildings	283.66	3.62	-	287.28	156.60	7.79	-	164.39	122.88	127.05
	(b) Roads	3.29	-	-	3.29	3.05	-	-	3.05	0.24	0.24
	(c) Plant and Machinery	639.91	119.04	111.37	647.58	377.01	28.23	83.99	321.25	326.34	262.90
	(d) Electrical Installation & Eqpt.	33.42	0.33	-	33.75	22.07	1.78	-	23.85	9.90	11.35
	(e) Furniture &Fixture	76.31	0.62	-	76.93	32.64	6.85	-	39.49	37.43	43.67
	(f) Computer Data Processing	37.29	0.71	-	38.00	28.10	4.25	-	32.34	5.66	9.19
	(g) Office Equipment	25.24	0.76	2.24	23.76	19.46	2.03	1.76	19.73	4.03	5.78
	(h) Lab Equipment	66.96	6.39	-	73.35	30.02	6.56	-	36.58	36.75	36.93
	Total	1166.08	131.47	113.61	1183.94	668.95	57.49	85.75	640.68	543.23	497.11
	Previous year	1,125.79	77.12	36.85	1,166.06	646.46	57.00	34.50	668.95	497.11	
B	Intangible assets										
	(a) Computer Software	46.58	0.73	-	47.31	20.06	6.25	-	26.31	21.00	26.52
	(b) Trademarks/Brand & Patents	0.97	-	0.45	0.52	0.78	0.07	0.43	0.43	0.09	0.19
	Total	47.55	0.73	0.45	47.83	20.84	6.32	0.43	26.74	21.09	26.71
	Previous year	47.55	5.35	-	47.55	14.53	6.32	-	20.85	26.71	33.03
C	Capital Work In Progress										
	(a) Civil work in progress	4.62	-	4.62	-	-	-	-	-	-	4.62
	(b) Consultancy Charges	-	0.96	-	0.96	-	-	-	-	0.96	-
	Total	4.62	0.96	4.62	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	4.62
	Previous year	2.11	4.62	2.11	4.62	-	-	-	-	4.62	

3(a). Right-of-use assets (Refer Note 38)

Particulars	Gross Block				Depreciation / Amortisation				Net Block
	As at April 1, 2019	Additions	Deductions	As at March 31, 2020	As at April 1, 2019	For the year	Deductions	As at March 31, 2020	As at March 31, 2020
Right-of-use Leasehold land	0.19	-	-	0.19	-	0.00	-	0.00	0.19
Total	0.19	-	-	0.19	-	0.00	-	0.00	0.19

टिप्पणी 4. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - निवेश

क्रम सं	निगमित निकाय का नाम	धारण की परिधि (%)	शेयरों की संख्या / यूनिट	रकम रुपए लाखों में	शेयरों की संख्या / यूनिट	रकम रुपए लाखों में
		31.03.2020 को			31.03.2019को	
1	अनुद्धृत - पूर्ण रूप से प्रदत्त इक्विटी शेयर इक्विटी साधन में निवेश पूर्ण रूप से प्रदत्त प्रत्येक रु 100/- के गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के 250 शेयर		250	0.25	250	0.25
				0.25		0.25

टिप्पणी 5 गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

क्रम सं	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
	अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		
	प्रतिभूति जमा	14.64	14.59
	अन्य प्राप्तियाँ	-	-
	अन्य	-	-
	(i) अग्रिम आयकर (प्रावधान का निवल)/एम ए टी क्रेडिट	30.90	23.95
	(ii) कर्मचारी अग्रिम	-	-
	(ii) अन्य अग्रिम	9.11	13.91
	कुल	**54.66**	**52.45**

टिप्पणी 6 चालू अन्य

क्रम सं	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
	वापसी योग्य आय कर	39.17	39.17
	कुल	**39.17**	**39.17**

Note 4. Non Current Financial Assets - Investments

Sl. No.	Name of the Body Corporate	Extent of Holding (%)	No. of Shares / Units	Amount in ₹ in lacs	No. of Shares / Units	Amount in ₹ in lacs
			As at 31.03.2020		As at 31.03.2019	
	Un Quoted fully paid equity shares					
1	Investment in Equity Instruments					
	250 shares of the Goa State Co-operative Bank Ltd., fully paid of ` 100/- each		250	0.25	250	0.25
				0.25		0.25

Note. 5 Non Current Financial Assets - Others

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
	Unsecured, Considered good		
	Security Deposits	14.64	14.59
	Other Receivables	-	-
	Others	-	-
	(i) Advance Income Tax(Net of Provisions)/MAT Credit	30.90	23.95
	ii) Employee advances	-	-
	iii) Other advances	9.11	13.91
	Total	54.66	52.45

Note. 6 Other Non Current Others

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
	Income Tax Refund Receivble	39.17	39.17
	Total	39.17	39.17

टिप्पणी 7 चालू परिसंपत्तियाँ - वस्तुसूची
(निम्नतम लागत पर और निवल वसूली साध्य मूल्य)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
क. कच्चे माल (लागत पर मूल्यांकित)	84.77	27.74
अन्यों के साथ कच्चे माल (लागत पर मूल्यांकित)	-	-
	84.77	27.74
ख. पैंकिंग सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	24.31	9.78
	24.31	9.78
	18.03	3.40
ग. कार्य प्रगति (वास्तविक प्रक्रिया लागत पर मूल्यांकित)	18.03	3.40
घ.तैयार माल (निम्नतम लागत पर या एन आर वी पर मूल्यांकित)		
विनिर्मित उत्पाद	4.34	16.21
व्यापार में स्टॉक (व्यापार के लिए अधिग्रहित)	22.42	16.36
जयपूर में तैयार माल (होम्योपैथिक)	-	-
मार्गस्थ माल	-	-
	26.76	32.57
ङ. सामान्य भंडार एवं उपभोज्य (लागत पर मूल्यांकित)	14.18	9.21
च. अन्य सामग्रियाँ, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, इमारती सामान आदि (लागत पर मूल्यांकित)	6.15	2.70
	6.15	2.70
छ. प्रबंध द्वारा पुनर्मूल्यांकित और प्रमाणित औजार	-	-
ज. अन्य	-	-
रद्दी/अधिशेष संपत्तियाँ(कम लागत पर या निवल वसूली साध्य मूल्य पर)	-	-
उपहार मदें (लागत पर)	-	
लेखन सामग्री (लागत पर)	1.90	0.93
	1.90	0.93
	176.10	86.33
न्यून : अप्रयुक्त स्टॉक के लिए अंतिम प्रावधान		
कुल	176.10	86.33

Note 7. Current Assets - Inventories
(At lower of cost and net realisable value)

Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
a. Raw Materials (Valued at cost)	84.77	27.74
Raw Materials with others (Valued at cost)	-	-
	84.77	27.74
b.Packing Materials (Valued at cost)	24.31	9.78
	24.31	9.78
c. Work-in-progress (Valued at Actual Process Cost)	18.03	3.40
	18.03	3.40
d. Finished goods (Valued at Lower of cost or NRV)		
Manufactured Products	4.34	16.21
Stock-in-trade (Acquired For Trading)	22.42	16.36
Finished goods at Jaipur (Homeopathic)	-	-
Goods-in transit	-	-
	26.76	32.57
e.General Stores and Consumables (Valued at cost)	14.18	9.21
f. Other materials, machinery, spare parts, building materials etc. (Valued at cost)	6.15	2.70
	6.15	2.70
g. Tools revalued & certified by management	-	-
h. Others		
Scrapped/Surplus Assets (at lesser of cost or net realisable value)	-	-
Gift items (at cost)	-	-
Stationery (at cost)	1.90	0.93
	1.90	0.93
	176.10	86.33
Less : Provision for Obselete Stock		
Total	176.10	86.33

टिप्पणी 8 . चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्तियाँ

विवरण	31.03.2020 को ₹ लाखों में	31.03.2019 को ₹ लाखों में
भुगतान के लिए देय तारीख से छह महीने से कम अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियाँ		
क) शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्य -प्रतिभूत	-	-
ख) शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	1,962.03	888.68
ग) व्यापार प्राप्य जिनको क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
घ) व्यापार प्राप्य- क्रेडिट हानि	-	-
	1,962.03	888.68
भुगतान के लिए नियत तारीख से छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया प्राप्य व्यापार वस्तुएं		
क) शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्य -प्रतिभूत	-	-
ख) शोध्य समझे गए व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत।	1,684.32	2,110.62
ग) व्यापार प्राप्य जिनको क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
घ) व्यापार प्राप्य- क्रेडिट हानि	-	-
	1,684.32	2,110.62
कुल	3,646.35	2,999.30
न्यून : अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	477.48	477.48
कुल व्यापार प्राप्य	**3,168.87**	**2,521.82**

टिप्पणी 9. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ रोकड़ और रोकड़ समानार्थी

विवरण	31.03.2020 को ₹ लाखों में	31.03.2019 को ₹ लाखों में
बैंक शेष		
(i) चालू खाते में	3.02	2.51
(ii) रोकड़ जमा खाते में	160.02	0.01
(iii) जमा खाते में	-	-
(क) 12 महीने से कम परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	-	-
(ख) 12 महीने से ज़्यादा परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते में	-	-
(ग) उधार और गारंटी के लिए मार्जिन मनी के रूप में रखे सावधि जमा	197.83	89.24
(iv) ई ई विदेशी मुद्रा खाते में	-	-
(v) हस्तगत कैश/स्टाम्प	0.15	0.15
	361.02	91.91

Note 8.Current Financial Assets - Trade receivables

Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
Trade receivables outstanding for a period less than six months from the date they were due for payment		
a) Trade Receivble Considered good - Secured ;	-	-
b) Trade Receivble Considered good - Unsecured ;	1,962.03	888.68
c) Trade Receivble which have significant increase in Credit Risk	-	-
d) Trade Receivbles - Credit impaired	-	-
	1,962.03	888.68
Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment		
a) Trade Receivble Considered good - Secured ;	-	-
b) Trade Receivble Considered good - Unsecured ; *	1,684.32	2,110.62
c) Trade Receivble which have significant increase in Credit Risk	-	-
d) Trade Receivbles - Credit impaired	-	-
	1,684.32	2,110.62
Total	3,646.35	2,999.30
Less: Allowance for expected credit loss	477.48	477.48
Total Trade Receivable	**3,168.87**	**2,521.82**

Note 9. Current Financial Assets - Cash and cash equivalents

Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
Balances with banks		
(i) In Current Accounts	3.02	2.51
(ii) In Cash credit Accounts	160.02	0.01
(iii) In Deposit Accounts	-	-
(a) In Term Deposit accounts with less than 12 month maturity	-	-
(b) In Term Deposit accounts with more than 12 months maturity	-	-
(c) In Term deposits held for margin money for borrowings and guarantee	197.83	89.24
(iv) In EE Foreign Currency accounts	-	-
(v) Cash/stamps on hand	0.15	0.15
	361.02	91.91

टिप्पणी 10 . चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - अन्य

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) प्रतिभूति जमा एवं ई एम डी	9.50	0.05
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	-	-
उप योग	**9.50**	**0.05**
(ख) कर्मचारियों को ऋण एवं पेशगियाँ		
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	0.71	0.43
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	-	-
संदिग्ध समझे गए	-	-
	0.71	0.43
न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों केलिए प्रावधान	-	-
उप योग	**0.71**	**0.43**
(ग) एफ डी आर पर अर्जित ब्याज	4.68	2.26
(घ) सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष	1.74	1.73
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	-	-
उप योग	**6.42**	**3.99**
(ङ) अन्य (लेनदार को अग्रिम, विविध अभिकरणों के लिए जमा आदि)	-	-
प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	0.49	9.78
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	-	-
संदिग्ध समझे गए	-	-
	0.49	9.78
न्यून : संदिग्ध ऋण और पेशगियों के लिए प्रावधान	-	-
उप योग	**0.49**	**9.78**
च) बिल नहीं किये गये राजस्व		
i) अन्य (वसूली योग्य आदि व्यय शामिल हैं)		
कुल	**17.12**	**14.25**

टिप्पणी 11 . अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए अन्यथा निर्धारित न किया गया तो		
(क) परिचालन पट्टे के अधीन पूर्वभुगतान		
(ख) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम		
(ग) बिक्री कर प्राप्तियाँ	-	-
(घ) सेवा कर/सेनवैट क्रेडिट प्राप्तियाँ	-	-
(ङ) जी एस टी/सी जी एस टी/एस जी एस टी प्रतिभार	148.51	82.37
शोध्य समझे गए		
संदिग्ध समझे गए		
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते		-
(च) पूर्वदात व्यय - अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए	2.80	5.25
	2.80	5.25
(छ) ग्राहक के साथ शेष राशि	0.15	-
(ज) अन्य	-	0.11
कुल	**151.46**	**87.73**

Note 10. Current Financial Assets - Others

Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
(a) Security deposits & EMD	9.50	0.05
Secured, considered good	-	-
Sub Total	**9.50**	**0.05**
(b) Loans and advances to employees		
Secured, considered good	0.71	0.43
Unsecured, considered good	-	-
Considered Doubtful	-	-
	0.71	0.43
Less: Provision for doubtful loans and advances	-	-
Sub Total	**0.71**	**0.43**
(c) Interest accrued on FDR	4.68	2.26
(d) Balances with government authorities	1.74	1.73
Unsecured, considered good	-	-
Sub Total	6.42	3.99
(e) Others (Advance to Creditors , Deposit to various agencies etc)		
Secured, considered good	0.49	9.78
Unsecured, considered good	-	-
Considered Doubtful	-	-
	0.49	9.78
Less: Provision for doubtful loans and advances	-	-
Sub Total	**0.49**	**9.78**
(f) Unbilled revenue		
(i) Others (includes expenses recoverable, etc.)		
Total	**17.12**	**14.25**

Note 11. Other current assets

Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
Unsecured, considered good unless otherwise stated		
(a) Prepayments under operating leases		
(b) Advances to related parties		
(c) Sales Tax Receivables	-	-
d)Service tax/CENVAT credit receivable	-	-
e)IGST/CGST/SGST set off	148.51	82.37
considered good		
considered doubtful		
Less: Allowances for doubtful debts		
(f) Prepaid expenses - Unsecured, considered good	2.80	5.25
	2.80	5.25
(g) Balances with customer	0.15	-
(h) Others	-	0.11
Total	**151.46**	**87.73**

टिप्पणी 12 . इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(क) प्राधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹100/- के इक्विटी शेयर - 25,00,000 सं.	2,500.00	2,500.00
(ख) जारी की गई शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹100/- के इक्विटी शेयर - 19,02,000 सं.	1,902.00	1,902.00
(ग) अभिदत्त और पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयर पूँजी		
प्रत्येक ₹100/- के इक्विटी शेयर - 19,02,000 सं.	1,902.00	1,902.00
कुल	***1,902.00***	***1,902.00***

इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	शेयरों की सं.	₹ लाखों में	शेयरों की सं.	₹ लाखों में
इक्विटी शेयर पूँजी				
प्राधिकृत				
अथशेष (प्रत्येक ₹100/- के अंकित मूल्य)	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00
परिवर्धन	-	-	-	-
अंतिम शेष (प्रत्येक ₹ 100/- के अंकित मूल्य)	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00
जारी किए गए				
अथशेष (प्रत्येक ₹ 100/- के अंकित मूल्य)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00
परिवर्धन		-		
अंतिम शेष (प्रत्येक ₹ 100/- के अंकित मूल्य)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00
अभिदत्त और प्रदत्त				
अथशेष (प्रत्येक ₹ 100/- के अंकित मूल्य)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00
परिवर्धन		-		
अंतिम शेष (प्रत्येक ₹ 100/- के अंकित मूल्य)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00

5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों के विवरण

शेयरधारक का नाम	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	रखे हुए इक्विटी शेयरों की सं.	हॉल्डिंग की प्रतिशतता	रखे हुए इक्विटी शेयरों की सं.	हॉल्डिंग की प्रतिशतता
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड	14.07	74%	14.07	74%
ई डी सी लिमिटेड	4.95	26%	4.95	26%

Note. 12 Equity Share capital

Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
(a) Authorised Share Capital		
Equity shares of ` 100/-each - 25,00,000 Nos.	2,500.00	2,500.00
(b) Issued Share Capital		
Equity shares of ` 100/- each - 19,02,000 Nos.	1,902.00	1,902.00
(c) Subscribed and fully paid up Share Capital		
Equity shares of ` 100/- each - 19,02,000 Nos.	1,902.00	1,902.00
Total	**1,902.00**	**1,902.00**

Reconcillation of Share Capital

Description	As at 31.03.2020 No of Shares	₹ in lacs	As at 31.03.2019 No of Shares	₹ n lacs
Equity Share Capital				
Authorized				
Opening Balance (Face value of `100/- each)	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00
Additions	-	-	-	-
Closing Balance (Face value of `100/- each)	25.00	2,500.00	25.00	2,500.00
	-	-	-	-
Issued	-	-	-	-
Opening Balance (Face value of `100/- each)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00
Additions	-	-	-	-
Closing Balance (Face value of `100/- each)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00
	-	-	-	-
Subscribed & Paid up	-	-	-	-
Opening Balance (Face value of `100/- each)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00
Additions	-	-	-	-
Closing Balance (Face value of `100/- each)	19.02	1,902.00	19.02	1,902.00
Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:				
			(fig in lacs)	
Name of shareholder	**As at 31.03.2020**		**As at 31.03.2019**	
	Number of equity shares held	**% of Holding**	**Number of equity shares held**	**% of Holding**
HLL Lifecare Ltd	14.07	74%	14.07	74%
EDC Limited	4.95	26%	4.95	26%

टिप्पणी 13 . अन्य इक्विटी (आरक्षण और अधिशेष)

ववरण	31.03.2020 को ₹ लाखों में	31.03.2019 को ₹ लाखों में
सामान्य आरक्षित		
अथ शेष	(629.55)	(395.89)
समायोजन		
सी एस आर व्यय के अधिक प्रावधान का प्रत्यावर्तन	0.48	-
पूर्णांकित किए अंतर	-	0.01
मान्यता प्राप्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति/देयताओं के उचित उपयोग का रियायती मूल्य	(0.11)	
वर्ष 16-17 & 17-18 के लिए प्रभावी ब्याज	-	63.83
टी डी एस वापसी 2016-17	-	8.23
अर्जित ब्याज और लंबित भविष्य निधि	-	(12.66)
प्रत्यावर्तित अधिक प्रावधान	-	4.79
वर्ष 2017-18 के लिए सी एच ओ व्यय	-	(37.14)
कुल	(629.18)	(368.83)
जोडः लाभ एवं हानि विवरण से स्थानांतरित	(563.61)	(260.72)
अंतिम शेष	**(1,192.79)**	**(629.55)**
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष/कमी		
अथ शेष		
जोडः वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(543.12)	(261.99)
जोडः कुल अन्य व्यापक आय	(20.49)	1.27
न्यून : सामान्य आरक्षिति में अंतरण	563.61	260.72
अंतिम शेष	-	-

टिप्पणी 14 . गैर चालू देयताएं - उधार

विवरण	2019-20 ₹ लाखों में	2018-19 ₹ लाखों में
(क) अन्य पार्टियों से आवधिक ऋण प्रतिभूत	140.33	50.55
कुल	140.33	50.55

बनाई गई प्रतिभूतियों के विवरण

भूमि, मकान और भूमि पर अन्य ढाँचे को पट्टे पर दिए अधिकार के साम्यिक बंधक द्वारा प्रतिभूत। संयंत्र & मशीनरी, प्रयोगशाला उपकरण, विद्युत प्रतिष्ठापन, फर्नीचर और जुडनार, वाहन और अन्य चल परिसंपत्तियों के दृष्टि बंधक।

प्रत्येक किस्त में देय रकम

विवरण	किस्त की संख्या	किस्त रकम	देय कुल रकम
ब्याज मुफ्त वित्त पोषित आवधिक ऋण	5	15.00	75.00
	1	7.42	7.42
आवधिक ऋण खाता सं.00214606	10	5.50	55.00
	10	7.00	70.00
	5	7.50	37.50
	1	0.50	0.50
कुल			**245.42**

Note 13 Other Equity (Reserves and surplus)

Particulars	As at 31.03.2020 ₹ in lacs	As at 31.03.2019 ₹ in lacs
General reserve		
Opening balance	(629.55)	(395.89)
Adjustments		
Reversal of excess Provision of CSR expenses	0.48	-
Rounding off difference	-	0.01
Discounted value of right of use leased asset/liabilities recognised	(0.11)	
Effective Interest for the year 16-17 & 17-18	-	63.83
TDS refund 2016-17	-	8.23
Interest accured and Pending PF	-	(12.66)
Excess prov reversed	-	4.79
CHO Expenses for the year 2017-18	-	(37.14)
Total	(629.18)	(368.83)
Add: Transferred from Statement of Profit and Loss	(563.61)	(260.72)
Closing balance	**(1,192.79)**	**(629.55)**
Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening balance		
Add: Profit / (Loss) for the year	(543.12)	(261.99)
Add:- Total Other Comprehensive Income	(20.49)	1.27
Less:- Transfer to general reserve	563.61	260.72
Closing balance	-	-

Note 14: Non- Current Liabilities -Borrowings

Particulars	2019-20 ₹ i in lacs	2018-19 ₹ i in lacs
(a) Term Loan From other Parties		
Secured	140.33	50.55
Total	140.33	50.55
Details of securities created:		

Secured by an equitable mortgage of leasehold rights of the land, building and other structures on the land. Hypothecation of plant & machinery, laboratory equipments, electrical installations, furniture & fixtures, vehicles and other movable assets.

Amount payable in each installment

Particulars	No. of Installment	Installment Amount	Total Amount Paid
Interest free funded term loan	5	15.00	75.00
	1	7.42	7.42
Term loan A/c No. 00214606	10	5.50	55.00
	10	7.00	70.00
	5	7.50	37.50
	1	0.50	0.50
Total			**245.42**

टिप्पणी 15 . अन्य गैर - चालू देयताएँ

विवरण	31. 01.2020 को ₹ लाखों में	31. 01.2019 को ₹ लाखों में
लौटाने योग्य प्रतिभूति जमा	78.80	4.43
प्रतिभूति जमों पर ब्याज	-	-
	78.80	4.43

टिप्पणी 16. चालू वित्तीय देयताएँ - उधार

विवरण	31.01.2020 को ₹ लाखों में	31.01.2019 को ₹ लाखों में
(क) मांग पर प्रतिदेय ऋण (नकदी ऋण) - प्रतिभूत		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	736.50	327.78
कुल	**736.50**	**327.78**
(ख) बैंकों से अल्पकालीन ऋण -प्रतिभूत- ओवरड्राफ्ट		
कैनरा बैंक से		-
एस बी आई से		-
कुल		-
(ग) अन्य ऋण व अग्रिम - प्रतिभूत		-
विदेशी मुद्रा क्रेता साख - उधार		-
(घ) प्रोद्‌भूत और देय ब्याज		-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		-
ई डी सी लिमिटेड		-
कुल(प्रतिभूत)	736.50	327.78
(ङ) एस बी टी से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा ऋण (अप्रतिभूत)	-	-
(च) अल्पकालिक ऋण (अप्रतिभूत)	-	
कुल	**736.50**	**327.78**

टिप्पणियाँ :

(i) प्राप्त अल्पकालिक उधार के लिए प्रतिभूति के विवरण		31.01.2020 को ₹ लाखों में	31.01.2019 को ₹ लाखों में
विवरण	प्रतिभूति की प्रकृति		
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	चालू परिसंपत्तियों (वस्तुसूची) और प्राप्तियों के वर्तमान भाग और अचल परिसंपत्तियों पर दूसरी चार्ज के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। एस बी आई तिरुवनंतपुरम में कैश क्रेडिट सीमा रु.8.15 करोड और एस बी आई पेर्नेम में 1.00 करोड़ है (शेष ऋण) ।	736.50	327.78
बैंकों से अल्पकालिक ऋण -एस बी आई से ओवरड्राफ्ट प्रतिभूत	परियोजना जमा द्वारा प्रतिभूत		
अन्य ऋण और अग्रिम			
	कुल	**736.50**	**327.78**

Note 15. Other Non-current Liabilities

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(i) Refundable Security Deposit	78.80	4.43
(ii) Interest On Security Deposits	-	-
	78.80	4.43

Note 16. Current Financial Liabilities - Borrowings

Particulars	AS AT 31.01.2020 ₹ in lacs	AS AT 31.01.2019 ₹ in lacs
(a) Loans repayable on demand (Cash Credit) - Secured		
From State Bank of India	736.50	327.78
Total	**736.50**	**327.78**
(b) Short Term Loans from Banks -- Secured Overdraft		
From Canara Bank	-	-
From SBI	-	-
Total	-	-
(c) Other loans and advances - Secured	-	-
Foreign Currency Buyers Credit	-	-
(d) Interest Accrued & due	-	-
State Bank of India	-	-
EDC Limited	-	-
Total (secured)	736.50	327.78
(e) Short Term Foreign Currency Loan from SBT (Unsecured)	-	-
(f) Short Term Loan From (Unsecured)	-	-
Total	**736.50**	**327.78**

Notes:

(i) Details of security for the secured short-term borrowings:

Particulars	Nature of security	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Loans repayable on demand from banks: SBI	Secured by hypothecation of Current Asset (Inventories) and current portion of receivables and second charge over the fixed assets. Cash Credit limit ` 8.15 crore at SBI Trivendrum and ` 1.00 crore at SBI Pernem .	736.50	327.78
Short Term Loans from Banks -- Secured overdraft from SBI	Secured by Project Deposits	-	-
Other loans and advances:		-	-
Total		**736.50**	**327.78**

टिप्पणी 17. चालू वित्तीय देयताएँ - देय व्यापार

विवरण	31.03.2020 को ₹ लाखों में	31.03.2019 को ₹ लाखों में
देय व्यापार :		
सामग्री, सेवा और व्यय के लिए		
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	120.66	11.49
- अन्य	2,815.22	1,694.32
कुल	2,935.88	1,705.81

टिप्पणी 18. अन्य चालू देयताएँ

विवरण	31.03.2020 को ₹ लाखों में	31.03.2019 को ₹ लाखों में
(क) दीर्घकालीन ऋण के वर्तमान परिपक्वताएँ (नीचे टिप्पणी (त) देखें	98.90	60.16
(ख) अन्य		
उपभोक्ता/ग्राहकों से अग्रिम		
ई एम डी : प्रतिभूति जमा	39.45	78.55
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	3.72	0.00
अन्य देयताएँ	57.53	67.88
कुल	199.60	206.59

टिप्पणी (i) : दीर्घकालीन अवधि के ऋण के वर्तमान परिपक्वताएँ

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
आवधिक ऋण		
ई डी सी से रुपए आवधिक ऋण	98.90	60.16
कुल	98.90	60.16

टिप्पणी 19. प्रचालन से राजस्व

विवरण	31.03.2020 को ₹ लाखों में	31.03.2019 को ₹ लाखों में
क) कर्मचारी फायदा के लिए प्रावधान		
(i) बॉनस और प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	46.08	47.19
(ii) निष्पादन संबंधित वेतन के लिए प्रावधान	-	-
(iii) अनुलब्धियों और भत्ता के लिए प्रावधान	-	-
(iv) उपदान के लिए प्रावधान	44.14	12.45
(v) अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	16.25	9.69
(vi) वेतन संशोधन बकाया के लिए प्रावधान	-	-
उप योग	106.47	69.33
ख) प्रावधान - अन्य		
(i) कर के लिए प्रावधान	-	-
उप योग	-	-
कुल	106.47	69.33

Note 17. Current Financial Liabilities - Trade payables

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Trade payables:		
for materials, services and expenses		
- Micro Small and Medium Enterprises	120.66	11.49
- Others	2,815.22	1,694.32
Total	2,935.88	1,705.81

Note 18. Other current liabilities

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(a) Current maturities of long-term debt (Refer Note (i) below)	98.90	60.16
(b) Others		
Advance from Customers/Clients		
EMD & Security Deposits	39.45	78.55
Interest Accrued but not due	3.72	-
Other Liabilities	57.53	67.88
Total	199.60	206.59
Note (i): Current maturities of long-term debt		
Particulars	**Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs**	**A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs**
Term loans		
Term Loan from EDC	98.90	60.16
Total	98.90	60.16

Note 19. Current Provisions

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(a) Provision for employee benefits:		
(i) Provision for bonus and incentive	46.08	47.19
(ii) Provision for Performance related pay	-	-
(iii) Provision for Perks & Allowance	-	-
(ii) Provision for gratuity	44.14	12.45
(iii) Provision for Earned Leave	16.25	9.69
(vi) Provision for Pay Revision Arrears	-	-
Sub Total	106.47	69.33
(b) Provision - Others:		
(i) Provision for tax	-	-
Sub Total	-	-
Total	106.47	69.33

टिप्पणी 20. प्रचालन से राजस्व

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
(क)	उत्पादों की बिक्री	2,949.90	4,612.56
	न्यून : बिक्री वापसी	3.02	-
	उत्पादों की निवल बिक्री	2,946.88	4,612.56
(ख)	सेवाओं की बिक्री	64.90	-
(ग)	मेडीसेंटरों में व्यापार माल	337.61	378.84
		3,349.40	4,991.40
	न्यून : उत्पाद शुल्क	-	-
	कुल	3,349.40	4,991.40

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
उत्पादों की बिक्री में शामिल है		
बिक्री - जी ए पी एल में विनिर्मित/व्यापार माल	1,285.30	3,178.52
बिक्री - होमियोपैथिक औषध	1,016.18	1,394.46
बिक्री - आयुर्वेदिक औषध	645.40	39.58
उप योग	2.946.88	4,612.56
सेवाओं की बिक्री	64.90	-
मेडीसेंटरों में व्यापार माल	337.61	378.84
कुल योग	3,349.39	4,991.40

टिप्पणी : 21 अन्य आय

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
(क)	ब्याज आय (नीचे टिप्पणी (i) देखें)	3.24	3.67
(ख)	अन्य गैर-प्रचालन आय (नीचे टिप्पणी (ii) देखें)	14.78	35.11
	कुल	18.02	38.78

	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
(i)	ब्याज आय में शामिल है :		
	बैंकों से ब्याज :		
	क) एफ डी आर पर	3.24	3.67
	ख) अन्यों पर	-	-
	कुल-ब्याज आय	3.24	3.67
(ii)	अन्य गैर-प्रचालन आय में शामिल हैं :		
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
	वापसी जमा शेष	-	-
	रद्दी की बिक्री	1.49	6.08
	अन्य - सरकारी अनुदान	9.82	7.53
	अन्य विविध आय	3.47	21.50
	कुल-अन्य गैर-प्रचालन आय	14.78	35.11
	कुल अन्य आय	18.02	38.78

Note 20. Revenue from operations

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(a) Sale of products	2,949.90	4,612.56
Less:- Sales Return	3.02	-
Net Sales of products	2,946.88	4,612.56
(b) Sale of services	64.90	-
(c) Traded goods at Medicentres	337.61	378.84
	3,349.40	4,991.40
less : Excise duty	-	-
Total	3,349.40	4,991.40

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Sale of products comprises		
Sales -Manufactured/Traded goods at GAPL	1,285.30	3,178.52
Sales-Homeopathic Medicines	1,016.18	1,394.46
Sales-Ayurvedic Medicines	645.40	39.58
Sub Total	2,946.88	4,612.56
Sale of services	64.90	-
Traded goods at Medicentres	337.61	378.84
Grand Total	3,349.39	4,991.40

Note 21. Other income

	Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(a)	Interest income (Refer Note (i) below)	3.24	3.67
(b)	Other non-operating income (Refer Note (ii) below)	14.78	35.11
	Total	18.02	38.78
	Particulars	**Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs**	**A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs**
(i)	Interest income comprises:		
	Interest from banks on:		
	a) On FDR	3.24	3.67
	b) On Others	-	-
	Total - Interest income	3.24	3.67
(ii)	Other non-operating income comprises:		
	Profit on sale of fixed assets	-	-
	Credit balances written back	-	-
	Sale Of Scrap	1.49	6.08
	Others- Govt. Grant	9.82	7.53
	Other Misc.Income	3.47	21.50
	Total - Other non-operating income	14.78	35.11
	Total Other Income	18.02	38.78

टिप्पणी 22 : खपा हुआ माल की लागत

विवरण	31मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक स्टॉक	37.52	263.92
जोड : क्रय	2,259.95	2,685.44
	2,297.47	2,949.36
न्यून : अंतिम स्टॉक	109.08	37.52
उपभुक्त सामग्री की लागत	2,188.39	2,911.84
उपभुक्त सामग्री में सम्मिलित हैं :		
कच्चे माल (अक्रिय पदार्थ सहित)	643.50	1,401.22
लैब रसायन	8.24	12.07
पैंकिंग सामग्री	155.32	303.69
आयुर्वेद एवं होमियोपथि कच्चे माल	1,271.31	1,050.02
आयुर्वेद एवं होमियोपथि पैकिंग सामग्री	110.02	144.84
कुल	2,188.39	2,911.84

टिप्पणी 23 : विक्रेय मालों की खरीद

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
व्यापार उत्पाद	268.57	248.42
सामाजिक विपणन ब्रांडेड उत्पाद	-	-
कुल	268.57	248.42

टिप्पणी 24 तैयार मालों की वस्तुसूची, चालू कार्य और विक्रेय मालों में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के अंत में वस्तुसूची		
तैयार माल	4.34	16.21
कार्य प्रगति	18.03	3.40
विक्रेय माल	22.42	16.36
	44.79	35.97
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची		
तैयार माल	16.21	3.54
कार्य प्रगति	3.40	123.91
विक्रेय माल	16.6	52.24
	35.98	179.69
निवल कमी/(वृद्धि)	(8.81)	143.72

Note 22. Cost of materials consumed

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Opening stock	37.52	263.92
Add: Purchases	2,259.95	2,685.44
	2,297.47	2,949.36
Less: Closing stock	109.08	37.52
Cost of material consumed	2,188.39	2,911.84
Material consumed comprises:		
Raw Materials (Including Excipients)	643.50	1,401.22
Lab. Chemicals	8.24	12.07
Packing Materials	155.32	303.69
Ayurveda & Homeopathy Raw Material	1,271.31	1,050.02
Ayurveda & Homeopathy Packing Material	110.02	144.84
Total	2,188.39	2,911.84

Note 23. Purchases of stock-in-trade

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Trading Products	268.57	248.42
Social Marketing Branded Products	-	-
Total	268.57	248.42

Note 24. Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock in trade

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Inventories at the end of the year:		
Finished goods	4.34	16.21
Work-in-progress	18.03	3.40
Stock-in-trade	22.42	16.36
	44.79	35.97
Inventories at the beginning of the year:		
Finished goods	16.21	3.54
Work-in-progress	3.40	123.91
Stock-in-trade	16.36	52.24
	35.98	179.69
Net (increase) / decrease	(8.81)	143.72

टिप्पणी 25 : कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
(क) वेतन और प्रोत्साहन	787.80	819.83
(ख) अंशदान	-	-
भविष्य और अन्य निधियाँ	101.18	93.43
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	16.17	23.05
कुल	905.15	936.31

टिप्पणी 26 : वित्तीय लागत

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ लाखों में
(क) ब्याज व्यय : (i) नकदी उधार	75.76	60.62
(ii) आवधिक ऋण	14.81	18.43
(iii) पट्टा देनदारियों पर ब्याज	0.03	-
(ख) अन्य उधार लागत	-	-
कुल	90.60	79.05

टिप्पणी 27. असाधारण/विशेष मदें

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
विशेष मदें गैर मानक गुणवत्ता की आपूर्ति के प्रति कटौती		212.53
कुल		212.53
असाधारण मदें रद्दी की बिक्री पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क		0.95
कुल		0.95

टिप्पणी: 28. अन्य व्यय

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ लाखों में
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के उपभोग	1.39	3.95
विज्ञापन एवं प्रचार और बिक्री प्रोन्नमन	12.89	12.57
भाड़ा और अन्य विक्रय व्यय	72.00	89.29
बिजली और इंधन चार्ज	64.30	65.58
यात्रा तथा परिवहन	27.99	30.34
परामर्श तथा सेवा शुल्क	129.96	396.82
प्रशासनिक व्यय	98.35	86.75

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(a) Salaries and incentives	787.80	819.83
(b) Contributions to -	-	-
Provident and other funds	101.18	93.43
(c) Staff welfare expenses	16.17	23.05
Total	905.15	936.31

Note 26 . Finance costs

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(a) Interest expense on:		
(i) Cash credit	75.76	60.62
(ii) Term Loan	14.81	18.43
(iii) Interest on Lease Liabilities	0.03	-
(b) Other borrowing costs	-	-
Total	90.60	79.05

Note 27. Extraordinary / Exceptional Items

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Exceptional items		
Deduction towards Supply of Non Standard Quality		212.53
Total		212.53
Extraordinary items		
Excise Paid on sale of scrap		0.95
Total		0.95

Note 28. Other expenses

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
Consumption of Stores and Spare parts	1.39	3.95
Advertisement & Publicity and Sales Promotion	12.89	12.57
Freight & Other Selling Expenses	72.00	89.29
Power & fuel charges	64.30	65.58
Travelling & Conveyance	27.99	30.34
Consultancy & Service Charges	129.96	396.82
Administravtive Expenses	98.35	86.75

पट्टा किराया	27.80	29.69
अन्य विविध व्यय	43.17	83.71
अन्य उत्पादन व्यय	7.68	4.59
ठेके कर्मचारियों को वेतन	2.80	0.85
जल चार्ज	7.15	7.88
बीमा चार्ज	4.27	3.95
मरम्मत तथा अनुरक्षण - इमारत	4.18	9.36
- मशीनरी	25.47	29.50
अन्य परिसंपत्तियाँ	2.73	5.17
बट्टे खाते डाले गए बेकार भंडार के बही मूल्य	1.24	3.34
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	27.88	2.34
कुल	561.25	865.68

टिप्पणी: 28. अन्य व्यय (जारी)

विवरण	31.01.2020 को समाप्त वर्ष	31.01.2019 को समाप्त वर्ष
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान शामिल हैं		
लेखापरीक्षा शुल्क	1.50	1.50
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.25	0.25
वैट लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
लेखापरीक्षा व्यय	0.08	0.08
कुल	1.83	1.83

टिप्पणी 29 : प्रासंगिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (प्रावधान नहीं की गयी सीमा तक) ₹ लाखों में

विवरण	31.01.2020 को समाप्त वर्ष	31.01.2019 को समाप्त वर्ष
क. ऋण के रूप में स्वीकार न किए कंपनी के प्रति दावा।	शून्य	शून्य
ख. प्रत्याभूति	शून्य	शून्य
ग. अन्य रकम जिसके लिए कंपनी प्रासंगिक रूप से जिम्मेदार है।		
I. अपील में रहे मामलों के संबंध में बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/भविष्य निधि देयताएं		
(क) बिक्री कर लखनाऊ		
(2002-03)	0.43	0.43
(2003-04)	2.18	2.18
III. टुटोन फार्मा, अहम्मदाबाद द्वारा कंपनी पर फाइल किए गए विधिक मुकदमा सं. 1492/88 माननीय सिटी सिविल न्यायालय, भाद्रा के समक्ष लंबित है।	2.50	2.50
IV. प्रसन्ना ट्रान्सपोर्ट, पूणे द्वारा कंपनी पर फाइल किए गए विधिक वाद मुकदमा सं. 2136/04 माननीय सी सी जे एस, पूणे के समक्ष लंबित है।	1.30	1.30
V. मार्कसन फार्मा, मुंबई द्वारा कंपनी पर फाइल किए गए विधिक वाद मुकदमा सं. 2848/06 माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष लंबित है।	4.36	4.36
कुल	10.77	10.77
घ. प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य

lease Rent	27.80	29.69
Other Miscellaneous Expense	43.17	83.71
Other production expenses	7.68	4.59
Wages to Contract Labourers	2.80	0.85
Water charges	7.15	7.88
Insurance charges	4.27	3.95
Repairs and maintenance - Building	4.18	9.36
Machinery	25.47	29.50
Other assets	2.73	5.17
Book value of obsolete stores written off	1.24	3.34
Loss on sale of assets	27.88	2.34
Total	561.25	865.68

Note 28 Other expenses (Contd.)

Particulars	Aa at 31.01.2020 ₹ in lacs	A Aa at 31.01.2019 ₹ in lacs
(i) Payments to the auditors comprises		
Audit fees	1.50	1.50
Tax Audit fees	0.25	0.25
Vat Audit fees	-	-
Audit expenses	0.08	0.08
Total	1.83	1.83

Note 29: Contingent Liabilities and Commitments: (to the extent not provided for) ₹ in lacs

	Particulars	Aa at 31.01.2020	A Aa at 31.01.2019
A.	Claim against the company not acknowledged as debts	Nil	Nil
B.	Guarantees	Nil	Nil
C.	Other money for which the company is contingently liable		
I	Sales Tax /Excise/PF Liability in respect of matters in appeal		
	(a) Sales Tax Lucknow		
	(2002-03)	0.43	0.43
	(2003-04)	2.18	2.18
III	Legal suits is filed on the company by Tuton Pharma , Ahmadabad case no . 1492/88 pending before Hon'ble City Civil Court, Bhadra	2.50	2.50
V	Legal suits is filed on the company by Prassanna Transport, Pune case no. 2136/04 pending before Hon'ble CCJS- Pune .	1.30	1.30
VI	Legal suits is filed on the company by Markson Pharma, Mumbai case no. 2848/06 pending before Hon'ble High Court, Mumbai .	4.36	4.36
	Total	10.77	10.77
D.	Commitments		

30. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरण

₹ लाखों में

क्रम सं.	**विवरण**	2019-20	2018-19
1.	आर्षा केमिकल	-	0.16
2.	अमेय सखराम सावंत	0.05	-
3.	अनलिटिकल तकनॉलजी	1.92	1.21
4.	अनुपम सील्स प्राइवेट लिमिटेड	-	0.03
5.	भासीन पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड	-	0.02
6.	क्रियेशन्स	10.18	0.16
7.	जनरल रबड़ प्रोडक्स	-	0.00
8.	गुजरात मिनरल्स	0.00	(0.48)
9.	आई सी एम प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	-	0.60
10.	जेमकोन प्राइवेट लिमिटेड	1.68	-
11.	लैब इंडिया अनलिटिकल संस्था	0.36	-
12.	लैब वर्ल्ड गोवा	-	1.07
13.	लक्ष्मी पोलीप्रिंट्स	-	0.01
14.	मैक फार्माटेक	-	0.87
15.	मनीशा अनलिटिकल लबोरटरीस	3.24	-
16.	नैचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड	11.20	-
17.	नेक्सजन फार्माटेक	33.98	-
18.	ओमकार पैकेजिंग	1.90	0.02
19.	ओमकार ट्रेडेर्स	0.01	-
20.	पारगन वीयल कैप्स प्राइवेट लिमिटेड	4.46	-
21.	फार्मेड्स : उपकरण	-	0.05
22.	पावर इंजीनिरिंग (इंडिया) प्राइवेट	17.45	-
23.	प्रगति केम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	-	0.15
24.	प्रियंका पैकेजिंग इंडस्ट्रीस	2.77	0.04
25.	राउत वैज्ञानिक एवं जेनरल ट्रेडेर्स	0.01	0.00
26.	रवि किरन प्रिंटेर्स	2.13	-
27.	रुग्मिनी पैक प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड	2.71	-
28.	सडेकर एनविरो इंजीनियरिंग	1.02	2.37
29.	साई एंटरप्राइसस, पूने	-	0.09
30.	साई पाक्स	5.54	-
31.	सावित्री पैकेजिंग	-	0.10
32.	शरवानी प्लास्टिक इंटस्ट्री	0.41	-
33.	शिव शक्ति प्रोसेस एक्युपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	0.29	4.85
34.	सनलाइफ फार्मा सर्वीसस	12.85	-
35.	टेक्स मेक इंजीनियर्स	-	0.10
36.	दि न्यू बॉल बियरिंग कंपनी	0.07	-
37.	अल्ट्रा फ्लेक्स इंडस्ट्रीस	2.23	-
38.	वी बी ग्रीन्स	0.98	-
39.	वीयल सील इंडस्ट्रीस	2.96	-
40.	वैभवी एंटरप्राइसस	-	0.04
	कुल	**120.65**	**11.49**

प्रबंधन द्वारा समाहरित की गयी जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों को पहचान की गयी हद तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को देय राशि निर्धारित की गयी है। यह लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है। एम एस एम ई के अलावा कुल लेनदार ₹ 2815.22 लाख है।

30. Disclosures required u/s 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006

₹ in lacs

s.n.	Particulars	2019-20	2018-19
1	Aarsha Chemical	-	0.16
2	Amey Sakharam Sawant	0.05	-
3	Analytical Technology	1.92	1.21
4	Anupam Seals Pvt. Ltd	-	0.03
5	Bhasin Packwell Pvt Ltd.,	-	0.02
6	Creations	10.18	0.16
7	General Rubber Products	-	0.00
8	Gujarat Minerals	0.00	(0.48)
9	Icm Plastics Pvt. Ltd.,	-	0.60
10	Jemkon Pvt. Ltd.	1.68	-
11	Lab India Analytical Inst	0.36	-
12	Lab World Goa	-	1.07
13	Laxmi Polyprints	0.25	0.01
14	Mack Pharmatech	-	0.87
15	Manisha Analytical Laboratories	3.24	-
16	Natural Capsules Ltd.,	11.20	-
17	Nexgen Pharmatech	33.98	-
18	Omkar Packaging	1.90	0.02
19	Omkar Traders	0.01	-
20	Paragon Vial Caps Pvt. Ltd.	4.46	-
21	Pharmaids & Equipments	-	0.05
22	Power Engineering (India) Pvt.	17.45	-
23	Pragati Chem Impex Pvt. Ltd.	-	0.15
24	Priyanka Packaging Industries	2.77	0.04
25	Raut Scentific & General Traders	0.01	0.00
26	Ravikiran Printers	2.13	-
27	Rukmini Pack Print Pvt. L	2.71	-
28	Sadekar Enviro Eng.	1.02	2.37
29	Sai Enterprises Pune	-	0.09
30	Sai Paks	5.54	-
31	Savitri Packaging	-	0.10
32	Sharvani Plastic Industrt	0.41	-
33	Shiv Shakti Process Equipment Pvt Ltd	0.29	4.85
34	Sunlife Pharma Services	12.85	-
35	Tex Mech Engineers	-	0.10
36	The New Ball Bearing Co	0.07	-
37	Ultra Flex Industries	2.23	-
38	Vee Bee Greens	0.98	-
39	Vial Seal Industries	2.96	-
40	Vaibhavi Enterprises	-	0.04
		120.65	11.49

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors. Total Creditors other than MSME is ₹2815.22 lacs

31. आयातित और स्वदेशी मदों के खपत के विवरण (केवल गोवा फैक्टरी के लिए)

विवरण	2019-20	2018-19
आयातित	शून्य	शून्य
स्वदेशी		
कच्चे माल	643.50	1,401.22
कुल उपभोग की प्रतिशतता	99.78%	99.72%
स्वदेशी संघटक एवं पुर्जे	1.39	3.95
कुल खपत की प्रतिशतता	0.22%	0.28%
कुल खपत	644.89	1,405.17

32.परिसंपत्तियों की हानि

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए कोई असमर्थ हानि प्रदान नहीं की गई है।

33.मूल्यह्रास और परिशोधन

31/03/2020 तक पूर्ण रूप से बट्टे खाते डाली गयी/बिक्री की गयी परिसंपत्तियाँ ₹ 27.88 लाख हैं। (पिछले वर्ष ₹ 26.97 लाख)

34.प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2019-20	2018-2019
कर के बाद लाभ	(543.12)	(261.99)
भारित औसत शेयरों की संख्या	19.02	19.02
प्रति शेयर अर्जन	(28.56)	(13.77)

35. लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण - 'कर्मचारी लाभ' **अनुबंध - 1**

निर्धारित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान ।

35.1 चालू वर्ष के निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
निर्धारित अथ लाभ दायित्व	501.11	484.67
विद्यमान सेवा लागत	22.66	21.85
ब्याज लागत	35.62	34.93
दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	11.01	(2.51)
पिछली सेवा लागत-(निहित लाभ)	-	-
प्रदत्त लाभ	(63.93)	(37.82)
निर्धारित अंतिम लाभ दायित्व	506.47	501.11
मुआवजा अनुपस्थितियाँ		
निर्धारित अथ लाभ दायित्व	146.59	139.69
चालू सेवा लागत	8.65	8.11
ब्याज लागत	10.24	10.10
दायित्व पर बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	5.99	(1.19)
प्रदत्त लाभ	(27.35)	(10.12)
कंपनी खाते से प्रदत्त लाभ	-	-
निर्धारित अंतिम लाभ दायित्व	144.11	146.59

31.Details of consumption of imported and indigenous items (for Goa factory only)

	Particulars	2019-20	2018-19
	Imported	Nil	Nil
	Indigenous		
	Raw Material	643.50	1,401.22
	% to total Consumption	99.78%	99.72%
	Indigenous Components & Spares	1.39	3.95
	% to total Consumption	0.22%	0.28%
	Total Consumption	644.89	1,405.17

32. Impairment of Assets

No impairment loss has been provided for the period ended 31st March 2020

33. Depreciation and amortisation

The Assets fully written off/sold upto 31/03/2020 is ₹ 27.88 lac (Previous year ₹ 26.97 lacs)

34. Earning per share

	Particulars	2019-20	2018-19
	Profit after Tax	(543.12)	(261.99)
	Weighted average number of Shares	19.02	19.02
	Earnings per share	(28.56)	(13.77)

35. As per Ind AS 19 Disclosure - "Employee benefits", as per Annexure-1

Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the defined benefit obligation and plan assets.

35.1 Movements in the present value of the defined benefit obligation in the current year were as follows:

Particulars	As at March 31, 2020 ₹ in lacs	As at March 31, 2019 ₹ in lacs
Gratuity		
Opening defined benefit obligation	501.11	484.67
Current service cost	22.66	21.85
Interest cost	35.62	34.93
Actuarial (gain)/loss on obligations	11.01	(2.51)
Past Service Cost (vested benefits)	-	-
Benefits paid	(63.93)	(37.82)
Closing defined benefit obligation	506.47	501.11
Compensated Absences	-	
Opening defined benefit obligation	146.59	139.69
Current service cost	8.65	8.11
Interest cost	10.24	10.10
Actuarial (gain)/loss on obligations	5.99	(1.19)
Benefits paid	(27.35)	(10.12)
Benefits paid from company accout	-	-
Closing defined benefit obligation	144.11	146.59

35.2 चालू वर्ष में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान		
योजना परिसंपत्तियों के अथ उचित मूल्य	488.66	475.59
योजना परिसंपत्तियों के अथ उचित मूल्य समायोजन	-	7.76
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	(2.93)	(1.11)
ब्याज आय	35.54	35.17
योगदान	5.00	9.08
प्रदत्त लाभ	(63.93)	(37.82)
योजना परिसंपत्तियों के अंतिम उचित मूल्य	462.33	488.66
मुआवजा अनुपस्थिति		
योजना परिसंपत्तियों के अथ उचित मूल्य	136.90	127.89
योजना परिसंपत्तियों के अथ उचित मूल्य समायोजन	(0.90)	(0.07)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर वापसी	(0.56)	(1.34)
ब्याज आय	9.77	9.62
योगदान	10.00	10.91
प्रदत्त फायदा	(27.35)	(10.12)
योजना परिसंपत्तियों के अंतिम उचित मूल्य	127.87	136.90

35.3 कंपनी वार्षिक आधार पर अर्जित की जानेवाली अनुदान की लागत, भारतीय जीवन बीमा निगम को निधिक करती है, जो योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन करता है।

योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उपदान	32.60	34.06
मुआवजा अनुपस्थितियाँ	9.21	8.28

36. लेखांकन मानक 108 के अनुसार प्रकटीकरण - "प्रचालन खंड" अनुबंध - 2 के अनुसार (रुपए लाखों में)

विवरण	फैक्टरी प्रचालन	व्यापार माल	पट्टे पर संयंत्र	कुल
निवल बिक्री एवं सेवाएँ	1,350.21	337.61	1,661.58	3,349.40
अन्य अविनिधानीय राजस्व	18.02	-	-	18.02
कुल	1,368.22	337.61	1,661.58	3,367.42
विवरण	फैक्टरी प्रचालन	व्यापार माल	पट्टे पर संयंत्र	कुल
ब्याज और कर के पूर्व लाभ/(हानि)	-834.14	-10.48	143.08	-701.54

विवरण	फैक्टरी प्रचालन	व्यापार माल	पट्टे पर संयंत्र	कुल
विनियोज्य अचल परिसंपत्तियाँ (क)	557.04	8.43	-	565.46
विनियोज्य चालू परिसंपत्तियाँ (ख)	2,878.87	13.12	1,449.67	4,341.66
(क)+ (ख)	3,435.90	21.55	1,449.67	4,907.12
विनियोज्य चालू देयताएँ	2,261.30	56.21	1,660.97	3,978.48
विनियोज्य नियुक्त पूँजी	1,174.60	(34.66)	(211.30)	928.64

35.2. Movements in the fair value of the plan assets in the current year were as follows:

Particulars	As at March 31, 2020 ₹ in lacs	As at March 31, 2019 ₹ in lacs
Gratuity		
Opening fair value of plan assets	488.66	475.59
Adjustment to opening Fair Value of Plan Asset	-	7.76
Return on plan assets excl. Interest Income	(2.93)	(1.11)
Interest Income	35.54	35.17
Contributions	5.00	9.08
Benefits paid	(63.93)	(37.82)
Closing fair value of plan assets	462.33	488.66
Compensated Absences	-	
Opening fair value of plan assets	136.90	127.89
Adjustment to opening Fair Value of Plan Asset	(0.90)	(0.07)
Return on plan assets excl. Interest Income	(0.56)	(1.34)
Interest Income	9.77	9.62
Contributions	10.00	10.91
Benefits paid	(27.35)	(10.12)
Closing fair value of plan assets	127.87	136.90

35.3. The Company funds the cost of the gratuity expected to be earned on a yearly basis to Life insurance Corporation of India , which manages the plan assets. The actual return on plan assets is as under.

Particulars	As at March 31, 2020 ₹ in lacs	As at March 31, 2019 ₹ in lacs
Gratuity	32.60	34.06
Compensated Absences	9.21	8.28

36 . As per Ind AS 108 Disclosure - "Operating Segments" as per Annexure -2 **₹ in lacs**

Particulars	Factory Operation	Traded Goods	Leased Plant	Total
Net Sales & Services	1,350.21	337.61	1,661.58	3,349.40
Other unallocable Revenue	18.02	-	-	18.02
Total	1,368.22	337.61	1,661.58	3,367.42

Particulars	Factory Operation	Traded Goods	Leased Plant	Total
Profit /(loss) before Interest & Tax	-834.14	-10.48	143.08	-701.54

Particulars	Factory Operation	Traded Goods	Leased Plant	Total
Allocable Fixed Assets (a)	557.04	8.43	-	565.46
Allocable Current Assets (b)	2,878.87	13.12	1,449.67	4,341.66
a+b	3,435.90	21.55	1,449.67	4,907.12
Allocable Current Liabilities	2,261.30	56.21	1,660.97	3,978.48
Capital Employed Allocation	1,174.60	(34.66)	(211.30)	928.64

37. ए एस 24 के अनुसार -'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'- अनुबंध - 3

जी ए पी एल, एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड (धारक कंपनी) और ई डी सी लिमिटेड, गोवा सरकार उद्यम (सह कंपनी) द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व है। जी ए पी एल को इसके बोर्ड में कोई पूर्णकालिक निदेशक नहीं है।

संबंध के विवरण	नाम
धारक कंपनी	एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
समनुषंगी	शून्य
संयुक्त उद्यम	शून्य
एसोसियेट्स	ई डी सी लिमिटेड
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के एम पी)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, & सी एफ ओ
	रेजु स्करिया - मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	पी.विजयकुमार, सी एफ ओ
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक	₹ 35.91 लाख (पिछले वर्ष ₹ 47.58 लाख)

बिक्री

पार्टी का नाम	2019-20	2018-2019
गोवा सरकार	-	14.40
एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड	130.40	156.80
कुल	130.40	171.20

सावधिक ऋण

पार्टी का नाम	2019-20	2018-2019
ई डी सी लिमिटेड	-	-
18.12.2019 को सावधिक ऋण खाता सं.00214606	95.00	-
29.01.2020 को सावधिक ऋण खाता सं.00214606	68.00	-
कुल	163.00	-

टिप्पणी सं.37 निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिकः लागू नहीं

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री के.बी.जोर्ज	डॉ.श्रीमती गीता शर्मा	श्री टी.राजशेखर	श्री के.वी.बल्लिकर
1.	सकल वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बजाय लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन				

37. As per Ind AS 24 - "Related party Disclousure " - Annexure - 3

GAPL is jointly owned by HLL Lifecare Ltd., (Holding Company) and EDC Ltd., Government of Goa Enterprises (Associate Company) . GAPL do not have any wholetime Director on its Board

	Description of relationship	Names
	Holding Company	HLL Lifecare Limited
	Subsidiaries	Nil
	Joint venture	Nil
	Associates	EDC Ltd.,
	Key Management Personnel (KMP)	Chief Executive Officer , CFO
		Reju Skaria - Chief Executive Officer
		P. Vijaykumar CFO
	Remuneration to Key Managerial Personnel	₹ 35.91 lacs (PY ` 47.58 lacs)

Sale

Party's Name	2019-20	2018-19
Goa Govt	-	14.40
HLL Lifecare Limited	130.40	156.80
Total	130.40	171.20

Term Loans

Party's Name	2019-20	2018-19
EDC Limited	-	-
Term Laon A/c No. 00214606 on 18.12.2019	95.00	-
Term Laon A/c No. 00214606 on 29.01.2020	68.00	-
Total	163.00	-

Note No. 37 Remuneration to Directors and Key Managerial personnel

A. Remuneration to Managing Director , Whole time Directors and/ or Manager ₹ in laks

S. N.	Particulars of Remuneration	Shri K.B. George	Dr. Smt. Geeta Sharma	Shri T. Rajsekar	Shri K.V. Ballikar
1.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income tax Act 1961	NIL	NIL	NIL	NIL
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Ioncome-tax Act , 1961	NIL	NIL	NIL	NIL
	© Profits in leu of salary under section 17(3) of Income Tax Act 1961	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission	NIL	NIL	NIL	NIL

	-लाभ की % के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	-अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (क)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा				

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	डॉ.श्री प्रदीप जी. नाइक	डॉ.श्री धर्मेंद्र सिंह गैंगवार	श्रीमती नीला मोहनन	
1.	स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक				
	बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1+2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्लियु टी डी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण				
1	सकल वेतन	श्री रेजु स्करिया (सी ई ओ)	श्री सी.टी.रामनाथन (सी एफ ओ) 1.4.19 से 30.11.19 तक	श्री परपू विजयकुमार (सी एफ ओ) 26.11.19 से 31.03.20 तक	कुल
	(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	25.38	7.10	2.76	35.23
	(ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य।	-	0.67	-	0.67
	(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बजाय लाभ				
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	उद्यम इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	-लाभ की % के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	-अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	25.38	7.77	2.76	35.91

	- as a % of profit	NIL	NIL	NIL	NIL
	- others, Specify...	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	others, please Specify...	NIL	NIL	NIL	NIL
	TOTAL (A)	NIL	NIL	NIL	NIL
	Ceiling as per the Act				

B. Remuneration to other Directors

S. N.	Particulars of Remuneration	Dr. Shri Pradeep G. Naik	Dr. Shri Dharmendra Singh Gangwar	Smt. Nila Mohanan	
1.	Independent Directors				
	*Fee for attending board/Committee meetings	NIL	NIL	NIL	NIL
	*Commission	NIL	NIL	NIL	NIL
	*Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total 1	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Other Non executive Directors				
	*Fee for attending board/Committee meetings	NIL	NIL	NIL	NIL
	*Commission	NIL	NIL	NIL	NIL
	*Others, please specify	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total 1	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total (B) = (1+2)	NIL	NIL	NIL	NIL
	Total Managerial Remuneration	NIL	NIL	NIL	NIL
	Overall ceiling as per the Act				

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

S. N. Particulars of Remuneration

1.	Gross Salary	Shri Reju Skaria [CEO]	Shri CT Ramanathan [CFO] 1.4.19 to 30.11.19	Shri Parapu Vijaykumar [CFO] 26.11.19 to 31.03.20	Total
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income tax Act 1961	25.38	7.10	2.76	35.23
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Ioncome-tax Act , 1961	-	0.67	-	0.67
	© Profits in leu of salary under section 17(3) of Income Tax Act 1961				
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Commission	NIL	NIL	NIL	NIL
	- as a % of profit	NIL	NIL	NIL	NIL
	- others, Specify...	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	others, please Specify...	NIL	NIL	NIL	NIL
	TOTAL	25.38	7.77	2.76	35.91

38. भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार पट्टा

कंपनी ने कुछ सुविधाओं और कार्यालय परिसरों के लिए परिचालन पट्टा/अवकाश और लाइसेंस व्यवस्थाओं में प्रवेश की है ।

पट्टा 11 महीनों से 120 महीनों की अवधि के लिए है । वे साधारणतया पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आपसी अनुमति के द्वारा नवीकरण है, इन व्यवस्थाओं के अधीन, आम तौर पर, वापसी योग्य ब्याज मुफ्त जमा दिये जाते हैं ।

एक छोटी अवधि पट्टे को इंड ए एस 116 में पट्टे के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसको प्रारंभिक तारीख में, 12 महीने या उससे कम की एक पट्टे की अवधि होती है ।

शेखर परशेखर & के गौतम शेनॉय से अतिथि गृह और राम दयाल एवं विष्णु चौधरी से फैक्टरी के परिसर के पट्टे की अवधि 11 महीनों के लिए हैं और यह इंड ए एस 116 के अनुसार छोटी अवधि पट्टे के रूप में विचार रिया गया है । इसलिए जी ए पी एल ने ऊपर उल्लिखित पट्टों के संबंध में इंड ए एस 116 के पैरग्राफ 22-49 की अपेक्षा के लिए आवेदन नहीं देने को चुन लिया है । जी ए पी एल पट्टे की अवधि में खर्च या सीधी रेखा आधार के रूप में उन पट्टों के साथ जुडे पट्टे भुगतान को पहचानना है और यह लाभ और हानि लेखा में पहचान किया जाता है ।

कंपनी को 84,413 स्क्वयर मीटर पट्टे की भूमि है, जिसमें कंपनी का फैक्टरी परिसर स्थित है । गोवा सरकार द्वारा स्वीकृत पट्टा, प्रतिवर्ष रु.3,166 पट्टे की किराये पर 19.04.1982 से प्रारंभित 99 वर्षों की अवधि के लिए है । इसके लिए कंपनी को इंड ए एस 116 के पैरग्राफ 22-49 की अपेक्षा को आवेदन देने के लिए चुन लिया गया है।

1 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से इंड ए एस 116-पट्टा के पैरा सी8(सी) (ii) के अनुसार संशोधित पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं की गयी है। तदसार, 31 मार्च 2019 के समाप्त वर्ष की तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहींकिया गया है।

आवेदन की प्रारंभिक तिथि में, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 तक रु.30147 की परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकारी (पूर्व भुगतान किये पट्टा किराया द्वारा समायोजित पट्टे देयता की बराबर राशि) को पहचान किया है ।

1 अप्रैल, 2019 तक के पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करते हुए पट्टा देयतायें शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापित की गयी हैं । 1 अप्रैल, 2019 तक के सकल पट्टा देनदारियों को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली औसतन वृद्धिशील उधार दर 10% थी ।

जी ए पी एल को जी एम सी, बाम्बोलिन, होसपिसियो अस्पताल, मड़गाँव, उप-जिला अस्पताल, पोंड़ा में पट्टे पर तीन मेडिसेंटर हैं । ये पट्टे क्रमशः 31/03/2019, 31/07/2020 और 31/08/2019 को समाप्त हो गये हैं। अतः जी ए पी एल को ऊपर उल्लिखित पट्टों के संबंध में इंड ए एस 116 के पैरग्राफ 22-49 के अपेक्षा के लिए आवेदन देने को चुन नहीं लिया है । जी ए पी एल पट्टे की अवधि में खर्च या सीधी रेखा आधार के रूप में उन पट्टों के साथ जुडे पट्टे भुगतान को पहचानना है और यह लाभ और हानि लेखा में पहचान किया जाता है ।

वित्तीय विवरण के भाग बननेवाली टिप्पणियाँ (रुपए लाखों में)

ख) अन्य प्रकटीकरण

(i) पट्टा देनदारियाँ

विवरण	31 मार्च, 2020 तक
गैर-चालू पट्टा देनदारियाँ	0.30
चालू पट्टा देनदारियाँ	0.00
कुल पट्टा देनदारियाँ	0.30

ग) 31 मार्च, 2020 तक पट्टा की देयताओं का परिपक्वता प्रोफाइल (रकम रुपए लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
एक वर्ष के अंदर देय राशि	17.57	24.38
एक वर्ष के बाद और पाँच वर्ष के पहले देय राशि	0.16	0.37
पाँच वर्ष के बाद बकाया राशि	1.70	1.73
कुल	19.43	26.48

गोवा सरकार द्वारा ट्युएम गाँव के सर्वे नं.47/0 के पट्टे पर लिये भूमि पर, अवधि के दौरान यह देखा गया है कि तुलन-पत्र तारीख तक वहाँ करीब 45 अतिक्रमण रिपोर्ट किया गया है । कंपनी ने, करीब 4.85 एकड़ क्षेत्र के अतिक्रमण के अवैद्य ढाँचे के निष्कासन के लिए राजस्व/उचित प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया गया है ।

38. As per Ind AS 116 Leases

The company has entered into operating lease/lease and license arrangements for certain facilities and office premises. The leases are for a period of 11 months to 120 months. They are usually renewable by mutual consent on mutually agreeable terms. Under these arrangements, generally refundable interest free deposits have been given.

A "Short Term Lease" is defined in Ind AS 116 as a lease that, at the commencement date, has a lease term of 12 months or less.

The Leases Term of Guest Houses from Shekar Parsekar & K.Gowtham Shenoy and the factory premises from Ram Dayal Chaudhary and Vishnu Chaudhary are for 11 months and are considered as short term leases as per the Ind AS 116. Therefore GAPL has selected not to apply the requirement of the paragraphs of 22-49 of the Ind AS 116 with respect to the above mentioned leases. GAPL recognises the lease payments associated with those leases as an expense on either a straight-line basis over the lease terms and are recognised in the Profit and loss Account.

The company has leasehold land admeasuring 84,413 Sq.mtrs. on which the Company's factory premises are situated. The lease granted by Government of Goa is for a period of 99 years commencing from 19.04.1982 for lease rent of Rs.3,166 Per annum.The company has elected to apply the requirement of the paragraphs of 22-49 of the Ind AS-116 to the same.

The Company has adopted modified retrospective approach as per para C8 (c) (ii) of Ind AS 116 – Leases, effective from April 1, 2019. Accordingly, comparatives of the year ended March 31, 2019 have not been retrospectively adjusted.

On the initial date of application, the Company has recognised right of use of assets (an amount equal to the lease liability, adjusted by prepaid lease rent) of Rs.30147 as at April 1, 2019.

The lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the leasee's incremental borrowing rate as of April 1, 2019. The average incremental borrowing rate used to discount the gross lease liabilities as on April 1, 2019 was 10%.

GAPL has 3 medicentres on lease at GMC, Bambolim,Hospicio hospital at Margoa, Sub-district hospital, Ponda.The leases have expired on 31/03/2019, 31/07/2020 and 31/08/2019 respectively. As the leases have already expired and have not been renewed as on 31/03/2020.Therefore GAPL has selected not to apply the requirement of the paragraphs of 22-49 of the Ind AS 116 with respect to the above mentioned leases. GAPL recognises the lease payments associated with those leases as an expense on either a straight-line basis over the lease terms and are recognised in the Profit and loss Account.

a) Amounts recognised in the Statement of Profit and Loss: Amount in Rs. In lacs

b) Other disclosures:

(i) Lease liabilities:

Particulars	As at March 31, 2020
Non-current lease liabilities	0.30
Current lease liabilities	0.00
Total lease liabilities	0.30

c) Maturity profile of Lease liabilities as of March 31, 2020 Amount in Rs. In lacs

Particulars	2019-20	2018-19
Due within one year	17.57	24.38
Due later than one year and not later than five years	0.16	0.37
Due later than five years	1.70	1.73
Total	19.43	26.48

On the land leased by Government of Goa of survey no 47/0 of Village Tuem, over a period it is noticed that there are about 45 encroachments reported as on Balance Sheet date. The Company has taken up the matter with the Revenue/Appropriate Authorities for eviction of these illegal structures, encroaching around 4.85 acre area.

39. भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुसार प्रकटीकरण-'आय कर'

आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	2019-20	2018-19
आस्थगित कर देयता बनाने वाली कर प्रभावी मदें		
31/03/2019 तक की अचल परिसंपत्तियों के लेखा बही और कर शेष के बीच का अंतर	67.00	42.55
डी टी एल (क)	67.00	42.55
आस्थगित कर परिसंपत्ति बनाने वाली कर प्रभावी मदें		
संदिग्ध ऋण/पेशगियों के लिए प्रावधान	132.84	133.48
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 40(क)(i), 43 बी के अधीन गैर भत्ताएँ	17.00	123.66
अग्रेनीत व्यवसाय हानियाँ - डी टी ए का उत्क्रमण	290.18	-
डी टी ए (ख)	440.02	257.14
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) (ख- क)	373.01	214.59

कंपनी ने आस्थगित कर शेष प्रदान किया है, जिसको इस मानक के अंगीकरण पर आस्थगित कर परिसंपत्ति/संबंधित क्रेडिट के साथ देयता/राजस्व आरक्षितियों को चार्ज करके संचित किया है।

40. कोई वर्तमान दायित्व के संबंध में, जो गत घटना के परिणामस्वरूप है, संभावित बहिर्वाह का कारण बन सकता है, प्रावधान किए गए हैं। जो दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अपेक्षित होगा। उस प्रावधान प्रबंधन के उत्तम आकलन के अनुसार और प्रकटीकरण लेखा मानक (इंड ए एस) 29 के अनुसार बनाया गया है। 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ' नीचे दी गयी हैं।

देय अर्जित छुट्टी	2019-20	2018-19
अथ शेष	9.69	11.80
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6.56	9.69
कुल	16.25	21.49
वर्ष के दौरान उपयोगित	0.00	11.80
अंतिम शेष	16.25	9.69

बॉनस के लिए प्रावधान	2019-20	2018-19
अथ शेष	2.41	4.55
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.73	7.12
कुल	3.14	11.67
वर्ष के दौरान उपयोगित	2.41	9.26
अंतिम शेष	0.73	2.41

उपदान के लिए प्रावधान	2019-20	2018-19
अथ शेष	12.45	9.08
वर्ष के दौरान परिवर्धन	46.69	12.45
कुल	59.14	21.53
वर्ष के दौरान उपयोगित	15.00	9.08
अंतिम शेष	44.14	12.45

प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	2019-20	2018-19
अथ शेष	44.77	39.73
वर्ष के दौरान परिवर्धन	43.95	40.30
कुल	88.73	80.03
वर्ष के दौरान उपयोगित	43.38	35.26
अंतिम शेष	45.35	44.77

39. Disclosure as per Ind AS 12 - " Income Taxes "

	Deferred tax Assets /liability	2019-20	2018-19
	Tax effect of items constituting deferred tax liability		
	On difference between book balance and tax balance of fixed assets as on 31/03/2019	67.00	42.55
	DTL (A)	67.00	42.55
	Tax effect of items constituting deferred tax Assets		
	Provision for doubtful debts / advances	132.84	133.48
	Disallowances under Section 40(a)(i), 43B of the Income Tax Act, 1961	17.00	123.66
	Business loss and depreciation loss	290.18	-
	DTA (B)	440.02	257.14
	Deferred Tax assets (NET) (B-A)	373.01	214.59

* The Company has provided deferred tax balance that has accumulated on the adoption of this Standard as deferred tax asset/liability with a corresponding credit/charge to the revenue reserves.

40. In respect of any present obligation as a result of past event that could lead to a probable outflow of resourses , provisions have been made, which would be required to settle the obligation. The said provisions are made as per the best estimate of the management and disclosure as per Indian Accounting Standard (IND AS) 37 - " Provisions , contingent liabilities and contingent assets" has been given below.

Earned Leave Payable	2019-20	2018-19
Opening Balance	9.69	11.80
Additions during the Year	6.56	9.69
Total	16.25	21.49
Utilised during the year	0.00	11.80
Closing Balance	16.25	9.69

Provision for Bonus	2019-20	2018-19
Opening Balance	2.41	4.55
Additions during the Year	0.73	7.12
Total	3.14	11.67
Utilised during the year	2.41	9.26
Closing Balance	0.73	2.41

Provision for Gratuity	2019-20	2018-19
Opening Balance	12.45	9.08
Additions during the Year	46.69	12.45
Total	59.14	21.53
Utilised during the year	15.00	9.08
Closing Balance	44.14	12.45

Provision for incentives	2019-20	2018-19
Opening Balance	44.77	39.73
Additions during the Year	43.95	40.30
Total	88.73	80.03
Utilised during the year	43.38	35.26
Closing Balance	45.35	44.77

संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	2019-20	2018-19
अथ शेष	477.48	264.94
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	212.54
कुल	477.48	477.48
वर्ष के दौरान उपयोगित	0.00	0.00
अंतिम शेष	477.48	477.48

देय व्ययों के लिए प्रावधान	2019-20	2018-19
अथ शेष	24.72	186.74
वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.13	387.34
कुल	35.86	574.08
वर्ष के दौरान उपयोगित	13.70	549.36
अंतिम शेष	22.15	24.72

आय कर के लिए प्रावधान	2019-20	2018-19
अथ शेष	(39.17)	72.55
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
कुल	(39.17)	72.55
वर्ष के दौरान उपयोगित	0.00	111.72
अंतिम शेष	(39.17)	(39.17)

41. पूँजी खातों पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष रहे ठेके की अनुमानित रकम और प्रावधान नहीं किया गया है।

    मूर्त परिसंपत्तियाँ विकासाधीन है।

    शून्य

42. आपूर्तिकारों और विविध लेनदारों के साथ विविध देनदारों का शेष, ऋण एवं पेशगियाँ, दावा, पेशगियाँ, यदि है तो पुष्टि और परिणामस्वरूप सामंजस्य के अधीन है।

43. पिछले वर्ष का आँकडे

    विद्यमान अवधि के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ अनुरूप होने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आँकडों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

Provision for Doubtful Debts	2019-20	2018-19
Opening Balance	477.48	264.94
Additions during the Year	0.00	212.54
Total	477.48	477.48
Utilised during the year	0.00	0.00
Closing Balance	477.48	477.48

Provision for Expenses Payable	2019-20	2018-19
Opening Balance	24.72	186.74
Additions during the Year	11.13	387.34
Total	35.86	574.08
Utilised during the year	13.70	549.36
Closing Balance	22.15	24.72

Opening Balance	(39.17)	72.55
Additions during the Year	0.00	0.00
Total	(39.17)	72.55
Utilised during the year	0.00	111.72
Closing Balance	(39.17)	(39.17)

41. Estimated amount of contract remaining to be exceuted on capital accounts and not provided.

Tangible assets under development

Nil

42. Balance of Sundry Debtors, Loans & Advances, Claims, Advances with suppliers and Sundry Creditors are subject to confirmation and consequent recociliation, if any.

43. Previous year's figures

Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to correspond with the current period classifications/disclosure.

GAPL

गोवा एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
(एचएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड की समनुषंगी, भारत सरकार का उद्यम)
टुएम इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास, पेर्नेम,गोवा - 403 512

ई-मेल : info@gaplgoa.com
दूरभाष : (0832) 2201416 (0832) 2201416 / 417 / 256
फैक्स : (0832) 2201278

Goa Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd.,
(Subsidiary of HLL Lifecare Ltd., A Government of India Enterprise)
Near Tuem Industrial Estate, Tuem, Pernem - Goa - 403 512

E mail : info@gaplgoa.com
Phone : (0832) 2201416 (0832) 2201416 / 417 / 256,
Fax : (0832) 2201278